राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उन्तीसवां दिवस संख्या 21

सोमवार,

दिनांक 24 मार्च, 1969.

विधान सभा की बैठक म. प. 11.2 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, खाद्य, चिकित्सा, वन, उपनिवेशन, विद्युत, सिंचाई, आबकारी, पंचायत विभाग]

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न।

(विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य सदन के मुख्य द्वार से सदन के अन्दर आकर हां पक्ष और "ना पक्ष" के बीच के मार्ग में विराज गये)

आप लोग ऊपर बैठ जाइये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप अपनी जगह पर बैठिये, यह तो रास्ते में बैठना उचित नहीं है। नियमों के खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर!

प्रश्न संख्या 492!

श्री चुन्नीलाल जैलिया!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 493।

श्री केसरीसिंह हाडा!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 494

श्री दुर्गालाल बाड़दार!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल!

तहसील बड़ी सादड़ी में बाढ़ग्रस्त ग्रामों के व्यक्तियों को मुफ्त कबाड़ा

496. **श्री शंकरलाल** (कपासन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बाढ़ग्रस्त अथवा अग्निग्रस्त परिवारों को मकान बनाने के लिये मुफ्त कबाड़ा दिया जाता है? यदि हां, तो क्या इस वर्ष जो अतिवृष्टि से बाढ आई उससे तहसील बडी सादडी के जो कुछ गांव बाढग्रस्त हुए हैं उनको कबाड़ा दे दिया गया है? यदि नहीं दिया तो क्यों नहीं?

(2) अब कब तक कबाडा दिया जावेगा?

उप-मंत्री वन, (श्री कन्हैयालाल) : (1) राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति

Page No 2

(श्री कन्हैयालाल)
से जिलाधीश की सिफारिश अनुसार दिया जाता है। ऐसी कोई स्वीकृति नहीं होने से कार्यवाही नहीं की गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा पढ दीजिये उप-मंत्री महोदय।

उप मंत्री वन (श्री कन्हैयालाल) : (1) राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से जिलाधीश की सिफारिश अनुसार दिया जाता है। ऐसी कोई स्वीकृति नहीं होने से कार्यवाही नहीं की गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : क्या यह आवश्यक नहीं है कि सरकार ऐसे ग्रामों में जो बाढ़ ग्रस्त हों, या जहां अग्निकांड हों, वहां उनसे पीड़ित लोगों को विशेष रूप से कबाड़ा और सहायता दे ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये राज्य सरकार अलग से निश्चय लेती है। भरतपुर में बाढ़ आई थी तो जिलाधीश ने जिनके लिये सिफारिश की थी उनको सहायता दी गई थी। 69 में बाढ़ आई, उसके लिये कोई आदेश नहीं थे इसलिये यह काम नहीं किया है।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार विचार रखती है कि ऐसे लोगों को सहायता दी जाय ?

श्री नारायणसिंह : की जा सकती है।

श्री शंकरलाल : क्या मैं उम्मीद करूं कि उन लोगों को सहायता दी जायगी ? क्या आप ऐसा आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री नारायणसिंह : आश्वासन देने में मैं सक्षम नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 469।

श्री दौलतराम सारण !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 497

श्री पी. के. चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 498

श्री मेघराज पंवार !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 499

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती मदनकौर।

केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा पचपदरा एवं सिवाना तहसीलों में सर्वे

500. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने

(श्रीमती मदन कौर)
पचपदरा एवं सिवाना तहसीलों का चहुँमुखी (सोइल अन्डरग्राउण्ड वाटर, वेजीटेशन एवं सोसियोइकोनोमिक आदि) सर्वे किया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार उस क्षेत्र को विकसित करने का विचार रखती है?

उप मंत्री वन (श्री कन्हैयालाल) : (1) जी हां। सिवाना तहसील का सर्वे सन् 1963 में पूर्ण हो गया है। पचपदरा का सर्वे अभी जारी है।

(2) इसका सम्बन्ध विकास विभाग से है।

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा पचपदरा एवं सिवाना तहसीलों का चहुँमुखी सर्वे किया गया उसके सम्बन्ध में है, उत्तर में कहा गया कि पचपदरा का सर्वे अभी जारी है जबकि वहां सर्वे पूर्ण हो गया है ?

दूसरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह था कि यह बहुत ही डिटेल्ड सर्वे करवाई गई है, उस सर्वे की रिपोर्ट राज्य सरकार को पूरी प्राप्त नहीं हुई है, यह बहुत गलत बात है। मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट को प्राप्त करे।

दूसरा जवाब दिया कि यह विकास विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है तो मंत्री महोदय को चाहिए था कि विकास विभाग को इस प्रश्न को ट्रान्स्फर करते।

मैं यह व्यवस्था चाहूँगी कि इस सवाल को स्थगित किया जाय और मेरे प्रश्न का पूरा जवाब दिलाया जाय।

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : पचपदरा और सिवाना दोनों तहसीलों में केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने चहुँमुखी सर्वे किया, उसका सम्बन्ध वन विभाग से ही नहीं है, सर्वे रिपोर्ट आज ही मेरे पास उपलब्ध हुई है, आफिशियली अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि माननीय सदस्या ने प्रश्न के अन्दर ही कहा, सोइल, अण्डर ग्राउण्ड वाटर, वेजीटेशन एवं सोसियोइकोनोमिक सर्वे किया गया, तो यह सर्वे सर्वांगीण रूप से इन सभी चीजों को सुधारने के लिए है। कहीं कृषि विभाग के तहत आता है, कहीं वन विभाग के तहत आता है, कहीं और विभाग के तहत, यह केवल वन विभाग के तहत नहीं है, सर्वांगीण है, इसलिए योजना विभाग द्वारा जब सारी योजना बनाई जायगी तब विभागों को शामिल लिया जा कर किया जायगा।

श्रीमती मदनकौर : मैंने यह निवेदन किया था कि इस प्रश्न को विकास विभाग को ट्रान्स्फर कर दिया जाय और पूरा उत्तर दिला दिया जाय।

श्री नारायणसिंह : ट्रान्स्फर करने की आपकी मर्जी की बात है पर यह रिपोर्ट आने के बाद इस विषय में योजना बन सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 501।

श्री फूलचन्द बाफना।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

Page No 4

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न सं. 502

श्री रामचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या. 503

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 504

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य।

गंगानगर जिले में बिजली की व्यवस्था

505. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) गांवों में बिजली पहुंचाने का क्या आधार माना गया है?

(2) गंगानगर जिले के कितनी आबादी वाले कुल कितने गांवों को किस किस तहसील में बिजली दी जा चुकी है?

(3) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में 3 हजार से लेकर 8000 तक की आबादी के गांव आज भी बिजली से वंचित हैं?

(4) क्या यह सही है कि बिजली विभाग के छोटे स्थानीय कर्मचारी नये गांवों को बिजली देते वक्त रिश्वत मांगते हैं?

(5) भविष्य में बिजली देने के लिए कितनी आबादी तक के गांवों का लक्ष्य रखा गया है?

(6) भादरा तहसील के गांव कल्याण किराडा बड़ा, किराड़ा छोटा और रामवास, जिनमें भादरा से लेकर रामबास तक खम्मे रोप दिये गये थे, में कब तक बिजली का कनेक्शन दे दिया जावेगा?

(7) क्या भादरा तहसील के गांव निनाण, छानी बड़ी, बेर और भांसल के लोगों ने काफी समय पहले कनेक्शन के लिए मांग की थी? क्या यह सही है कि इन गांवों में ट्यूब वैल्स के लिए बिजली दी गई है जिनका फासला गांव से दो या तीन फर्लांग ही है? यदि हां, तो इन गांवों को बिजली कब तक दे दी जायगी?

उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) 11 के. वी. प्रसारण लाइन से समीपता, कृषि उत्पादन क्षमता, भूमिगत पानी की उपलब्धि एवं कई ग्रामों के कुओं को एक साथ मिला कर अधिक उत्पादन की दृष्टि से महत्व आदि को आधार माना जाता है यदि ऐसी योजनाएं आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद एवं तकनीकी दृष्टि से साध्य हैं।

(2) सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) साधारणतया ऐसा नहीं होता है।

(5) आबादी के आधार पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(6) ग्राम कल्याण, किराडा छोटा व किराडा बड़े का विद्युतिकरण किया जा चुका

Page No 5

(श्री खेतसिंह)

है। ग्राम रामबास किसी भी स्वीकृत योजना में नहीं है।

(7) जी हां, दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि 3000 से कम आबादी वाले गांवों को बिजली दी गई है ?

विद्युत मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : हां, तीन हजार से कम आबादी वाले गांवों को भी दी गई है।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में 3 हजार से 8 हजार की आबादी के गांव आज भी बिजली से वंचित हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : जो जानकारी है, उसके अनुसार 5 हजार से 8 हजार की आबादी का कोई गांव बाकी नहीं है। 3 हजार से 5 हजार की आबादी के 12 गांव हैं, सूची चाहें तो दे सकता हूं।

श्री हंसराज आर्य : आप 61 की जनगणना की बात कर रहे हैं, आज कई गांवों की आबादी चार से पांच गुना तक बढ़ गई है। जहां पहले 150 घरों की आबादी थी वहां आज 5 हजार की आबादी है, गंगानगर में 5 हजार की आबादी से ऊपर आबादी के गांव हैं उनको आज तक बिजली नहीं दी है।

श्री शिवचरण माथुर : आबादी के लिहाज से केवल गांवों में बिजली पहुंचाने का प्रश्न अलग है और खेती के लिये पहुंचाना अलग है। 5 हजार से 8 हजार की आबादी वाला कोई एक कस्बा गंगानगर जिले में नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची हो। 3 हजार से 5 हजार आबादी वाले 12 कस्बे हैं जिनकी सूची आपको बता सकता हूं और जहां तक इससे कम आबादी वाले गांवों का सवाल है....

श्री हंसराज आर्य : मन्त्री महोदय ने फरमाया किराडा बडा, किराडा छोटा के गांवों में बिजली दी गई है। मैं 6 तारीख को वहां होकर आया हूं अभी तक बिजली के खम्भे लग गए हैं, तार खींच दिए हैं, लेकिन बिजली नहीं दी गई है।

श्री शिवचरण माथुर : कुछ कनेक्शन दिए गए हैं। आपकी जानकारी के अनुसार यह सही हो सकता है कि जितने कनेक्शन आवश्यक हैं उतने नहीं दिए गये हैं लेकिन आगे आने वाली योजना है और प्रति वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके अनुसार रिलीज किया जायगा।

श्री हंसराज आर्य : अब कब तक कनेक्शन दिए जायेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : दे दिए गए हैं लेकिन आपका मतलब शायद कुओं के कनेक्शन से है। कुओं के कनेक्शन के निश्चित लक्ष्य के आधार पर अलग अलग डिवीजन्स में लक्ष्य रखे जाते हैं और जितना धन होता है उसके अनुसार दिये जाते हैं और प्राथमिकता के आधार पर होता है।

श्री हंसराज आर्य : कुए नहीं, गांवों में जहां खम्भे लगे हुए हैं और तार खींचे गए हैं वहां नहीं दिए गए हैं। आपने

(श्री हंसराज आर्य)
फरमाया कि बिजली दे दी गई है । अगर खम्बे लगाना और तार खींचना ही बिजली देना हो····

श्री शिवचरण माथुर : आपका मतलब डोमेस्टिक कनेक्शन से है ?

श्री हंसराज आर्य : हां, घरों को कनेक्शन देने के लिए तार खींचे गए हैं, खंभे लगाए गए हैं····

श्री शिवचरण माथुर : इसमें मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कितने डोमेस्टिक कनेक्शन्स देने हैं, कितनी एप्लीकेशन्स हैं । जहां तक कुओं पर कनेक्शन्स देने के आधार का सम्बन्ध है, जितना धन होता है, उसके अनुसार दिया जाता है, डोमेस्टिक कनेक्शन में दिक्कत नहीं, जल्दी दिये जायेंगे ।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि भादरा तहसील में बहुत से किसानों ने कुओं में मशीन फिट करवाई, अग्रिम रकम जमा करवाई है, फिर भी आज तक कनेक्शन्स नहीं दिए गये हैं····

श्री शिवचरण माथुर : यह जनरल सवाल है । स्पेसीफिक पूछें तो बता दूं ।

श्री हंसराज आर्य : क्या आप विभाग को आदेश देंगे कि अमुक तारीख से पहले जिन्होंने अपने कुओं पर मशीनें फिट करवा दी हैं उनको बिजली दी जायेगी ? और कनेक्शन कब तक दिए जायेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : हरेक डिवीजन के लिए कनेक्शन्स का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसके अनुसार प्रायरिटी में जो एप्लीकेशन्स आती हैं उनके अनुसार कनेक्शन्स दिए जाते हैं । इस साल भी काफी अच्छा लक्ष्य रखा है और भादरा तहसील में प्राथमिकता के लिहाज से कनेक्शन्स मिल जायेंगे ।

श्री हंसराज आर्य : क्या आधार आपने बनाया है । क्या जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं ? यदि हां, तो कौन कौन उनके सदस्य हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : आधार यह है कि जहां जहां 11 के. वी. लाईन गई है उसके नजदीक जितने गांव हैं, वहां पर पानी की क्षमता हो, तो वहां पर बिजली देने का सबसे पहला आधार है । इस बात को तय करने के लिए जिला कृषि उत्पादन समिति अपने अपने जिले के प्रस्ताव भेजेंगी और उसके बाद अगले वर्ष की योजना बनायेंगे, उसके अनुसार आधार बनायेंगे ।

श्री हंसराज आर्य : जिस किसी मंत्री के पास बिजली विभाग गया उन्होंने अपने जिले में छोटे छोटे गांवों में भी बिजली देने की कोशिश की । मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय जिला स्तर पर कमेटियां बनायें और उसमें जिला प्रमुख और एम. एल. ए. को भी शामिल करें । उनके सुझावों के आधार पर गांवों में बिजली दी जाय ताकि पक्षपात नहीं रहे और लोगों को न्याय मिले ।

श्री शिवचरण माथुर : जिला कृषि उत्पादन समिति का चेयरमैन कलेक्टर होता है और जितने टेक्नीकल डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स

(श्री शिवचरण माथुर)
होते हैं, वे सदस्य होते हैं। कुछ पंचायत समितियों के प्रधान सदस्य होते हैं, वे बैठकर प्राथमिकता का निर्धारण करके बोर्ड के पास भेजते हैं। एक निश्चित आधार मैंने सुनाया उसके आधार पर बिजली दी जायेगी।

श्री हंसराज आर्य : ये कहीं और होते हैं। गंगानगर में तो कहीं नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

केवडा ओडा के जंगलों से लकडी की चोरी

506. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा-सु.): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला उदयपुर रेंज नाका उदयपुर के अन्तर्गत फोरेस्ट चौकी केवडा, जंगल केवडा व ओडा से गीली लकडी काट कर चोरी द्वारा उदयपुर लाने की कोई शिकायत है ?

(2) क्या यह सही है कि अलताप मास्टर नाम का व्यक्ति केवडा ओडा के जंगलों से गीली लकड़ी काटकर साल भर चोरी द्वारा उदयपुर लाता रहा है ? यदि हां, तो वन विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या फॉरेस्टर नाका कवडा का भी इस कार्य में हाथ है ? यदि हां, तो वन अधिकारी, उदयपुर, ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह भी सही है कि जनवरी-फरवरी, 1969 में ओडों के जंगलों से गीली लकडी काटने की कोई शिकायत डिवीजनल वन अधिकारी के पास हुई थी ? यदि हां, तो उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(5) क्या यह सही है कि केवडा फारेस्टर ने शिकायत होने के बाद ओडा जंगल में गीली लकडी चोरी से काटे जाने की एफ. आई. आर. काटी थी ? यदि हां, तो किसके नाम से काटी थी ?

उप-मंत्री, वन (श्री कन्हैयालाल) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जानकारी 27-12-68 को मिली थी, जांच कराई जा रही है।

(5) जी हां, अभियोगी का नाम मालूम नहीं हो सकने के कारण नाम अंकित नहीं है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : एफ. आई. आर. किसके नाम से काटी गई ?

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : दिनांक 18-12-66 व 7-2-67 और 2-9-68 को केवडा ओडा व आसपास के जंगलों से लकडी लाते हुए पांच ट्रक पकड़े गए जिसमें मन्नू पिता अमीर खां, श्री अम्बालाल पिता गुलाबजी व श्री आर्मी केम्प, उदयपुर उस पर मुआवजा वसूल हुआ। श्री मन्नू से एक ट्रक का मुआवजा 360) 18-12-66 को, अम्बालाल से 360) 7-2-67 को व आर्मी केम्प, उदयपुर से 2-9-68 को तीन ट्रक पकड़े गए। नंबर हैं 3236, 19253 व 3273।

Page No 8

श्री देवीलाल मीणा (सराडा सु.): इन्होंने लकड़ी काटी और उसकी शिकायत स्वयं मैंने की है। एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। डी.एफ.ओ. उदयपुर ने कार्यवाही करके भेज दिया और वहां थोड़ी कार्यवाही करके रिपोर्ट भी बनाई गई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बाद में यह कार्यवाही करने के बाद एफ. आई. आर. किसके नाम काटी ?

श्री नारायणसिंह : माननीय सदस्य ने दिनांक 27-12-68 को मंडल वन अधिकारी, उदयपुर, को मौखिक वार्ता के समय जानकारी दी थी। जांच सहायक वन संरक्षक को सुपुर्द कर दी गई है। फॉरेस्टर के बारे में जांच चल रही है जिसका कुसूर होगा उस पर कार्यवाही की जायगी और यथोचित दंड भी दिया जायगा।

श्री देवीलाल : एफ. आई. आर. किसने काटी ?

एक माननीय सदस्य : बेनाम।

श्री शंकर लाल (कपासन) : लकड़ी चोरी से काटकर भेजते हैं इससे साबित होता है कि साजिश थी। क्या यह सही है कि साल भर चोरी से लकड़ी काट कर भेजने के बावजूद किसी को नहीं पकड़ा ? इससे साबित होता है कि कर्मचारियों की साजिश है ?

श्री नारायणसिंह : यह जांच का विषय है।

श्री देवीलाल : फॉरेस्टर के खिलाफ एक्शन हो जायगा ?

श्री नारायण सिंह : जब तक जांच नहीं हो, तब तक किस किस को क्या सजा दी जाय ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री नारायण सिंह : फॉरेस्टर का कुसूर बिल्कुल निश्चित रूप से जब तक साबित नहीं होता है, तब तक कार्यवाही नहीं की जावे ?

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : एफ. आई. आर. गुमनाम से काटी तो किस आधार पर काटी गई ?

श्री नारायण सिंह : जुर्म करने वाले का पता न होने के कारण इस प्रकार से हुआ।

श्री विद्या सागर (खेरवाडा-सु.) : क्या इससे साबित नहीं होता है कि जंगलात के कर्मचारी भी शामिल थे ?

श्री नारायण सिंह : यह जांच के पहले कैसे कहा जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष :

प्रश्न संख्या 507

श्री जय नारायण !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 508

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 509

श्री हरजीराम बुरडक !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 510

श्री देवीदत्त गाडिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 511

श्री ओमदत्त भाटी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री कल्याण मल !

हिण्डौली टूटोकडा बिजली की लाइन

512. श्री कल्याण मल (जहाजपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील हिण्डौन में हिण्डोली टूटोकडा तक की 5 मील विद्युत् लाइन है और उसमें अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है और इसके जिम्मेदार कौन हैं?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम टूटोकडा से ईतुन्दा केवल दो ही मील दूर है और वहां के काश्तकार बिजली लेना चाहते हैं? यदि हां, तो इस लाइन का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?

(3) क्या यह सत्य है कि ग्राम ईतुन्दा की जो सर्वे जूनियर इन्जीनियर देवली ने की है उसमें 20 कुवें, 60 मकान तथा 3 चक्कियों के पॉवर कनेक्शन देने का उल्लेख था लेकिन मकानों के कनेक्शन 60 की एवज 30 व चक्की के 3 के बजाय दो ही किये गये? यदि हां, तो क्यों? सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

विद्युत् मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) (1) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां। लाइन को आगे बढ़ाकर नवीन ग्रामों का विद्युतिकरण होना पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्राप्त होने व योजना लाभप्रद होने पर निर्भर करता है।

(3) जी हां।

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

श्री कल्याण मल : उपाध्यक्ष महोदय, इस गांव की सर्वे की तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सर्वे में 60 मकानों के कनेक्शन बताये गये हैं, 20 कुओं के कनेक्शन बताये गये हैं और चक्की के कनेक्शन बताये गये हैं उनको सहायक अभियन्ता ने 60 के बजाय 30 कर दिया, चक्कियों के 3 के बजाय दो कर दिया जिससे यह स्कीम नहीं ली गयी है और ये गांव बिजली के बिना महरूम रह गये हैं क्या यह सही है?

श्री शिवचरण माथुर : स्कीम में 60 मकान, 20 कुएं और 3 चक्कियां बतायी गयी हैं

Page No 10

(श्री शिवचरण माथुर)
स्कीम को ड्राप करने का तो सवाल ही नहीं है। अभी तो यह बन कर आयी है। इस पर विचार किया जावेगा।

श्री **कल्याणमल** : पहले भेज दी गयी। इस तरह काट फांस करने से यह स्कीम रह गयी है।

श्री **शिवचरण माथुर** : यह स्कीम तो आयी है जो विचाराधीन है ड्राप करने का तो सवाल ही नहीं उठता।

श्री **कल्याणमल** : क्या यह स्कीम पहले जो आयी थी उसमें काट फांस की गयी थी तो क्या सहायक अभियन्ता के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी ?

श्री **शिवचरण माथुर** : काट फांस कहां की गयी ? 60 मकान, 20 कुए 3 चक्कियां यह उस में हैं। काट फांस का सवाल नहीं है।

श्री **कल्याणमल** : इस गांव को बिजली देने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री **शिवचरण माथुर** : इरादा सब रखते हैं लेकिन यह धन की उपलब्धि पर निर्भर है। जैसा एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था उसको देखते हुए इसको भी देखा जायगा और काम शुरू कर दिया जाय यह भी देख लिया जायगा।

श्री **हंसराज आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 505 उत्तर में कहा गया कि सूची दे दी गई। यह अंग्रेजी में दी गयी। बार बार निवेदन किया कि हिन्दी में दी जाय। नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि हिन्दी पर पैर टिकाने से ही हिन्दी चलेगी।

श्री **उपाध्यक्ष** : हिन्दी में दी जानी चाहिये सूची।

प्रश्न संख्या 513

श्री महेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 514

श्री श्रवण लाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 514 (A)

श्री प्रेमसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 515

श्री बृजवल्लभ बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 516

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 517

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 518

श्री बीरबल !

Page No 11

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 519

श्री हरिवल्लभ शर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर का भवन

520. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नई इमारत अभी तक नहीं बनाई गई है ? अगर हां, तो अब स्वास्थ्य केन्द्र किस इमारत में चल रहा है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि मौजूदा इमारत स्वास्थ्य केन्द्र के उपयुक्त नहीं है और बहुत पुरानी है ? अगर हां, तो नई इमारत अब तक क्यों नहीं बनाई गई है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नई इमारत बनाने के लिये एक सेठ ने वायदा किया था परन्तु अब वह इमारत बनाने को तैयार नहीं है ? अगर हां, तो सरकार उक्त इमारत कब तक बनाने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुद एक पुरानी इमारत में चल रहा है।

(2) जी हां। अर्थाभाव के कारण।

(3) जी हां। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बनाने का विचार है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब तक नहीं बने तब तक बिल्डिंग की रिपेयर्स तो करायें नहीं तो वह ढह जायगी।

श्रीमती सुमित्रा : रिपेयर्स करा दी जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन !

बाडमेर जिले में बिजली की व्यवस्था

521. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाडमेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में पिछले दस सालों में बिजली की नई लाइनें डालने तथा गावों को बिजली देने में कितना रुपया खर्च किया गया ? प्रत्येक वर्ष के अलग अलग विवरण देकर सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बाड़मेर जिले में पिछले दस सालों में कितने गांव कस्बों को ईलेक्ट्रीफाई किया गया है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या बाड़मेर जिले की तहसील हैडक्वार्टरों पर भी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि नहीं की गई तो क्या कारण है ?

(4) राज्य सरकार कब तक तहसील हैडक्वार्टर पर बिजली की व्यवस्था कर देगी ?

विद्युत मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) इसका हिसाब नहीं रखा गया इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती।

Page No 12

(श्री शिवचरण माथुर)

(2) 27 को। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) पचपदरा, शिव और चौहटन के अलावा बिजली की व्यवस्था करदी गई है। यह योजना किसी स्वीकृत योजना में नहीं थी।

(4) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द जैन : पचपदरा, शिव, और चौहटन तहसील के हैडक्वार्टर पर बिजली पहुंचाने की कब व्यवस्था कर सकेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : निश्चित कहना तो बड़ा कठिन है लेकिन इसको प्राथमिकता दी जावेगी यह मैं कह सकता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या आप बाडमेर में चम्बल, भाखरा या अणुशक्ति से बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : बाडमेर जैसलमेर इलाके में चम्बल की बिजली पहुंचाने में बहुत खर्चा होता है और उपयोग भी उसका वैसा नहीं हो सकता। फिलहाल बाडमेर जैसलमेर की बिजली की दिक्कतों को मिटाने के लिये वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है जैसा कि आपने सुना होगा कि 500 के. वी. की अलग लाइन लगाने का विचार किया जावेगा और शहरों की पूर्ति हो जावेगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : गावों की पूर्ति कब करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : देहातों की आज की आवश्यकता की पूर्ति हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 522

श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 316

श्री पृथ्वीसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 333

श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 338

श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 507 ले लिया जाय।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 518 बहुत महत्व का है इसका उत्तर दिला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री नाथूराम) कौनसा प्रश्न कह रहे हैं।

श्री नाथूराम : प्रश्न संख्या 507

Page No 13

श्री हंसराज आर्य : प्रश्न संख्या 518

उपाध्यक्ष : पहले प्रश्न संख्या 507 सिंचाई मंत्री !

सिंचाई खण्ड बांसवाडा में ठेकों द्वारा चुनाई का कार्य ।

507. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : [श्री जयनारायण लसाडिया की अनुपस्थिति में] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड बांसवाडा द्वारा दिनांक 8–1–69 को कुछ कार्यों के टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो उनमें चुनाई का कार्य चूने में करना बताया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इन कार्यों को चूने में न कर बाद में सीमेंट में किया गया ?

(4) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया? इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) यह सही नहीं है । (2) जी नहीं । यह सहीं नहीं है कि· · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 507 का पहले उत्तर दें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : He wanted 518.

श्री उपाध्यक्ष : But Shri Nathuram wanted 507

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (1) जी हां ।

(2) दो कार्य चूने में व एक कार्य सीमेंट में करवाना बताया गया था ।

(3) जी हां ।

(4) छोटे कार्यों में चूने का काम मंहगा पड़ने व नींव में गीलापन होने के कारणों से ऐसा किया गया ।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि ऐसा नम्बर 2 में बताया गया कि चूने में काम कराया गया· · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने यह पूछा है कि उनमें चुनाई का कार्य चूने में करना बताया गया था, तो इसके उत्तर में मैंने आपको यह बताया कि दो कार्य चूने में व एक कार्य सीमेंट में करवाना बताया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 518

राजस्थान नहर में तथा रास्तों, सड़कों बागात मंडियान आदि के नीचे आई काश्तकारों की खातेदारी भूमि

518. श्री हंसराज (भादरा) [श्री बीरबल (हसरिया सु.) की अनुपस्थिति में] :

क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उन काश्तकारों को राजस्थान नहर के क्षेत्र में भूमि नहीं दी गई है जिनकी भूमि राजस्थान नहर के नीचे आ गई है और जिनके पास में खातेदारी भूमि 40 बीघा से अधिक नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि नहर पर कोलोनाईजेशन विभाग के अधिकारियों ने कुछ ऐसे किसानों को नहर के नीचे आने वाले

(श्री हंसराज आर्य)
किसानों को भूमि दे दी गई है जिनके पास में 50 बीघा या इससे अधिक भूमि कब्जे में है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इसी प्रकार रास्तों, सडकों और आबादी बागात मंडियात के नीचे जिन किसानों की खातेदारी भूमि आ गई थी उनको भी भूमि नहीं मिली है ?

(4) ऐसे किसानों को कब तक भूमि दे दी जावेगी ?

सिंचाई एवं उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा)—(1) यह सही नहीं है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि राजस्थान नहर के लिये भूमि अवाप्त होने पर किसानों को उनके पास 50 बीघा से अधिक भूमि अवाप्ति के बाद बचने पर अवाप्त भूमि के बदले में दूसरी भूमि दी गई। माननीय सदस्य ने किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया है जिसमें इन नियमों का उल्लंघन किया हो।

(3) जिन व्यक्तियों की भूमि अवाप्ति उपनिवेशन विभाग द्वारा की गई उनको रोकड क्षति पूर्ति अथवा क्षति में, भूमि का अधिकारी होने पर, बदले में भूमि दी गई है।

(4) अवाप्ति के कई मामले तय किये जाकर अवार्ड दिये जा चुके हैं और विचारणीय मामलों में निर्णय होने पर उसके अनुसार भूमि दी जायेगी।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान केनाल के आने से, मंडियान, सड़कें, बागात केनाल के नीचे आ गये उनको भूमि और भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितनों को दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने सिंचाई विभाग द्वारा जो भूमि अवाप्त की नहरों आदि के लिये उसका जवाब दिया। सड़कों के लिये जानकारी चाहिये तो यह पी. डब्ल्यू. डी. विभाग से ली जाय, वे ही अवाप्त करते हैं। उसका अवार्ड होता है। उसका मुआवजा पैसों में दिया जाता है तो पी. डब्ल्यू. डी., चाहे वह राजस्थान केनाल में हो उसके द्वारा दिया जाता है और जमीन देने की बात होती है तो उसको कौलोनाइजेशन विभाग देता है।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल में जो काश्त हो रही है वहां सीलिंग लागू नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो माननीय सदस्य को मालूम है कि सीलिंग का सिद्धांत अभी राजस्थान केनाल से लागू नहीं किया गया है।

श्री हंसराज आर्य : यदि नहीं किया गया तो जिन किसानों की भूमि राजस्थान केनाल के नीचे आती है उनको 50 बीघा जमीन देकर बाकी क्यों काटा जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सीलिंग तो लागू नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अर्से पहले जब इन नहरों की जमीन अवाप्त होने लगी थी उस वक्त यह कहा था कि दो मुरब्बा, 50 बीघा तक जमीन है वह अगर नहरों के नीचे आती है तो 50 बीघा की जमीन तो दी जाये और उससे अधिक हो तो वह बाद में वापि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
लेनी पड़े इसलिये नहीं दी जाये। बाकी की जमीन का कैश में मुग्रावजा दिया जाता है, इसलिये कल्टीवेटर्स को नुकसान नहीं होता।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल ऐसा क्षेत्र है जहां 95 प्रतिशत भूमि जागीरदारों के कब्जे में थी और जागीरदारों ने कभी भी किसानों को खातेदारी राइटस नहीं दिये थे, और वे ग्रारजी काश्त चले आ रहे हैं। अब उनको 50 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं दें, जबकि सीलिंग की पॉलिसी लागू भी नहीं है और आप पहले से ही काट दें तो यह किसान के साथ ज्यादती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार ने तो और भी उदार नीति अपनाई है कि जो ग्रारजी काश्तकार था उसको भी जमीन के बदले में ग्रारजी काश्त की जमीन दी है, हालांकि मुग्रावजा उसी जमीन का दिया जाता है जहां प्रोप्राइटरी राइटस होते हैं। लेकिन हमने रियायत करके ग्रारजी काश्तकार को भी ग्रारजी काश्त की जमीन मुग्रावजे मे दे दी है जिससे उसको नुकसान नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने किसान हैं जिनकी जमीन राजस्थान कैनाल में आ गई है, सड़कों में आई है, और जिनको मुग्रावजा नहीं दिया गया ? उसकी सूची है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने इस मामले में सड़कों को भी जोड़ दिया। मेरे पास जो जानकारी है वह केवल उस भूमि के बारे में है जो भूमि सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई के लिये ली गई। उसमें अगर कोई मामला हो, तो माननीय सदस्य बतायें जहां भूमि के बदले भूमि नहीं मिली हो और न कैश मिला हो तो हम तत्काल कार्यवाही करेंगे, और जो विचाराधीन मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 497।

तहसील फुलेरा के ग्रामों में बिजली

497. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या सरकार को विदित है कि तहसील फुलेरा के निम्नलिखित गांवों का विद्युतीकरण सन् 1966-67 में मंजूर किया गया था तथा उसी वित्तीय वर्ष में इन गांवों तक 11 के.वी. की लाइन भी डाल दी गई थी :

(1) बामनवास

(2) बड़ी डूंगरी

(3) करनसर

(4) हरसोली

(5) हिंगूनियां

(6) मिलकपुरा

Page No 16

(श्री पी.के. चौधरी)

(7) लालासर

(2) इन ग्रामों में से किस किस में ट्रांसफार्मर कब कब लगाये गये तथा प्रत्येक ग्राम में कितने कुओं पर कनेक्शन दिये गये ?

विद्युत् मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) बाननवास और मिलकपुरा ग्राम नाम फुलेरा तहसील में नहीं है छात्रावास और सुरमनिपुरा अवश्य हैं। इन दोनों में तथा प्रश्न में उल्लेखित अन्य ग्रामों में बिजली की लाइन डाल दी गई है।

	ट्रांसफार्मर लगाने का मास	कनेक्शन का नम्बर
डूंगरी कला	फरवरी 1967	निल
करनसर	मार्च 1968	2
हरसोली	नहीं लगाया गया	×
हिंगुनियां	नहीं लगाया गया	×
लालसर	नहीं लगाया गया	×

श्री पी. के. चौधरी : 1967 में जो प्लान था उसमें दो साल के अन्दर ट्रान्सफार्मर लगने को था और मिनीमम 5 के. वी. देने का था, वह क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : यह वास्तविकता है कि जिन गांवों में देना था उन सभी में नहीं दे पाये। अब जल्दी दे दिया जायेगा।

श्री पी. के. चौधरी : क्या इस फाइनेंशियल ईअर में हो जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : इस फाइनेंशियल ईअर में तो सम्भव नहीं है क्यों कि अब तो चार पांच दिन ही रह गये। अगले वर्ष हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चैक पोस्ट सवाई माधोपुर

492. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खन्डार–सु.) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बिक्री कर विभाग की ओर से कई स्थानों पर राज्य म चैक पोस्ट्स कायम की गई है ? यदि हां, तो ऐसी चैक पोस्ट्स कायम किये जाने के क्या आधार है ?

(2) क्या बिक्री कर विभाग की ओर से एक चैक पोस्ट सवाई माधोपुर स्टेशन पर भी कायम की गई है ? यदि हां, तो इससे राज्य सरकार को क्या लाभ है ?

(3) क्या इस चैक पोस्ट की ज्यादतियों की कई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इनमें क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

ग्रामीण व शहरी जनता को चीनी का वितरण

493. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार ने कब से देहात व शहरी जनता को 150 ग्राम शक्कर फी व्यक्ति देना तय किया था ?

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार के इस फैसले से पूर्व शहरी जनता को 300 ग्राम शक्कर फी व्यक्ति मिलती रही ?

(3) शहरी जनता के हिस्से की 150 ग्राम शक्कर कम करके देहाती जनता के हिस्से में जो शक्कर इससे पूर्व आती थी उसमें कितनी वृद्धि हुई ?

(4) क्या सरकार ने हर पंचायत को जन संख्या के आधार पर फी व्यक्ति 150 ग्राम देना शुरू कर दिया ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) दिनांक 8 मार्च, 1963 को जिला अधिकारियों को यह आदेश प्रसारित किये थे कि वे अपने जिले की ग्रामीण व शहरी जनता में माह अप्रेल 68 से चीनी का वितरण 150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर करें।

(2) जी नहीं। झालावाड़ जिले को छोड़कर अन्य किसी जिले में चीनी वितरण की मात्रा 400 ग्राम प्रति व्यक्ति से कम नहीं थी।

(3) 25 से 50 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर देहाती जनता के हिस्से में चीनी की बढोतरी हुई।

(4) जी नहीं। पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर आवंटन नहीं किया जाता है बल्कि जिले भर की शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है जिसमें पंचायतें भी शामिल होती है।

सवाई मानसिंह अस्पताल

494. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल के इन्डोर पेशेन्ट्स को राज्य द्वारा वितरित की जाने वाली दूध की राशि को कम किया है ?

(2) वर्तमान में प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन कितना दूध दिया जाता है और इससे पूर्व कितना दिया जाता था ?

(3) सवाई मानसिंह अस्पताल में ईयर, नोज एण्ड थ्रोट के आपरेशन के कितने केसेज प्रति सप्ताह सम्पन्न होते हैं और इस संबंध में कितने युनिट हैं और प्रत्येक यूनिट का कौन कौन इन्चार्ज है ?

(4) क्या राज्य सरकार रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देख कर युनिट बढाने अथवा युनिट इन्चार्जो के आपरेशन के दिन बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में रोगियों को 930 ग्राम दूध प्रति खुराक के हिसाब से दिया जाता है। इससे पूर्व भी इसी मात्रा में दिया जाता था।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नाक कान व गले के आपरेशन सप्ताह में औसतन 15 से 18 रोगियों के होते हैं। इस विभाग की 2 यूनिट है, एक यूनिट के

Page No 18

(चिकित्सा मंत्री)
प्रभारी डाक्टर जो नारायणन् आचार्य हैं, तथा दूसरी यूनिट के प्रभारी डा. पी. चटर्जी रीडर हैं।

(4) यूनिट में वृद्धि करना रोगियों की संख्या तथा साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है, जैसे ही नये आपरेशन थियेटर तैयार होंगे, आपरेशन के दिनों में वृद्धि की जावेगी।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन

496. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि-हीनों को भूमि-आवंटन संबंधी नियम कब बनाये गये और कब लागू किए गए?

(2) इन नियमों के अन्तर्गत कितने भूमि-हीनों के प्रार्थना-पत्र 31 दिसम्बर, 68 तक प्राप्त हुए? उनमें से कितने भूमि हीनों को भूमि इस अवधि तक आवंटित कर दी गई है? तहसील वार सूची दें।

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल कितनी भूमि कमांड और अन कमांड काबिल काश्त सरकार के पास आवंटन हेतु उपलब्ध है? कृपया तहसीलवार सूची दें।

(4) विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों या परिवारों को इस क्षेत्र में अब तक कितनी भूमि स्थायी तौर से आवंटित कर दी गई है? और कितनी भूमि प्रति वर्ष काश्त के लिये फसली अथवा वार्षिक तौर पर आवंटित की जाती है अथवा नीलामी पर काश्तकारों को दी जाती है?

(5) क्या सरकार के पास भूमिहीनों को भूमि आवंटन संबंधी नियमों की जटिलता और कठिनाई के संबंध में विचार करने हेतु प्रस्ताव, प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किन किन के द्वारा और कितने? इनमें क्या कहा गया है? सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की? नहीं तो क्यों नहीं?

(6) क्या भाखरा क्षेत्र में इसी संबंध में बने नियमों में और इन नियमों में बहुत अन्तर है? क्या भाखरा क्षेत्र के इस सम्बन्ध के नियमों में भी अनेक बार संशोधन किए गये? यदि हां, तो कब कब क्या क्या और क्यों? क्या हर बार के संशोधन से भूमिहीनों और स्थानीय निवासियों की कठिनाइयां बढ़ीं? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को समय समय पर प्रस्ताव प्रतिवेदन और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सुझाव दिए गये थे परन्तु उनकी उपेक्षा की गई?

उत्तर

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन सम्बन्धी नियम दिनांक 16-12-67 को जारी किये गये। ये नियम दिनांक 18 दिसम्बर, 1967 को राजस्थान राज-पत्र भाग (4) (ग) में प्रकाशित हुये और प्रकाशन के दिनांक से ही लागू किये गये हैं।

राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर योजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 196 के नियम 11 के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 68 तक की अवधि प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप 95429 प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये। इस तिथि के बाद कोई

(उपनिवेशन मंत्री)

प्रार्थना-पत्र नहीं लिया गया। कुल 70 भूमि हीनों को दिनांक 31-12-68 तक भूमिहीनों को दिनांक 31-12-63 तक भूमि आवंटित की गई। तहसील-वार सूची संलग्न है।

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में अनूपगढ़ शाखा तक में कमाण्ड एवं अनकमाण्ड भूमिहीन कृषकों हेतु क्रमशः 78,336 और 71,415 एकड़ है। इसकी तहसीलवार सूची संलग्न है।

विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों, परिवारों और फर्मों को अब तक कुल लगभग 606,000 एकड़ भूमि का अस्थाई आवंटन हुआ है और लगभग 1,00,000 एकड़ भूमि प्रति वर्ष एक साला निलामी द्वारा काश्तकार लेते हैं।

जी हां। सरकार के पास भूमि आवंटन नियम सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिवेदन आये हैं उनमें से कईयों पर विचार किया जा चुका है और कुछ विचाराधीन हैं।

भाखरा क्षेत्र के लिए बने आवंटन नियम और राजस्थान नहर क्षेत्र में बने आवंटन नियमों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। आवश्यकता होने पर भाखरा ही नहीं सभी प्रकार के नियमों में संशोधन किया जाता है। राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के आवंटन नियमों में दो बार संशोधन हुआ है किन्तु इनमें से किसी संशोधन से भूमिहीनों अथवा स्थानीय निवासियों को कठिनाइयां नहीं बढ़ी है वरन कठिनाईयों से छुटकारा मिला है।

कस्बा रतननगर की बीड़ की भूमि

498. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रकबा कस्बा रतननगर, तहसील चूरू की बोड भूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को कब व किस गर्ज से हस्तान्तरित की गई थी?

(2) जब यह बीड राजस्व विभाग में था तब रतननगर के नागरिकों को इस पर क्या क्या हक हासिल थे?

(3) क्या उन हकों को आज भी रतन नगर के नागरिकों को भोगने की छूट है?

(4) जिस उद्देश्य के लिये यह बोड राजस्व विभाग से वन विभाग में हस्तान्तरित करवाया गया था उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वन विभाग को कोई कामयाबी मिली है?

(5) क्या वन विभाग की ओर से इस बीड पर कोई रकम सालाना खर्च की जा रही है? यदि हां, तो अब तक कुल कितना खर्चा किया गया है?

उत्तर

(1) 18-5-1961 को रतननगर ग्राम के पशुओं के लिये वैज्ञानिक आधार पर चरागाह को विकसित करने हेतु।

(2) ऊंट भेड बकरी के अतिरिक्त अन्य मवेशी निःशुल्क चराने का हक था।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। अब तक विकास कार्यों को मिलाकर कुल 388 11) रु. व्यय हुआ है।

हरसोरा बांध की मरम्मत

499. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सरकार ने सिंचाई के लिये बांध बनाने व उनकी मरम्मत कराने के लिये पिछले 5 साल में कितना धन खर्च किया है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पिछले पांच साल में फ्लड रिलीफ के लिये सरकार को भारत सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ है और उसको किस प्रकार किस किस जिले में खर्च किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या अलवर जिले के हरसोरा बांध को बाढ से टूटे हुये करीब 6 साल हो गये हैं मगर अभी तक उसकी तामीर नहीं हुई हैं। उसका क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

राज्य में शराब बन्दी

501. श्री फलचन्द बाफना (सुमेरपुर)। क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राज्य में शराब बन्दी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नवीनतम क्या निर्णय लिये हैं और उन्हे कहां तक अब तक लागू किया गया है व भविष्य में किस किस प्रकार लागू किया जायेगा ?

उत्तर

मद्य-निषेध के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगले तीन वर्ष की अवधि में पूर्व-निर्धारण कार्यक्रम (फेन्ड प्रोग्राम) के द्वारा राजस्थान राज्य में पूर्ण मद्य-निषेध लागू कर दिया जावे। इस वर्ष, क्योंकि ठेके आदि दिये जा चुके हैं अतः अप्रेल, 1969 से कार्यवाही प्रारम्भ करदी जावे।

कार्यक्रम यह होगा कि वर्ष 1969-70 में दुकानें 2 दिन प्रति सप्ताह, वर्ष 1970-71 में 4 दिन प्रति सप्ताह और वर्ष 1971-72 में 6 दिन प्रति सप्ताह बन्द रहेंगी। इसके पश्चात् पूर्ण नशा बन्दी लागू की जावेगी।

ग्राम पंचायत अरड़की के सरपंच द्वारा भूमि का बेचान

502. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में ग्राम पंचायत अरड़की कस्बा नोहर के पास ही है ?

(2) क्या यह सही है कि सरपंच द्वारा 2 रुपये प्रतिगज दर को भूमि को 10 पैसा प्रति गज की दर में बेच कर भारी नुकसान किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि मंडी एरिया से 2 मील के नजदीक बगैर सरकार की अनुमति लिए पंचायत की भूमि नहीं बेची जा सकती ? यदि हां, तो अरड़की पंचायत के सरपंच द्वारा कुल कितनी भूमि के पट्टे किए गए हैं तथा किस की मंजूरी से किए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

Page No 21

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। तीन मील के अन्दर 205 व्यक्तियों को भूमि विक्रय की गई है और उसकी स्वीकृति नहीं ली गई। पट्टे दिये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, बहादुरवास का भवन

503. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, बहादुर वास जिला झुंझुनूं का भवन बन कर तैयार हुए चार साल हो गये हैं परन्तु विभाग ने अभी तक चिकित्सालय का चार्ज निर्माण विभाग से नहीं लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बहादुर वास की जनता की तरफ से वहां की विकास समिति चिकित्सालय को नये भवन में ट्रांसफर करने की मांग कई दफा की ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों के रहने के लिये आवास गृहों को भी बने चार साल हो गये ? यदि हां, तो उनको संबंधित कर्मचारियों को रहने के लिये आवंटन क्यों नहीं किया गया ? इनसे विभाग का कितने रुपये का किराये का घाटा हुआ ? इसमें ढिलाई किस अधिकारी को हुई तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी हां। नये भवन में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक 23-[illegible]-68 से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(3) कर्मचारियों ने नये बने आवास गृहों में रहना शुरू कर दिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पंचायत समिति उमरेण का ट्रेक्टर

504. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति उमरेण जिला अलवर में कोई ट्रेक्टर है और क्या यह ट्रेक्टर किराये पर ग्राम किसानों को दिया जाता है ? यदि हां, तो किराये की दर क्या है ?

(2) पंचायत समिति में ट्रेक्टर किस अधिकारी के चार्ज में है ? उसको वहीं पर ले जाने की इजाजत कौन देता है ?

(3) क्या ट्रेक्टर की कोई लॉग बुक है ? यदि हां, तो 15-11-67 से 15-[illegible]-68 तक इस ट्रेक्टर ने कहां कहां और कितना कितना काम किया ? इस पीरियड की लॉग

Page No 22

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बुक की नकल सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ट्रैक्टर के नफे नुकसान का हिसाब पंचायत समिति में बनाया जाता है? यदि हां, तो यह ट्रैक्टर जब से खरीदा गया उसका अब तक जो भी हिसाब किताब नफे नुकसान का है वह सदन की मेज पर रखें।

(5) दिनांक 27-11-67, 30-11-67, 7-12-67, 9-12-67, 18-12-67, 2 -12-67 से 23-12-67 एवं 1 -12-68 को ट्रैक्टर ने क्या क्या काम किया? लॉग-बुक में दर्ज होने के अलावा यदि ट्रैक्टर इधर उधर अनाधिकृत काम करे तो उसका चैकिंग किस प्रकार रखा जाता है? क्या उक्त दिनों ट्रैक्टर द्वारा कुछ अनाधिकृत काम करने के तथ्य सामने आये हैं? यदि हां, तो ट्रैक्टर ने कहां कहां ऐसा काम किया और किस की आज्ञा से?

उत्तर

(1) जी हां। किराए की दर की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) ट्रैक्टर कृषि प्रसार अधिकारी के चार्ज में है। लेजाने की इजाजत विकास अधिकारी के द्वारा दी जाती है।

(3) जी हां। लॉग बुक की नकल सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। हिसाब आय-व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) इन तारीखों में ट्रैक्टर ने जो काम किया उसका इन्द्राज लागबुक में है। ट्रैक्टर के काम का चैकिंग कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा अनाधिकृत काम करने के तथ्य सामने नहीं आये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

जिला झालावाड में राष्ट्रीय बचत कोष के लिए एकत्रित राशि

5 8. श्री विट्ठल प्रशाद शर्मा (अकलेरा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड जिले की तहसिलों में राष्ट्रीय बचत कोष के नाम पर किस किस तहसील से कितनी कितनी राशि एकत्रित की गई?

(2) जिन कृषकों से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की धनराशि ली जा रही है, क्या उन्हें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हाथों हाथ नहीं दिये जा रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि कई पटवारियान बिना रसीदों के ही रकम संग्रह कर रहे हैं?

(4) क्या यह भी सत्य है कि आज से 6–7 साल पहले जिन कृषकों से इसी प्रकार एन. एस. सी. के नाम पर जो राशि इकट्ठी की गई थी उन्हें आज तक भी एन. एस. सी. प्राप्त नहीं हुए हैं?

(5) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उन एन. एस. सी. का भुगतान वाला वाला पोस्ट आफिसों से एजेन्टों द्वारा हो चुका है?

Page No 23

(श्री विट्ठल प्रशाद शर्मा)

(6) क्या सरकार इस सम्बन्धी कोई जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसीलों द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना में प्रत्येक के आगे लिखी राशि एकत्रित की गई—

झालरापाटन	73[illegible]86–00
पिड़ावा	109373–48
पचपहाड़	[illegible]7[illegible]5[illegible]–00
खानपुर	411[illegible]0 00
अकलेरा	14340–00
गंगाधर	65800-00

(2) एजेन्टों द्वारा रकम प्राप्त होती है और रकम प्राप्ति की रसीद उनको एजेन्टों द्वारा दे दी जाती है। जब पोस्ट आफिस से एन.एस.सी. बनकर आती है तो वितरण कर दिये जाते हैं।

(3) इस प्रकार की कोई शिकायत इस कार्यालय में नहीं है।

(4) साधारणतया जो राशि ली गई उसके एन.एस.सी. भी दे दिये गये। सन् 62 में कुछ मामले में एन.एस.सी. समय पर नहीं दिये जाने की शिकायत आई थी। सब पोस्टमास्टर सुनेल द्वारा जमा की गई रकम का गबन कर लिया गया था उस पर मुकदमा चलाया गया। उसको दिसम्बर 65 में सजा हुई। इस मुकदमे के सिलसिले में कुछ रसीद बुकें तहकीकात के दौरान ले ली गई थीं और इसकी वजह से एन.एस.सी. देने में देर हो गई। जिन व्यक्तियों को एन.एस.सी. नहीं मिले उनकी रकम वापिस करने की कार्यवाही पोस्ट विभाग को कर दी गई है।

(5) रेकार्ड के अनुसार इस प्रकार की कोई शिकायत आना नहीं पाया।

(6) जब कोई शिकायत ही नहीं आयी तो जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायतों में ग्रुप सचिवों की योजना

50[illegible]. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायतों में ग्रुप सचिवों की योजना लागू करने से पंचायतों में कार्य कर रहे सचिव बेकार हो गये हैं? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सचिवों को ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देने के लिये भेजने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के अनुसार कितने सचिवों को प्रशिक्षण में भेजा गया ?

(3) जो भी पंचायत सचिव काम कर रहे हैं उनको आगे नौकरी देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) लगभग 800 सचिवों के बेकार होने का अनुमान है।

Page No 24

(पंचायत मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जो पंचायत सचिव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं आयु के हों उन्हें प्रशिक्षण देने तथा उनको पंचायत सचिव सेवा में समाविष्ट करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तबादला आदि के रिवीजन के मामले

510. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोलोनाइजेशन विभाग में भाखरा व गंग कैनाल क्षेत्र के जमीन आवंटन व जमीन तबादला के मामले में गत दो वर्षों में कितनी रिवीजन एप्लीकेशन किस किस स्थान को किस किस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई, और कितने प्रार्थना-पत्रों पर फैसला हो चुका है कितने विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) ऐसी किस किस व्यक्ति व स्थान की कितनी रिवीजन एप्लीकेशन अस्वीकृत होने के बाद उनमें रिव्यू की दरख्वास्तें प्रस्तुत हुई और किस रिव्यू में रिवीजन का फैसला बदला गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) रिवीजन की रिव्यू एप्लीकेशन अस्वीकृत होने के बाद किस किस व्यक्ति के कितने मामलों में दूसरी व तीसरी बार रिव्यू एप्लीकेशन प्रस्तुत हुई और ऐसी दूसरी व तीसरी बार रिव्यू से रिवीजन के फैसलों को बदला गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सन् 1967 व 1968 के वर्षों में प्राप्त निगरानी व नजरसानी के जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और जिन पर निर्णय दिया गया और जो विचाराधीन है उनकी सूची संलग्न है।

(2) अलग से इसका कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

(3) अलग से इसका कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

जोधपुर मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्धित अस्पतालों के डाक्टरों के वेतन का भुगतान

511. श्री ओमेदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर मेडिकल कालेज एवं सम्बंधित अस्पतालों में कितने अध्यापक और अन्य डाक्टर काम कर रहे हैं?

(2) इनमें से कितनों को इस समय वेतन पर्सनल पेमेन्ट के रूप में मिल रहा है?

(3) पर्सनल पे-स्लिप की अवधि (पीरियड) कितने समय की होती है?

(4) पर्सनल पे-स्लिप के लिए कौनसा विभाग लिखता है (मूव) व किस किस विभाग से होकर सम्बन्धित अध्यापक (डाक्टर) के पास पहुंचती है? इसकी पूरी विधि की जानकारी दें।

(श्री ओमदत्त भाटी)

(5) क्या पर्सनल पेमेन्ट की व्यवस्था के कारण इन डाक्टरों को वेतन प्रति मास समय पर मिल जाता है ? अगर नहीं, तो क्या इस व्यवस्था को ठीक करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अध्यापक डाक्टर 60

अन्य डाक्टर 42

(2) करीब 75 प्रतिशत डाक्टरों को प्रोविजनल पेमेन्ट दिया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष के आखिर तक।

(4) प्रोविजनल पेमेन्ट जिन डाक्टरों को दिया जाता है उनके लिए सम्बन्धित महाविद्यालयों के आचार्यों द्वारा प्रस्ताव भेजे जाते हैं, इसके बाद वित्त विभाग की सहमति लेकर आदेश चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग द्वारा प्रति वर्ष पचलित कर दिए जाते हैं।

(5) जी नहीं। भविष्य में इसकी व्यवस्था के लिए सरकार जागरूक है।

मांडल तालाब और सिंचित भूमि

513 श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) मांडल तालाब के अन्तर्गत कितनी सिंचित भूमि आती है ?

(2) क्या यह सही है कि मांडल तालाब के कैचमेन्ट एरिया में लगभग अन्य निर्माण कार्य हुए हैं जिससे मांडल तालाब में आने वाले पानी में रुकावट आई ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्य होते समय मांडल क्षेत्र के काश्तकारों ने ऐतराज किया था जिसके उत्तर में मांडल तालाब का कोठा बनाने का आश्वासन दिया तथा बराबर 5 साल तक पानी किसानों को दिया एवं तालाब कोठे के रूप में रखा गया ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार इस योजना से मुकर रही है ?

(5) मेजा बांध बनने के पूर्व मांडल तालाब से जितनी भूमि सिंचित होती थी उतनी ही भूमि सिंचित होती रहे इस दृष्टि से सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) 2206 बीघा 5 बिस्वा

(2) जी नहीं। इस विभाग द्वारा कोई तालाब नहीं बनाया गया।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) तालाब को भरने के लिये कोई नई योजना नहीं है। केचमेन्ट एरिया में अच्छी बरसातें होने पर ही तालाब पहिले के अनुसार भर सकता है।

जिला सिरोही के वाड़ा खेड़ा बीड से वार्षिक आय

514. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) राज्य सरकार के जिला सिरोही के बाड़ा खेड़ा बीड से वार्षिक कितनी आय व

Page No 26

(श्री भवरलाल)
कितना खर्चा होता है ?

(2) क्या यह सच है कि इस जंगल से घास के अलावा अन्य कोई आय नहीं होती है ?

(3) क्या यह भी सच है कि कृषि पैदावार की दृष्टि से यह जमीन अति उत्तम है ?

(4) क्या यह भी सच है कि वर्षा भी इस जिले में सबसे अधिक होती है।

(5) क्या यह भी सच है कि इस जंगल में से कुछ दूसरी स्टेट के लोगों ने जमीन कनवर्शन करा के फार्म बना लिए हैं ? यदि हां, तो किस किस ने ?

(6) क्या यह भी सच है कि उन फार्म को देखकर हमारे राज्य के लोगों का इरादा भी वहां फार्म्स बनाने का हुआ है ?

(7) यदि हां तो सरकार इस जंगल की जमीन को कब तक कृषि में परिवर्तित कर रही है ?

उत्तर

(1) बाडा खेडा बीड से वार्षिक आय 33452।– व व्यय 10956। – है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न नही उठता।

(7) प्रश्न नहीं उठता।

जंगलात की भूमि पर जबरन कब्जा कर कृषि फार्म का निर्माण

51४.(ए) श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, छीपा बडोद जिला कोटा ने ग्राम अमलाबदा में कृषि फार्म बनाने के लिये जंगलात की जमीन पर जबरन काश्त की थी ? यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ, कितने कितने रकबे में कौन कौन सी जिन्सें बोई गई एवं उससे क्या आमद हुई ? इसका परिणाम संतोषप्रद रहा ? यदि नहीं तो इस हेतु क्या कदम उठाया गया ?

उत्तर

जी नहीं।

ग्राम मंडाना की डिस्पेन्सरी में नर्स की व्यवस्था

515. श्री वृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मंडाना ग्राम कोटा से करीब 20 मील दूर है और वहां पर कम्पाउण्डर डिस्पेंसरी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस डिस्पेंसरी से दूर दूर तक के ग्राम सम्बन्धित हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इतने बड़े क्षेत्र के होते हुए भी वहां पर डिलेवरी कराने के लिये कोई नर्स का प्रबन्ध नहीं है ?

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

(4) क्या यह भी सही है कि नर्स न होने से कई ग्रामीण स्त्रियां मर जाती हैं ?

(5) यदि हां, तो सरकार उक्त डिस्पेंसरी में कब तक नर्स भेजने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

गैस टरबाइन, कोटा

516. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केन्द्रीय सरकार ने कोटा स्थित टरबाइन से उत्पन्न बिजली की कीमत को कम करने की दृष्टि से हाई स्पीड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में छूट किस तारीख को की और किन शर्तों पर की है ?

(2) इस नियमितता के उपरांत टरबाइन से उत्पन्न बिजली की प्रति यूनिट कीमत क्या आती है और इससे किन किन उद्योगों को बिजली दी जा रही है ? उसकी न्यूनतम दर क्या है और वह किन किन की है ?

(3) जून 1967 से लेकर अब तक कुल कितने दिन यह टरबाइन बन्द रहा और खरीदने से लेकर अब तक कितने घंटे टरबाइन बन्द रहा और कितने घंटे चालू रहा ?

(4) इस टरबाइन पर अब तक कितने रुपये खरीदने के बाद खर्च हो चुके हैं और इससे अब तक कितनी आमदनी हुई है ?

(5) क्या इस गैस टरबाइन को गुजरात सरकार को बेचने की सरकारी स्तर पर कोई वार्ता चल रही थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) 31–3–67 को शर्त यह थी कि छूट दिये गये हाई स्पीड डीजल का उपयोग केवल गैस टरबाइन चलाने के लिये किया जावेगा। वह छूट 1–4–67 से 31–7–67 तक दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए दी।

(2) 30 पैसे प्रति के. डब्ल्यू. एच. आती थी। इस समय किसी को नहीं दी जा रही है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) गैस टरबाइन जून, 1967 से अब तक पूर्ण रूप से बंद है। 3–3–66 को गैस टरबाइन 1757.4 घंटे चला।

(4) टरबाइन के चलाने तथा मैन्टीनेंस पर 50,08,939.64 पैसे तथा केपीटल खर्चा 5,99,223.57 कुल खर्चा 56,08,163.21 का हुआ। आमदनी का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा गया है।

(5) जी हां। अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है।

Page No 28

चम्बल भू-संरक्षण योजना के अन्तर्गत ग्राम तीमडी में ऋण एवं अनुदान के रूप में दी गई राशि

517. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल भू-संरक्षण योजना के अधीन ग्राम तीमडी तहसील भैंसरोडगढ में भूमि सुधार के लिये ऋण व अनुदान दिया गया है ?

(2) अगर हां तो किस किस को कितना कितना कब कब किस रूप में दिया गया है ?

(3) उपरोक्त राशि कौन से नियमों के अधीन किस शर्त पर दी गई ?

(4) उपरोक्त राशि कितनी भूमि के लिये दी गई है ? कृपया भूमि के खसरा नं. व रकबा बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री जवानसिंह राजपूत निवासी नीमडी को

दिनांक	ऋण	अनुदान
18-10-68	4895.20	4895.20
22-12-68	2625.85	2625.85
	7521.05	7521.05

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात 50:50 में ऋण व अनुदान दिया गया है। इस हेतु ड्राफ्ट रूल्स राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) 231 एकड़ भूमि के लिए जिसके निम्न 13 खसरा नम्बर हैं:—

311, 312, 313, 314, 315, 4 711, 8, 911, 912, 913, 914, 915.

चीनी वितरण व्यवस्था और चैरिटी फण्ड

519. श्री हरि बल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चीनी वितरण व्यवस्था में राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में चैरिटी फंड कायम कर रखा है ? यदि हां, तो इस फंड में 1967-68 एवं 1968-69 के वित्तीय वर्षों में प्रत्येक जिले में कितनी कितनी राशि एकत्रित हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस फंड में राशि एकत्रित करने का क्या तरीका है ? एवं इसको किसी सार्वजनिक कार्य में लगाने की स्वीकृति देने का क्या तरीका है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस फंड के व्यय की स्वीकृति हेतु कोई अराजकीय समिति प्रत्येक जिले में बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(4) सवाई माधोपुर जिले में वित्तीय वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 में इस चैरिटी फंड में किस किस काम में कितना राशि व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) खाद्य विभाग द्वारा सूजी, मैदा, आटा, चीनी, चावल आदि के भाव नियत करते समय भिन्न (FRACTION) को पूर्णांक में परिवर्तित किया जाता है तथा इस तरह वास्तविक भाव और परिवर्तित भाव (Rounded off Price) में जो अन्तर फलीभूत होता है उसे इस फन्ड में जमा कर दिया जाता है।

इस फंड में से सार्वजनिक कार्यों हेतु जो पैसा दिया जाता है उस सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मंत्री तथा सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा लिया जाता है।

(3) जी नहीं, कारण इस प्रकार के तरीके से सार्वजनिक कार्यों हेतु पैसा देने में काफी विलम्ब होता है।

(4) सवाई माधोपुर जिले में इस फंड से सन् 1967–68 में निम्न राशि व्यय की गई :—

नाम संस्था	दी गई रकम	उद्देश्य
(1) हायर सेकेन्डरी स्कूल, चौडागांव	1000/- रु.	स्कूल भवन की मरम्मत हेतु।
(2) हायर सेकेन्डरी स्कूल, बोंली	5000/- रु.	स्कूल भवन निर्माण हेतु।
(3) आयुर्वेदिक औषधालय, खिलमीपुर	500/- रु.	औषधालय की बाउन्डरी के निर्माण हेतु।

वर्ष 1968–69 में चेरिटी फंड से कोई धन राशि व्यय नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

सिंचाई डिवीजन

522. श्री गंगासहाय (कठूमर–सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सिंचाई विभाग के दो डिवीजन चले आ रहे थे जिनको तोडकर अब केवल एक डिवीजन ही रखा गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर डिवीजन में अनेक नये सिंचाई डिवीजन खोल दिये गये हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(17-3-69)

उमरावखां एग्रीकल्चर स्कीम

316. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उमराव खां एग्रीकल्चर स्कीम जो बढेल फालना एक्स्टेंशन पर स्थित है, उसको कब बनाया गया था ?

(2) उस स्कीम के अन्तर्गत कितने प्रार्थना-पत्र पेश हुए थे ?

(3) यह स्कीम किस तारीख को स्वीकृत हो गयी थी ? क्या यह सही है कि बाद में आने वाले प्रार्थना-पत्रों के आधार पर लोगों को फालना एवं खुडाला में कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस स्कीम को वित्तीय वर्ष 1963-64 के माह जुलाई 1963 में बनाया गया था।

(2) इस स्कीम के अन्तर्गत 9 प्रार्थियों ने एक सम्मिलित प्रार्थना पत्र पेश किया था। इस स्कीम की स्वीकृति ता. 28-2-64 को हुई थी।

(3) हां यह सही है कि फालना खुडाला में बाद में आने वाले प्रार्थना-पत्रों के आधार पर प्राथमिकता और नियमानुसार कनेक्शन दिये गये हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(17-3-69)

डीडवाने में पशु मेला एवं उससे आय

333. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा एक पशु मेला लगाया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त पशु मेले से कितनी कितनी आय और कितना व्यय किस किस वर्ष के मेले में किस किस मद में हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या मेले में जो खर्चा हुआ है वह पंचायत समिति की पूर्व अनुमति से हुआ ?

(4) क्या राज्य सरकार को कोई ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि उक्त मेलों में खर्चा अनावश्यक व अनियमित रूप में हुआ है ? यदि हां, तो कौन कौन सी शिकायतें कब कब प्राप्त हुई और राज्य सरकार ने उन पर क्या क्या कार्यवाही किस किस अधिकारी के खिलाफ कब कब की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त मेले के हिसाब का जिन जिन वर्षों का आडिट हो चुका है उन वर्षों

(श्री हरजीराम बुरडक)
की आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन को मेज पर रखने को कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1960 से।

(2) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(3) सबंधित स्थायी समिति की स्वीकृति से खर्चा हुआ।

(4) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(5) सन् 61-62, 62-63 63-64 तथा 66-67 का ऑडिट हुआ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न

(17-3-69)

सवाई माधोपुर जिले की नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर का हिस्सा

338. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले की नगरपालिकाओं को 1968-69 में कितना कितना रुपया मनोरंजन कर का अनुदान में दिया गया था? तथा सन 1967-68 में कितना दिया गया था?

(2) किस किस नगरपालिका सीमा से मनोरंजन कर के रूप में कितना कितना रुपया राज्य सरकार को प्राप्त हुआ? कृपया सन् 1967-68 व 1968-69 की जानकारी दें?

(3) इस प्रकार नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर का कितना प्रतिशत उक्त सालों में देय हुआ है?

(4) क्या सरकार नियम के अनुसार 85 प्रतिशत देने का विचार रखती है?

उत्तर

सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत नगर पालिकाओं को वर्ष 1967-68, व 68-69 में प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार अनुदान स्वीकृत किया गया है:—

क्रम संख्या	नगरपालिका का नाम	राशि
1.	सवाई माधोपुर	रु. 1460)
2.	करौली	रु. 294)
3.	गंगापुर	रु. 975)
4.	हिन्डौन	रु. 1779)

(वित्त मंत्री)

(2) वर्ष 67-68 एवं 68-69 में उक्त नगरपालिकाओं को सीमा से मनोरंजन कर के रूप में निम्न राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई:—

		67–68	68–69 (केवल 31-1-1969 तक)
1.	सवाई माधोपुर	32138.66	37168 24
2.	करौली	16135.70	15625.72
3.	गंगापुर	37149.57	36192.42
4.	हिण्डौन	7788.08	9708.09

(3) सन् 1967–68 में दिये गये अनुदान एवं राज्य सरकार को प्राप्त राशि का प्रतिशत निम्नांकित है । सन् 1968–69 अभी समाप्त नहीं होने से सही प्रतिशत अंकित नहीं किया जा सकता ।

		67–68
1.	सवाई माधोपुर	4.54 प्रतिशत
2.	करौली	1.81 प्रतिशत
3.	गंगापुर	2.62 प्रतिशत
4.	हिण्डौन	22.84 प्रतिशत

( ) 85 प्रतिशत नगरपालिकाओं को देने का कोई नियम नहीं है । जो सबसिडी नगरपालिकाओं को दी जाती है वह राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम की धारा 14 के तहत दी जाती है । सबसिडी की रकम को बढाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र फलौदी

357. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि फलौदी जिला जोधपुर में जनता के धन व सहयोग द्वारा प्रसूति व शिशु कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण राज्य सरकार की अनुमति से गत तीन वर्ष पूर्व किया गया था ?

(2) क्या प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र को प्रारम्भ कर दिया गया है ? अगर नहीं तो किन कारणों से उसे लम्बी अवधि के उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है ?

(3) क्या 1969–70 के वितीय वर्ष में इसको चालू करने का सरकार का विचार है ? अगर नहीं, तो कब तक करने का इरादा है ?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(4) क्या फलौदी तहसील की जन-संख्या सन् 1961 की गणना के अनुसार एक लाख 23 हजार है? अगर हां, तो इसके बावजूद भी महिलाओं व बच्चों की चिकित्सा सम्बन्धी क्या क्या व्यवस्था विद्यमान हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र बन कर तैयार हो गया है परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस विभाग को सुपुर्द नहीं किया है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सुपुर्द करने पर ही सम्भव हो सकेगा।

(4) जी हां। राजकीय अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनान्तर्गत नहर एवं लिफ्ट इर्रीगेशन पर होने वाला खर्च

358. श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि का प्रावधान निश्चित किया गया है तथा उसमें से राजस्थान नहर एवं लिफ्ट इर्रीगेशन में कितना खर्च होगा तथा उसका निर्माण कार्य कितने वर्षों में समाप्त होगा?

उत्तर

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः राजस्थान नहर व लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम का प्रावधान बताना अभी संभव नहीं है।

विद्युत् व्यवस्था–जैतारण तहसील

359. श्री शंकर लाल (जैतारण): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जैतारण तहसील के गांव बलून्दा और आनन्दपुर कालू में बिजली लाइन पड़े करीब दो वर्ष हो गये हैं परन्तु वहां के काश्तकारों को और बाजार में कहीं भी बिजली अभी तक नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक बिजली दे दी जायगी?

उत्तर

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत् क्षमता

360. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान प्रान्त में विद्युत् की प्रतिष्ठापित एवं दृढ़ क्षमता कितनी है? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विद्युत् के बढाने के लिए विभिन्न जिलों में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है?

(विद्युत् मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान की इस समय प्रतिष्ठापित क्षमता 47 व 78 तथा दृढ़ क्षमता 2265 मेगावाट है। तालिका 'म' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिलेवार तथ्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

तहसील खानपुर में ग्राम की सरहद से लगता हुआ नाहरिया रकबा

361. श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम आंकोदिया तहसील खानपुर में ग्राम की सरहद से लगता हुआ "नाहरिया" नाम से जाना जाने वाला रकबा महकमा जंगलात के नम्बरों में शामिल है और इस पर काश्त की जा रही है? यदि हां तो कब से और विभाग द्वारा इस रकबे के बाबत क्या निर्णय लिया गया है?

(2) क्या 'नाहरिया' में काली सिन्ध पिकअप वेयर से सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं और इसी कारण इस रकबे को काश्त करने के लिए लोगों ने मांगें की हुई हैं? यदि हां, तो वन विभाग व राजस्व विभाग ने मिलकर इस रकबे के बाबत क्या हल निकाला है? कृपया बतावें।

उत्तर

(1) ग्राम अकोदिया (किरादान) खानपुर तहसील में है और ग्राम आकोदिया (खेलदारान) तहसील सामोद रेन्ज कनवास में है। ग्राम अकोदिया खेलदारान के पास नाहरिका नाम का कोई रकबा नहीं है, न कोई इस तरह की भूमि वन विभाग के कब्जे में हो, रेन्ज कनवास में है अतः उस पर कटाई का और काश्त के लिये एलाट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) सिंचाई के साधनों का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है। किन्तु क्योंकि ग्राम आकोदिया तहसील सामोद में नाहरिया नाम की कोई वन भूमि नहीं है। अतः उक्त भूमि को राजस्व विभाग में मिलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा जिले की वन उपजों की नीलामी

362. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में एक ही प्रकार की वन उपज जैसे पत्ता तेन्दू, गोंद, शहद, मोम आदि के ठेके महकमा जंगलात, पी. डब्ल्यू. डी. ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियें, जागीरदारान आदि द्वारा पृथक् पृथक् नीलाम करवाये जाते हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार के पुकराये जाने वाले ठेकों से राज्य सरकार की आमदनी में बाधा पड़ती है? यदि हां, तो फिर सरकार कोई अन्य व्यवहारिक कदम क्यों नहीं उठाती है कि जिससे ठेकेदारों व राज्य सरकार दोनों की सुविधा हो व राज्य सरकार की आमदनी में भारी वृद्धि हो?

उत्तर

(1) जी हां। पत्ता तेंदू, गोंद, शहद मोम जैसी छोटी वन उपज के ठेके वन विभाग

(वन मंत्री)

राजस्व विभाग तथा पंचायतों द्वारा पृथक् पृथक् पुकरवाये जाते हैं।

(2) जी हां। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चूरू जिले के अकाल ग्रस्त घोषित गांव

363. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि चूरू जिले के 107 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया गया था ?

(ख) चूरू जिले में कितने स्थानों पर अकाल राहत कार्य शुरू किये गये ? और हर अकाल राहत कार्य पर कितने कितने मजदूर लगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) चूरू जिले के लिए कितनी धनराशि अकाल राहत कार्यों के लिए अक्टूबर, 68 से 15 फरवरी, 1969 तक मंजूर हुई और इसी अरसे में बाड़मेर, जालौर, सिरोही पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों के लिए कितने कितने मंजूर हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(घ) चूरू डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ङ) क्या यह सही है कि सरकार ने यह नीति अपनायी है कि चूरू जिले में दस हजार से ज्यादा मजदूर न लगाये जावे ? यदि हां, तो क्यों ?

(च) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन, कोटा डिवीजन, पाली, सिरोही व सीकर में अकाल न होते हुए भी रुपये ऐंठने के लिए ही उन्हें अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है ?

उत्तर

(क) जी नहीं। इस वर्ष चूरू जिले के 834 गांव अभावग्रस्त घोषित हुए हैं।

(ख) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(ग) चूरू जिले के लिये अक्टूबर, 68 से 15 फरवरी, 69 तक 27 लाख रु. की स्वीकृति दी गई है। इसी अरसे में बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुन्झुनू, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर के लिये स्वीकृत प्रावधान की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(घ) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

घास का प्रबन्ध

364. श्री शंकरलाल (बैतारण): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के विभिन्न गांवों में घास का प्रबन्ध करने हेतु कितना घास कहां कहां से किस किस कीमत पर खरीदा गया और उस घास का वितरण किस प्रकार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

राहत कार्य पर नियुक्त मजदूर

365. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न अकाल-ग्रस्त इलाकों में किन जिलों में कितने मजदूर राहत कार्य पर नियुक्त करने की स्वीकृति सम्बन्धित कलेक्टर्स को दी गई है ?

(2) किस जिले में कितने मजदूर आज की तारीख में राहत कार्य पर नियुक्त हैं ?

उत्तर

(1) अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों पर श्रमिकों को लगाने के सम्बन्ध में जिलाधीशों को कोई सीमा निर्देश नहीं दिये गये हैं। समय समय पर कार्य संचालन के लिये निर्देश अवश्य दिये जाते रहे हैं।

(2) दि. 16–3–69 को जिलेवार राहत कार्यों पर लगे हुए श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बाढ एवं अकाल पीडितों के सहायतार्थ एलाट की गई धनराशि

366. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 1968-69 में बाढ़ एवम् अकाल पीडितों को सहायतार्थ क्रमश: कितनी कितनी राशि दी गई है और वह किस किस मद में कितनी कितनी सरकार द्वारा एलाट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अलाट शुदा राशि में से सवाई माधोपुर जिले में बाढ की क्षति पूर्ति हेतु किस किस मद में किस किस कार्य हेतु कितनी कितनी राशि एलाट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 68–69 में बाढ़ एवं अभावग्रस्त लोगों की सहायतार्थ क्रमशः जितना जितना प्रावधान स्वीकृत किया है, उसकी मदवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

छीपा बडोद व छबड़ा पंचायत समितियों के ट्रेक्टर

367. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद व छबड़ा पंचायत समितियों के पास अलग अलग ट्रेक्टर हैं ? इनको पृथक् पृथक् कितना कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

(2) छीपाबड़ौद पंचायत समिति के ट्रेक्टर द्वारा 1 जनवरी से 31 दिसम्बर सन् 68 तक कितनी हकत जमीन, बंजर जमीन नोतोड़ की गई ? यदि की गई तो किस रेट पर ?

(3) क्या उपरोक्त तारीखों के बीच में ट्रेक्टर द्वारा फाड़ी गई या हांकी गई जमीनों से जो आय हुई है उसमें से भी कुछ रकम रेट के मुताबिक होने पर भी बाकी है ? अगर हां, तो किन लोगों में और क्यों ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) 19 बीघा पड़त और 92 बीघा हकत जमीन फाड़ी गयी। पड़त जमीन 20) रु. प्रति बीघा व हकत जमीन 14) रु. प्रति बीघा आंकी गयी।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पंचायत कोष की रकम के दुरुपयोग के मामले

368. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1963 की धारा 17 (4) के परन्तुक के अन्तर्गत अब तक कुल कितने व्यक्तियों के विरुद्ध फाइन्डिग्स रिकार्ड की गई ?

(2) सरकारी अनुदान अथवा पंचायत कोष की कुल कितनी रकम का दुरुपयोग किये जाने के आरोप इन व्यक्तियों पर थे ?

(3) क्या रकम इनसे वापिस वसूल की गई ?

(4) क्या इन व्यक्तियों का सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में अदालत में चालान किया गया ?

(स्थगित किया गया)

सरदार शहर पंचायत समिति की महिला सदस्याओं के रिक्त स्थानों के चुनाव

369. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर पंचायत समिति की दो महिला सदस्याओं के स्थान राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ. 23 (19) सी. पी. एम./66/3813 दिनांक 17-4-67 के द्वारा रिक्त घोषित कर दिये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति की ओर से अनेक बार इन खाली स्थानों के चुनाव करवाने के लिए लिखा गया है ? यदि हां, तो अभी तक चुनाव न करवाने के क्या कारण हैं ?

(3) अब कब तक रिक्त स्थानों के चुनाव करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 11 जुलाई 1967 सहवरण के लिये निश्चित की गई थी परन्तु सरकार ने कृषि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आदेश दि. 12–7–67 से पंचायत राज संस्थाओं में निर्वाचन रोक दिये थे।

(3) सम्भवतया माह मार्च, 1969 के अन्त तक चुनाव हो सकेंगे।

पंचायत समिति सरदार शहर द्वारा स्वीकृत आदर्श उप-नियम

370. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सरदार शहर ने अपनी बैठक दिनांक 13-10-65 में पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा भेजे गये आदर्श उप-नियम स्वीकार किए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी द्वारा पत्र संख्या पास।उप।नियम। 66।668 दिनांक 24-2-66 के द्वारा स्वीकृति हेतु जिलाधीश भेजे गये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश के निरीक्षण के बारे में भी यह मसला आया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन उप-नियमों की स्वीकृति हेतु विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की ओर से जिलाधीश को अनेक स्मरण-पत्र दिए गए हैं ?

(5) इतने लम्बे समय तक बार बार स्मरण-पत्र देने और निरीक्षण नोट में आने के उपरान्त भी जिलाधीश द्वारा उप-नियम की स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ? अब कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ? इन नियमों की स्वीकृति के अभाव में अब तक जो कार्य हुआ है उसका क्या होगा ? क्या वह वैध है ?

(6) क्या यह स्वीकृति तुरन्त देनी आवश्यक नहीं थी ? यदि हां, तो इतना अधिक विलम्ब करने के लिए कौन जिम्मेदार है और इसके विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? नियमों के अभाव में पंचायत समिति को जो हानि हुई है या होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां ।

(5) उप नियमों में अंकित अनेक बिन्दुओं के सम्बन्ध में पंचायत समिति तथा राज्य सरकार के स्पष्टीकरण मांगे जाने तथा उप जिला विकास अधिकारी चूरू का पद भी पिछले कई महीनों से रिक्त होने से देरी हुई । अब नियम स्वीकृत कर 15-3-69 के पत्र द्वारा भिजवा दिये गये हैं । इसके पूर्व पुराने उप-नियम लागू माने जायेंगे ।

(6) उपनियमों के सम्बन्ध में विस्तृत जांच तथा सम्बन्धित अधिनियम व नियमों का अध्ययन कर स्वीकृति दी जाती है जिसके लिये समय लगना आवश्यक है । उप-नियमों के अभाव में पंचायत समिति को कोई हानि होना सम्भव नहीं है । चूंकि स्थाई समिति की कार्यवाही को पंचायत समिति की साधारण बैठक में अनुमोदन कर नियमित किया जा सकता है जिसके लिये अधिनियम व नियमों में प्रावधान उपलब्ध है ।

ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों का आडिट

371. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि प्रति वर्ष ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों का लोकल फन्ड आडिट द्वारा आडिट किया जाता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि आडिटर्स द्वारा जो भी आक्षेप लगाए जाते हैं उनका फालो-अप किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सत्य है कि आज दिन तक कई आडिट्स पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

Page No 39

(पंचायत मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी नहीं जिले के जिलाधीश नियन्त्रण अधिकारी हैं वहीं ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के लोकल फण्ड आडिट के प्रतिवेदनों की पालना के सम्बन्ध में कार्यवाही करवाते हैं।

पंचायत समिति लाडनूं में अस्थाई नियुक्तियां

372. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लाडनूं जिला नागोर में कुल कितने कर्मचारी कब कब से पंचायत समिति व जिला परिषद् सिलेक्शन कमीशन द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों के अलावा अस्थायी नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नियमानुसार किन किन सूरतों में उपरोक्त कमीशन द्वारा चुने गये कर्मचारियों के अलावा कर्मचारी कितने कितने समय तक रखे जाते हैं ?

(3) उपरोक्त अस्थाई नियुक्तियों में बनाये गये नियम व सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का कहां तक पालन हुआ और यदि उल्लंघन हुआ है तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन द्वारा चयनित प्रत्याशी के उपलब्ध न होने पर 6 माह के लिए अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किये जा सकते हैं। यह अवधि जिला कर्मचारी वर्ग संस्थापन समिति द्वारा एक वर्ष तक बढाई जा सकती है।

(3) नियमों का पालन हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

खानपुर क्षेत्र में माइनर या मीडियम सिंचाई योजना हेतु सर्वे

373. श्रीमती शिव कुमारी (खानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खानपुर क्षेत्र के ग्राम पीपलाज सारोला, व दूसरी जगहों पर किन किन स्थानों पर माइनर या मीडियम सिंचाई योजना हेतु सर्वे किया गया है और उनकी सर्वे की क्या रिपोर्ट आई है ?

(2) खानपुर क्षेत्र में सर्वे की गई इन योजनाओं से अलग अलग कितने कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकने की संभावना है और उन पर कितनी कितनी लागत लगेगी ?

(3) खानपुर क्षेत्र में कितनी सिंचाई योजनाओं को इसी साल चालू कर देने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) खानपुर क्षेत्र के ग्राम पीपलाज, सारोला, एवं गणेशपुरा इत्यादि माइनर एवं मिडियम सिंचाई योजनाओं का सर्वे किया जा चुका है और उनकी जांच की जा रही है।

(2) इन योजनाओं से निम्न अनुमानित रकबा सिंचित हो सकेगा:—

(क) पिपलाज सिंचाई योजना सिंचित रकबा 1234 एकड़ अनुमानित लागत रु. 23.05 लाख।

(सिंचाई मंत्री)

(ख) सारोला सिंचाई योजना सिंचित रकबा 591 एकड़ अनुमानित लागत रु. 12 लाख ।

(ग) गणेशपुरा सिंचाई योजना सिंचित रकबा 1150 एकड़ अनुमानित लागत 9 लाख रुपये।

(3) यह योजनाओं के बनाने हेतु वन की व्यवस्था पर निर्भर है ।

गुढा बांध की नहरों व माईनरों की सफाई

374. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला बूंदी के सिंचाई खण्ड गुढा बांध की नहरों व माईनरों की सफाई सालाना विभाग द्वारा कराई जाती है ?

(2) गुढा बांध की माईनरों की साफ सफाई के लिये सन् 1966 से 68 तक अलग अलग कितने बेलदारों ने काम किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सफाई करने वाले बेलदार सिंचाई विभाग के मुस्तकिल मुलाजिम हैं या आरजी हैं ? मुस्तकिल कितने हैं और आरजी कितने हैं ?

(4) क्या सफाई का ठेका भी दिया जाता है ? अगर हां, तो कब दिया गया और कितने में दिया गया ?

(5) क्या यह सत्य है कि 1–10–66 से 1–11–66 तक नहरों की सफाई करने वाले बेलदारों को 12–12–68 तक चुकारा नहीं किया गया था ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची मेज पर रखदी है।

(3) सफाई करने वाले बेलदार मुस्तकिल एवं आरजी दोनों प्रकार के हैं, जो उपरोक्त सूची में दिखाये गये हैं।

(4) जी हां, सन् 1967–68 में रु. 2048 का ठेका दिया गया था।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

भकरी, मेरूदार व पीरजी का नाका बांध

375. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भकरी बांध, तहसील परबतसर जिला नागौर व मेरूदार बांध, तहसील डेगाना, व पीरजी का नाका बांध परबतसर को बनाने में कितना खर्चा हुआ और अब तक उनसे कितनी आमदनी हुई ?

(2) इन बांधों से कितनी जमीन में खेती की पिलाई की जाती है और कितनी आय सरकार को होती है ? 1964, 65, 67 व 68 को आय व खर्चा का विवरण देने की कृपा करें।

(3) पीरजी का नाका बांध, परबतसर के टूटने से सरकार को कितना नुकसान हुआ और इस बाढ से कितने खेत खेती लायक नहीं रहे और कितने कुए बाढ से ढह गये और किसानों को कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(1) व्यय व आय निम्न है:—

क्रमांक 1	बांध का नाम 2	कुल व्यय 3	आमदनी 4
		रु.	
1.	भकरी	9,03,000	खचा फरवरी, 69 कार्य प्रगति में है।
2.	भैरुंदा	3,25,000	18989
3.	पीरजी का नाका	2,09,000	1965

(2)

	भैरुंदा					पीरजी का नाका					भकरी
		सिंचाई एकड़ में					सिंचाई एकड़ में				
वर्ष	खर्चा लाखों में	नहर द्वारा	पेटा काश्त	कुल	आमदनी	खर्चा लाखों में	नहर द्वारा	पेटा काश्त	कुल	आमदनी	खर्चा लाखों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1964–65	—	14	—	14	85.70	0.24	14	—	14	85.70	1.22
65–66	0.01	493	—	493	1035.52	0.28	7	12	19	73.12	2.78
66–67	—	446	40	486	3357.45	0.01	79	11	90	1387.22	1.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67–68	—	564	94	658	11090.96	—	21	—	21	419.41	1.05
68–69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42
					18989.04					1665.45	

भकरी बांध का कार्य अभी प्रगति में है। सम्पूर्ण होने पर अनुमानित 2240 एकड़ नहरी व 127 पेटा काश्त सम्भव हो सकेगी।

(3) लगभग एक लाख रुपये का। इस बांध के टूटने से कोई खेत नाकाबिल काश्त नहीं हुआ और न ही कोई कुआ ढहा है। किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ।

थेगडा माइनर

376. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दोगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राइट मेन कैनाल से थेगडा माइनर निकला है ?

(2) इस माइनर से थेगडा की कितनी बीघा जमीन किन किन मालिक की पानी द्वारा सिंचित होती है ?

(3) शेष आदमियों को पानी क्यों नहीं दिया जाता ?

(4) यदि पानी देने का विचार सरकार रखती है, तो यह कार्य कब से किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) थेगड़ा माइनर से अभी तक केवल कोटा महाराव साहब को 418 बीघा जमीन सिंचित होती है।

(3) महाराव साहब कोटा की जमीन के आगे धोरा नहीं बनाया हुआ है।

(4) सरकार पानी देने को तैयार है परन्तु कृषकों द्वारा धोरे नहीं खोदे गये हैं।

टोडारायसिंह की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत

377. श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह)- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र की कितनी नहरें गत बरसात से क्षतिग्रस्त हुई थीं ?

(2) जो नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनकी मरम्मत कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 7 तालाबों की नहरें गत वर्ष में क्षतिग्रस्त हुई थीं।

(2) क्षतिग्रस्त नहरों की आवश्यक मरम्मत कर दी गई है, एवं शेष कार्य पूर्ण करवाया जा रहा है।

भाखरा के पानी का नहरवाइज वितरण

378. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भाखरा नहर में राजस्थान का कुल कितना क्यूसेक पानी है ?

(2) राजस्थान के हिस्से में आने वाले भाखरा के पानी को किस प्रकार नहरवाइज बांटा गया है ? जिसमें से नं. 1 अमरसिंह, नं. 2 जसाना, नं. 3 दक्षिण घग्घर, नं. 4 उत्तर घग्घर, नं. 5 खारा ब्रान्च, नं. 6 सादुल ब्रान्च, नं. 7 करणीसिंह ब्रान्च को कितना कितना ?

(3) क्या इनमें से किसी ब्रान्च में राजस्थान कैनाल का पानी भी चलाया जाता है ? यदि हां तो किस ब्रान्च में और कितनी मात्रा में ?

(सिचाई मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान की सीमा पर कुल 2564 क्यूसेक जल है।

(2) भाखरा की प्रत्येक नहर का जल-प्रवाह निम्न प्रकार है:—

अमरसिंह उप-शाखा	— 355 क्यूसेक
जसाना-शाखा	— 108 ,,
दक्षिण-घग्घर	— 266 ,,
खारा-शाखा	— 225 ,,
करणीसिंह एवं सादुल शाखा	— 1610 ,,

(3) उत्तर घग्घर नहर को राजस्थान नहर से खरीफ में लगभग 200 क्यूसेक जल दिया जाता है। इसी प्रकार भाखरा के जल में कमी होने पर दक्षिण घग्घर नहर व पीली बंगा तथा सूरतगढ़ शाखाओं को भी खरीफ की फसल के समय 30 से 40 क्यूसेक जल दिया जाता है।

तहसील रेलमगरा के किसानों द्वारा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

379. श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम चौकड़ी, तहसील रेलमगरा के किसानों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें की हैं कि उनके खेतों को पानी न देकर उनके आगे के किसानों को पानी दे दिया जाता है और उनके पानी मांगने पर कर्मचारीगण 2) रु. प्रति बीघा के हिसाब से मांग रहे हैं?

यदि हां, तो इस शिकायत के सम्बन्ध में क्या जांच की गई?

उत्तर

जी नहीं।

भैरूंदा बांध

380. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भैरूंदा बांध का पानी कमांड एरिया के बाहर वितरण न किया जाय ऐसा 9-10-68 की मीटिंग में तय किया था?

(2) क्या यह सही है कि चाही जमीन में भी पानी न देने का उपरोक्त मीटिंग में तय किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मीटिंग में बांध में पानी की कमी बताकर कमांड एरिया के अन्दर भी 50% पानी देने का निर्णय किया गया था?

(4) क्या यह सही है कि बांध के चौकीदार श्री देवाराम का खेत भी बांध के कमांड एरिया में है?

(5) क्या यह सही है कि देवाराम के खेत वाली नहरा को इतना गहरा कर दिया गया है कि देवाराम के खेत को पानी पिलाने के बाद उस नहर को बन्द करने के बाद ही मुख्य नहर में पानी जा सकता है?

( ) क्या यह सही है कि चौकीदार देवाराम ने कमांड एरिया के बाहर भी पानी

(श्री गोरधन सोनी)

दिया है जिससे कमांड एरिया वालों ने शिकायत की है ?

(7) क्या यह सही है कि देवाराम को उसकी अनुचित हरकतों पर उसे हटा दिया गया था परन्तु इस साल पुनः लगा दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं, श्री देवाराम का खेत मुख्य नहर से ही पीता है।

(6) जी नहीं। कुछ काश्तकारों ने बिना इजाजत पानी कमांड एरिया के बाहर ले लिया था जिसकी शिकायत कमांड एरिया वाले काश्तकारों ने की है। उन काश्तकारों पर तावान लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

(7) श्री देवाराम चौकीदार के खिलाफ कुछ शिकायतें पेश हुई थीं। विभाग द्वारा जांच करने हेतु उसे निलम्बित भी कर दिया गया था। शिकायतों की जांच करने पर दोषी नहीं पाया गया अतः उसे पुनः नौकरी पर रखा गया था।

लघु तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं

381. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में गत 10 वर्षों में कितनी लघु तथा मध्यम सिंचाई योजनायें हाथ में ली गई ? उनमें से कितनी योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, कितनी चालू हैं और कितनी योजनाओं का सर्वेक्षण कराया जा रहा है ? अनुमानित व्यय सहित विवरण निम्न तालिका में देने की कृपा करें:—

1. जो योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं।

क्रमांक	नाम डिवीजन	नाम योजना	कुल व्यय	सिंचाई टार्गेट	पूर्ण होने पर सिंचाई

2. जो योजनायें अभी चालू हैं।

क्रमांक	नाम डिवीजन	अनुमानित व्यय	नाम योजना	सिंचाई टार्गेट	अन्य

3. जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है।

क्रमांक	नाम डिवीजन	नाम योजना	अनुमानित व्यय	सिंचाई टार्गेट

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

गत 10 वर्षों में 170 लघु सिंचाई योजनायें एवं 19 मध्यम योजना हाथ में ली गई जिनमें से 35 लघु व 10 मध्यम योजना पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बाकी 85 लघु व 9 मध्यम श्रेणी की योजनाओं पर कार्य प्रगति में है। मांगी गई तालिकाओं के अनुसार सूचियां संलग्न हैं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

बारां एवं मांगरोल के चम्बल सिंचित क्षेत्र

382. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां एवं मांगरोल की किस किस ग्राम पंचायत के कौन कौन से गांव को चम्बल सिंचित क्षेत्र में ले रखा है और किन कारणों से ?

(2) क्या यह सही है कि बारां एवं मांगरोल तहसील क्षेत्र के इन गांवों में चम्बल नदी का पानी नहीं जाता है ?

(3) चम्बल सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित इन गांवों से चम्बल नहर कितनी दूरी पर है ?

(4) क्या सरकार इन गांवों को चम्बल सिंचित क्षेत्र से निकालने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची अ और ब संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) साथ में संलग्न सूची ब में अंकित ग्राम दांई नहर के दांई तरफ स्थित है। जिनकी कि दूरी प्रायः एक मील से लेकर पांच मील तक है।

(4) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

राजस्थान नहर क्षेत्र की उपनिवेशन नीति

383. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में राज्य सरकार की उपनिवेशन नीति अब तक निश्चित और स्पष्ट नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? और नहीं, तो वह नीति क्या है तथा कब निश्चित हुई ?

(2) क्या यह सही है कि नीतिगत अस्पष्टता और विलम्ब के कारण इस क्षेत्र के विकास में व्यवधान पड़ा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस अस्पष्टता और अनिश्चितता के कारण ही भूमि के स्थायी आवंटन के नियम बनने में अत्यधिक विलम्ब हुआ जिससे प्रतिवर्ष काश्त की भूमि नीलाम पर दी जाती है जिससे भूमि विकास और सुधार में भारी अड़चन है ? इससे सिंचाई क्षेत्र के विकास और प्रसार में भी बाधा हुई है ? किसानों पर भारी तावान लगा है और कृषि उत्पादन को हानि हुई है।

(श्री दौलतराम सारण)

(4) क्या सरकार की जानकारी में है कि देहाती और नगरीय क्षेत्रों की आवास भूमि के सम्बन्ध में वर्षों अस्पष्टता और न दिये जाने के कारण व्यापक रूप से अवैध कब्जे हुए हैं और नागरिकों को भारी परेशानी हुई है और नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। नीति विषयक मुद्दों के तय होने में कुछ समय अवश्य लग गया है, परन्तु इस भूमि के स्थाई आवंटन एवं अन्य विकास और सुधार कार्य में कोई विशेष अड़चन नहीं आई है और ना ही सिंचाई क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न हुई है। यह कहना गलत है कि लाखों पर इसके कारण तावान लगा है।

(4) जी नहीं जब भी किसी व्यक्ति ने कोई नाजायज कब्जा किया है उसके विषय में तुरन्त बेदखली की कार्यवाही की जाती है और इससे नागरिकों को कोई परेशानी या नुकसान नहीं हुआ।

गोगामडी के रकबे की नीलामी

384. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नोहर तहसील में गोगामेडी का रकबा जो सरकारी था, उसे नीलाम किया गया था ?

(2) बोली बोलने वालों से अव्वल वक्त नीलामी कितनी धनराशि अग्रिम जमा करवाई गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि यह बोली मुकर्ररशुदा सभी तारीखों में न बुलवाकर अन्तिम दो तारीखों में बोली बुलवाई गई थी जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग बोली लगाने को आए थे, मौकों पर बोली न बुलती हुई देखकर वापिस लौट गए थे ?

(4) क्या यह सही है कि दो रोज तक बोली न बुलवाने के कारण नीलाम शुदा भूमि की कीमत राज्य सरकार को नहीं के बराबर मिली ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस बोली को बाद में रद्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब कैन्सिल किया गया ?

(6) क्या कैन्सिल की गई भूमि को वह धनराशि जो बोली लगाने वालों से अग्रिम ली गई थी वापिस लौटा दी गई है ?

(7) क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि भविष्य में गोगामेडी की राजकीय भूमि को नीलाम न करके कमी पूर्ति में व भूमिहीनों को दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बोली बोलने वालों से बोली शुरू होने से पूर्व 250) रु. प्रत्येक से जमानत के तौर पर जमा कराये गये थे।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। बोली बुलाने के लिये 19 सितम्बर से 22

(उपनिवेशन मंत्री)
सितम्बर, 1968 तक तिथि निश्चित की गई थी। परन्तु बोली दिनांक 21/22-9-68 को करवाई गई, चूंकि नोहर में किसी कारणवश किसान सभा द्वारा आन्दोलन किया गया था। इसलिये उक्त निश्चित तिथियों में नीलामी को तब्दील किया जाकर दिनांक 21/22-9-68 को आखिरी दो दिनों में बुलाई गई थी। जिसका आम जनता को मुनादी करवाकर सूचित कर दिया गया था। इसलिए हजारों की संख्या में आये हुए लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। निलामी की आम जनता में मुनादी करा दी गई थी तथा बोली में काफी तादाद में लोग बोली देने आये थे और बोली सरे आम हुई थी। बोली की दर अच्छी प्राप्त हुई है। इसलिए यह सही नहीं है कि बोली की रकम नहीं के बराबर प्राप्त हुई हो।

(5) जी नहीं यह सही नहीं है।

(6) जब भूमि ही कैन्सिल नहीं हुई तो अग्रिम धनराशि को वापिस किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(7) ऐसा कोई निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

स्थगित प्रश्न

(13-3-69)

हाड़ौती आदिवासी छात्रावास भवन हेतु प्लाट की मांग

110. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा नगर विकास क्षेत्र में आदिवासी समाज सुधार संघ द्वारा हाड़ौती आदिवासी छात्रावास भवन के लिये प्लाट दिये जाने की मांग सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कब तक विचार किया जाकर प्लाट दिये जाने की मांग पूरी की जा सकेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि हाड़ौती आदिवासी छात्रावास भवन के लिए प्लाट दिये जाने का आश्वासन 15 सितम्बर, 1966 को मंत्री महोदय ने सदन में दे दिया था ?

(4) यदि हां, तो अब प्लाट की स्वीकृति कब तक हो जाने की आशा है ?

(5) क्या आदिवासियों के लिए सार्वजनिक उपयोग, स्कूल, धर्मशाला, छात्रावासों के लिए 2 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाने का कानूनी प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) मन्डी कमेटी, कोटा के विरुद्ध प्लाट विक्रय एवं आवंटन पर उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की हुई है, इस निषेधाज्ञा के निरस्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां, यह सही है।

(4) उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा निरस्त होने पर स्वीकृति दी जा सकेगी।

(उपनिवेशन मंत्री)

(5) जी नहीं, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

स्थगित प्रश्न
(17-3-69)

अकाल राहत कार्य और औजारों की खरीद

227. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अकाल राहत-कार्यों हेतु व अन्य संबंधित व्यवस्था हेतु कितने औजार और ट्रकें किन किन तारीखों में कहां कहां से कितनी कितनी कीमत में खरीद किये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। उधर के माननीय सदस्य गैलेरी में बैठे हैं उनसे रिक्वैस्ट किया जाये कि आकर बेंचों पर बैठ जायें। गैलेरी को उन्होंने रोक रखा है इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। उनके लिये सीट्स निर्धारित हैं, उनको वहां बैठाने की व्यवस्था की जाय।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : विपक्ष के माननीय सदस्य जो हैं वे अपनी सीटों पर बैठें तो खुशी की बात होगी। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन शुरू में ही कर दिया था और पुनः निवेदन करता हूं। अपने आसन पर बैठ कर भी धरना कर सकते हैं।

(11.37 म.प.)

अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

मांगों पर विचार। मांग संख्या 27

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक :

50—सार्वजनिक निर्माण कार्य

50—सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सडकें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर सयन्त्र पर व्यय

52—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

के सम्बन्ध से 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,11, 5.,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 42

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

को 3,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 41

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 102–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,86,44 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 32.

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 99,13,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या 27

श्री शंकरलाल (कपासन) :

(1) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बडी सादड़ी–छोटी सादड़ी की सड़क की पुलियां बनाने एवं बडी सादड़ी से असादरा माता तक सडक बनाने पर चर्चा के लिये)।

(2) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बडी सादडी से असावरा माता तक की सड़क का कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ किये जाने पर व बडी सादडी–छोटी सादडी सडक पर डामर बिछाने और पुलियां बनाने एवं बडी सादडी से बोहुडा-बान्सो स्टेशन तक सड़क पर डामर बिछाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

(3) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(4) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगरपालिका ने कुम्हारों को मकान के सामने पी. डब्ल्यू. डी. सडक पर अतिक्रमण करवा दिया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

(5) मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कम्पोजिंग के लिये काम में लिये जाने वाले lead को देख भाल करें नहीं लेने के कारण मुद्रण में होने वाली अशुद्धियों से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(6) मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत

(श्री मूलचन्द डागा)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्चेज कमेटी द्वारा क्रय की गई लेखन सामग्री चीजों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) :

(7) मांग संख्या 27, मुख्य शोर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाडमेर की सडक और सरकारी भवनों के निर्माण के बारे में राज्य सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

(8) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा नगर में मेवानगर (नाकोडा) तक दो मील अधूरी डामर सडक पूरी करने पर चर्चा के लिये)।

(9) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सडकों का विशेष महत्व होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा ठीक तौर से केन्द्रीय सरकार को प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(10) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चर्चा से बायतू ग्रेवल रोड को डामर में परिवर्तित करने के बारे चर्चा के लिये)।

(11) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाडमेर से हरसाली वाया वसाला सडक जो कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे डामर सडक के रूप में परिवर्धित करने के बारे में चर्चा के लिये)।

(12) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में मिणधरी एवं बालोतरा पर पुल बनाने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(13) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिए)।

(14) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 40–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामसर से चौहटन जो ग्रेवल रोड संवत् 2023 यानि सन् 66-67 और 67-68 में अकाल राहत के अन्तर्गत बनी, उसमें भ्रष्टाचार के कारण करीब 22।। लाख खर्च हुये हैं जिसकी जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(15) मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामसर से गिराब (बाड़मेर जिला)

(श्री मूलचन्द डागा)
सड़क का जो कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत चल रहा है उसमें पी. डब्ल्यू. डी. स्टाफ द्वारा भ्रष्टाचार फैलाने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में हायर सैकेन्डरी स्कूलों के भवनों की मरम्मत करने में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ढिलाई की नीति अपनाने पर चर्चा के लिए)।

17. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों के कार्य में पी. डब्ल्यू. डी. स्टाफ द्वारा भ्रष्टाचार फैलाने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन-सु.) :
18. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की प्रावनिंग सड़कों पर पुलियों के नहीं होने से असुविधा पर चर्चा के लिए)।

19. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में आवश्यकतानुसार सड़कें नहीं होने से आम जनता की असुविधाओं पर चर्चा के लिए)।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

20. मांगसंख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की दुर्दशा व बिलों के गबन भुगतान के कारण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :
21. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सरकारी इमारतों की मरम्मत के सम्बंध में चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर में सड़कों के नीचे आई हुई काश्त की भूमि का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

23. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सड़कों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में सुरक्षा सड़क पर लगे कर्मचारियों के विरुद्ध चल रही कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

25. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्चतर माध्यमिक पाठशाला सांचोर के

Page No 53

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
विद्यालय भवन के कमरों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्र कुमार (पाइवा—सु.) : 26. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु.) : 27. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नदियों, डाई, खारी में रपट बनाने बाबत उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिए)।

28. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भवन व सड़क निर्माण कार्यों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से शाहपुरा वाया खोदड़ा होती हुई सड़क को अब तक पूर्ण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

30. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बघेरा रोड पक्की बनाने बाबत विचार करने हेतु चर्चा के लिए)।

31. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से जूनिया सड़क पर समय पर डामर न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

32. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के दोनों किनारों पर छायादार पेड़ों को चराई के लिए ठेका देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम):

33. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोजावर काली रोड अधूरी पड़ी है, उसे पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

34. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप जिले में करीब सभी सड़कों की हालत खराब है और मरम्मत अत्यावश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री कल्याण मल (जहाजपुर) :

35. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील को सड़क का निर्माण तथा

(श्री कल्याणमल)
जो कार्य चल रहा है उसकी प्रगति नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

36. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना क्षेत्र में सडकों की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) :

37. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की सडकों की मरम्मत के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध करने पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुढा से उदयपुरवाटी सडक के अधूरे काम को पूरा करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (झुन्झुनू जिले में सडकों के नीचे आई भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रींगस से झुन्झनू सडक (वाया खण्डेला) उदयपुर घाटी सडक के रलावता भोजपुर तथा बडा गांव के पास अधूरे टुकड़ों के निर्माण में देरी पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुडा से उदयपुर वाटी सडक के अधूरे कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सडक निर्माण कार्यों में झुन्झुनू जिले के प्रति राज्य सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

43. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौडगढ) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौडगढ जिले की अधूरी सडकों को पूरा कराना एवम् उन पर डामर कराए जाने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौडगढ जिले की सिंगोली भैंसरोड गढ रोड पर पुलियाओं का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बसी–ग्वालियर रोड को पूरा कराए

Page No 55

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
जाने तथा बची हुई पुलियाओं का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)

46. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दीगोद–पीपलदा रोड़ पर पीपल्दा में नदी पर 8 फीट के बजाय 12 फीट चौडी पुलिया बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीकूम से बडी सादडी रोड के कार्य को इसी वर्ष चालू करवाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़ जिले की सावा कमोज रामपुरा रोड पर डाम्बर बिछाने तथा कमोज के पास पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगरार-राश्मी रोड को पक्का कराने हेतु इसी वर्ष धनराशि आवंटित किए जाने के लिये चर्चा के लिए)।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा)

50. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालवाड़ से जोबनेर होते हुए लुनवा तक की 2nd Plan के मंजूर शुदा सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (हरसोली से करनसर तक सड़क का निर्माण न करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

52. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालाडेरा से हरमेडा होती हुई बधला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भोजपुरा से मंडा भैसलाना-भादवा होती हुई लुणया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालवाड से पचेरी तथा हिंगुणिया होती हुई जोबनेर तक सड़क के लिए इस वर्ष प्रावधान न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेनवाल से जोबनेर तथा जोबनेर से फुलेरा तक पक्की सड़क के लिए इस वर्ष

(श्री. पी. के चौधरी)
कोई प्रावधान न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फुलेरा से बिचून तक पक्की सड़क के लिए इस वर्ष कोई प्रावधान न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

57. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ढाणी कारीगरान, फुलेरा को प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु अनुदान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल फुलेरा के स्कूल भवन के निर्माण हेतु अनुदान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु.)

59. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर और बांसवाडा के बीच बनाये जा रहे पुल का कार्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में राहत कार्य में लिए गये सड़क पर पुलों का कार्य कम हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

61. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर की सड़कों के इस वर्ष विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के डूंगरपुर से सरथूना सड़क पर डामर का कार्य सम्पन्न कराने पर चर्चा के लिए)।

63. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के मण्डली से सीमलवाड़ा एवं थाना से मेवाडा सड़क पर मैटल कार्य कराने हेतु चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में गेती, फावड़े सब्बल आदि का नहीं होना तथा उसकी व्यवस्था हेतु चच लिए)।

65. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 200 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के विस्तार पर चर्चा के लिए)।

श्री रामनारायण (मंडावा) :

66. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 69–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग

(श्री रामनारायण)
में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री विभाग द्वारा जो लेखन सामग्री दी जाती है वह बहुत ही घटिया किस्म की होती है इस पर चर्चा के लिए)।

श्री शंकरलाल (जैतारण):

67. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल से बनी अधूरी व टूटी सड़कों को पूरा कराने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

श्री उपाध्यक्ष: कटौती प्रस्ताव।

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां सड़कों की बड़ी भारी कमी रही है, और जब हम आजाद हुए और राजस्थान का लोकतांत्रिक तरीके से निर्माण हुआ, उसके बाद यहां सड़कों का विकास होने लगा। पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने यह ऐलान किया था कि हर तहसील को जिला हैडक्वार्टर्स से जोड दिया जायेगा। लेकिन बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी सादडी तहसील और डूंगला तहसील ऐसी दो तहसीलें हैं जो अभी तक जिला हैडक्वार्टर्स चित्तौडगढ के साथ नहीं जुड पाई हैं।

चौमासे के वक्त जब जिला हैडक्वार्टर पर आना चाहता है तो उसको करीब करीब 100 मील 105 मील का चक्कर खाकर आना पडता है। यदि सीधा सम्बन्ध हो तो कई तहसीलों का चक्कर मिट जाता है। यदि सीधा सम्बन्ध इन तहसीलों से हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इस तरह से 60-65 मील का जो चक्कर खाना पड़ता है, वह बच जाता है। जबकि सरकार की यह योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना में यह ऐलान था कि हर तहसील को जिले से जोड दिया जायगा लेकिन आज तक हमारी सरकार इसमें असमर्थ रही है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम तहसील हैडक्वार्टर को जिले से जोड़ने का प्रयास करें। जब फार्मर राजस्थान बना था, उस वक्त स्व. माणिक्यलाल जी वर्मा प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने जिस सडक का कार्य प्रारम्भ किया वह आज तक पूरी नहीं हुई है। सन् 52 से लगातार यह कहा जा रहा है, लेकिन आज तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। मंगलवाड़ जिले की इम्पार्टेन्ट सडक है। इस सड़क पर दो-दो फीट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं राज्य सरकार की सराहना भी करता हूं कि इस वर्ष उसने बजट में दो लाख रुपये रखे हैं। परन्तु यह रुपया केवल बजट में ही रहे इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं बल्कि इसमें कार्य प्रारम्भ कराया जाय और इन सड़कों को सम्पूर्ण कराया जाय तो मैं समझता हूं कि चित्तौड़ जिले कि जो यह इम्पार्टेन्ट सड़क है, वह जल्दी से जल्दी कम्पलीट हो जाय तो अच्छा रहेगा।

चित्तौड़ से उदयपुर वाया कपासन जाने वाली सड़क के बारे में मैं निवेदन करना

(श्री शंकरलाल)

चाहूंगा। कपासन से भोपालसागर वाली जो सडक हैं, उस पर मैं समझता हूं शायद ही गाडियां चल सकती हैं। दो-दो फीट गहरे उस पर गड्ढे पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता कि आप हर साल सडक बनाते हैं, उसकी रिपेयरिंग और मेन्टीनेंस करने की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। इसके लिये मुझे बडा दुःख है। इतना खर्चा हम करते हैं यदि थोड़ा सा रिपेयरिंग पर खर्च करें तो ये सडकें ठीक हो सकती हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड से कपासन तक जो रेल्वे लाइन है, उसके क्रासिंग पर आज तक पुल नहीं बना पाये हैं। इस प्रकार वहां साल भर में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। कम से कम आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां जो सड़क है, और क्रासिंग है, वहां पर कम से कम ठीक तरह से कर दिया जाय, तो अच्छा रहेगा।

कपासन से कराई वाया धामाना सड़क की योजना दस साल से चल रही है। परन्तु अभी तक वहां मिट्टी पड़ी हुई है। बाकी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। नींव से बड़ी सादड़ी यह जो सड़क बन जायेगी तो आपका चित्तोड़ जिले से बड़ी सादड़ी का सम्बन्ध जुड़ जायेगा। बड़ी सादड़ी, डूंगला, एक पंचायत समिति हैडक्वार्टर है और इस सडक पर कम से कम हमारी, 9–10 पंचायतें लगती हैं। यह काम अविलम्ब किया जाय। मैं समझता हूं कि पंचायत समिति में जो लोग जाते हैं दूसरे सरपंच जाते हैं, इससे उनको सुविधा होगी।

बड़ी सादड़ी से कोईडा और बडी सादड़ी से चित्तोड़गढ़ को जो सड़क है, उनकी पुलियां अभी तक नहीं बन पायी हैं। 10 साल से पुलियां नहीं बन पायी हैं, तो यह सडक बेकार हैं।

(11.44 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सडक वह बनावे उसमें सबसे पहले पुलिया का काम शुरू करें ताकि आने जाने की सुविधा होगी। जितनी भी सडक बनाते हैं, उस पर मिट्टी डालते हैं वह बरसात के दिनों में बह जाती है और इस प्रकार सडक बेकार हो जाती है।

मंगलवाड से डूंगला तक सडक का छोटा सा टुकडा है ज्यादा से ज्यादा एक, दो मील रह गया है। अभी तक वह पूरा नहीं कर पाये हैं। कम से कम वह हाथ में लेकर पूरा करेंगे तो मैं समझता हूं कि बडी सादडी और डूंगला का सम्बन्ध धीरे धीरे जुड जायेगा।

छोटी सादडो, बडी सादडी सडक का पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूं। इसमें 4–5 पुलियों का कार्य है। विशेष धन की आवश्यकता नहीं है। कम से कम आप इस पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा सम्बन्ध चित्तोड जिले से सीधा जुड जायेगा।

निम्बाहेडा से प्रतापगढ वाया छोटी सादडी सडक बिल्कुल अधूरी पडी है। कहीं मिट्टी डल गई है, तो कहीं सोलिंग नहीं हुआ है, कांक्रिट नहीं हुआ है। इसलिए इस सडक को भी पूरा करने का कष्ट करें।

(श्री शंकरलाल)

प्रतापगढ, पीपलदा और बांसवाडा सड़क, प्रतापगढ हमारे जिले का ऐसा नगर है जो बिल्कुल एकान्त में और मध्य प्रदेश से जुडा हुआ है । उसको इस प्रकार रखेंगे, अवाइज करेंगे तो मैं समझता हूं यह अपने लिए अच्छा नहीं रहेगा ।

सिंगोली से भैंसरोडगढ जो सड़क बनी है, उसमें एक–आध पुलिया ही बनी है । बाकी सब इनकम्पलीट बनी हैं । कृपा करके आप इनको भी बना दें तो अच्छा रहेगा । भैंसरोडगढ–बूंदी रोड पर अभी तक डामर नहीं पडा है । यह उम्दा सड़क है और इस पर खास करके मिनिस्टर्स महोदय का आवागमन होता रहता है । गांधी सागर, राणाप्रताप सागर के बांध बने हुए हैं । वहां जाने के लिए ये सब इस रोड़ से गुजरते हैं । जिस रोड पर आप गुजरते हों उस पर धूल से बचने के लिए डामर तो अवश्य करवाइये । बस्सी, विजेपुर सड़क है । उसको भी पूरा करवाने का कष्ट करें ।

हमारा जो एरिया है, वह पहाडी है और पिछडा हुआ है । राजस्थान के चित्तौड़ जिले में बडी सादडी, छोटी सादडी, डूंगला, भैंसरोडगढ की तहसीलें बिल्कुल पिछडी हुई हैं । यहां ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और पहाडी इलाका है । इस ओर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिए राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर अवश्य ही ध्यान दें । यहां जो डिस्पेंसरीज हैं, वे वहां की वहां हैं । यहां न तो डाक्टर है और न दवाईयों का इन्तजाम है । इसलिए थोडा सा इस पर भी ध्यान दीजिये ।

यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में पिछले दस वर्ष से कोई सडक बनी नहीं है । अगर पिछले दस वर्षों में कोई सडक बनी है तो मुझे बतावें । अलवर में सडकें बहुत हैं । मास्टर भोलानाथ, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर थे । मुझे खुशी है इसके लिए और मैं चाहता हूं कि यह हर जिले में होना चाहिये । अभी तक पाली जिले में एक सडक बनी है । वह गूंदोच से सोडावास जा रही है । मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि पाली जिले के लिए 20 सालों से पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से प्रार्थना की है कि पाली से बिन्दौडी तक जो सडक जाती है, मेहरबानी करके उसे पूरा करवा दीजिये, मेटल करवा दीजिये, पक्का करवा दीजिये । वह रोड बार बार काम में आती है । उस पर आहोर, जालौर और दूसरे कस्बों के सारे काश्तकार आते जाते हैं । उनको बरसात ऋतु में और दूसरी ऋतु में तकलीफ होती है । लगातार 15 साल से टूट रही है । यह माननीय भैंसवाडा साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने अपने जालौर जाने के लिए कुछ हिस्से को मेटल करवा दिया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह तो डिप्टी मिनिस्टर के डिस्क्रीशन पर है ?

श्री मूलचन्द डागा : आपके जिले की तरफ इन्होंने ध्यान दिया है । हमारे पर भी कृपा कर दिया करें । आपके जिले के लिये

(श्री मूलचन्द डागा)
आप खड़े हो सकते है, डिप्टी मिनिस्टर को डिस्क्रीशन हो सकता है। जहां तक पाली तहसील का ताल्लुक है कोई भी सडक गत पन्द्रह सालों में नहीं बनी है, यदि कोई बनी है तो कृपया महरबानी करके मुझे बतलादें कि यह सडक बन गई है, यह सडक का काम हो गया है। जो सडकें बनी हैं वे भी फेमिन के समय कच्ची। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जो कच्चे रास्ते बने हुए हैं उन्हें आप खराब मत करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : आपके यहां सो करोडों रुपया पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत खर्च हो गया ?

श्री मूलचन्द डागा : वह प्रोग्राम इसीलिये फेल हो गया कि आप सडकें नहीं बना पाये। बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि बाडमेर में सडकों का जाल बिछ जाय। हमें बडी खुशी है लेकिन हमारे यहां जो मांग है उसे वे यह कह कर झुठला रहे हैं कि हमारे यहां बहुत खर्च हो गया। बाडमेर, सांचोर में रोड्स बने हमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन पाली तहसील का नाम आते ही माननीय सदस्य खडे हो जाते हैं। मेरा पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि पाली से मादरा जून तक सडक मेटल्ड रोड़ बना दी जावे। भावरी पहाड़ी नजदीक है इस कारण यह सड़क सस्ते में हो जायगी।

दूसरी बात मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा एन्क्रोचमेन्ट के बारे में। यह विभाग जहां सडकों पर एन्क्रोचमेन्ट हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहा है। मैं पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब को बराबर अर्ज कर रहा हूं। एक दर्ख्वास्त भी दी है, हमारा पाली का बस स्टेण्ड है, जहां व्यासजी की मूर्ति भी लगी हुई है उसके साथ साथ ही अजगर अली मुसलमान ने अपना मकान खडा कर दिया जिसको पहले म्युनिसिपेलिटी ने मना कर दी थी। स्वायत्त शासन मंत्री ने कह दिया कि इस जगह एन्क्रोचमेन्ट मत करो। उसने एन्क्रोचमेन्ट करके कुम्हार जाति के मकान के ठीक सामने रोड से आठ फीट दूरी पर एन्क्रोचमेन्ट कर दिया। हमारे चीफ इन्जीनियर साहब को कम समय मिलता है इस ओर ध्यान नहीं देते। मैं आपको तारीख बतलाता हूं 29-6-68 को सब से पहले एक इंजीनीयर ने नोटिस दिया।

"Shri Asgar Ali, Churigar of Pali has made encroachment on one piece of land on the approach to bus stand from the statue of Shri Jai Narain Vyas near Dak Bungalow. The bus stand is shown in red on the enclosed site plan. You are requested to get it vacated as it comes in road boundary and is, as such, in the property of P. W. D.

यह लिखा है 29-6-68 को उसके बाद पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर ने कहा "It should be removed atonce. कलेक्टर साहब ने आर्डर दिया इसको जल्दी से जल्दी रिमूव कर दिया जाय। यह एन्क्रोचमेन्ट अभी तक है। उस मकान के सामने सड़क की बाऊन्डरी है उसमें एक पर्टीकूलर जाति का मकान है। उसके सामने पी. डब्लू. डी. की सडक किनारे पर छीने गडी हुई है, उस पर मुसलमान भाई ने कब्जा कर

(श्री मूलचन्द डागा)

रखा है। कलेक्टर का हुक्म होने के बाद भी उसको नहीं हटाया जा सकता। न जाने क्यों आर्डर जाने के बाद भी पी. डब्लू. डी. की जो रोड हैं उस पर एन्क्रोचमेन्ट हटाते नहीं। हमने कई बार लिखा है सडक के बीच में जो इस प्रकार का एन्क्रोचमेन्ट हुआ है सड़क की खूबसूरती को बिगाडा है वह गवर्नमेन्ट लेण्ड है क्या? मैं पूछना चाहता हूं अगर मिनिस्टर साहब के बंगले के सामने कोई मकान खडा करदे क्या उसको तुडवाने के लिये लाचार हैं? वहां एक आप जाति की बगीची के ठीक सामने छीनें खडी कर दी हैं। आपके असिस्टेन्ट इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर हैं, सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मैं अर्ज करूंगा कि मंत्री महोदय आर्डर देते हैं उसकी क्या पालना इसी प्रकार होती है? आपकी आज्ञा का पालन न हो, आम रास्तों पर एक सर्कल बना दिया, मना करते जाते हैं उधर डवलपमेन्ट करते जाते हैं, पूरा सर्कल कम्पलीट कर दिया। आपका पी. डब्लू. डी. डिपार्टमेन्ट काम करता है। एन्क्रोचमेन्ट रेगुलर होते जाते हैं, सर्कल हो गया, रास्ते में मूर्तियां खडी कर देते हैं ऐसे मामलों में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट को सख्ती से कदम उठाना चाहिये। यह भी आदेश है कि चीफ इन्जीनियर के आदेश के बिना उसके एप्रूवल के बिना मूर्ति न खडी की जावे। सर्कल बन गया सूरज पोल बन गया, नेहरू जी की मूर्ति जिसका अनावरण मुख्य मंत्री द्वारा किया गया। उसके इर्द गिर्द पत्थर लगा दिये गये। सुबह वहां लोग वर्जिश करते हैं। दूसरी ओर मूर्ति के सर्कल बना दिया गया मना करते हुए बन गया। पी. डब्लू. डी. का हजारों लाखों रुपया खर्च होगया। आखिर में तरीका क्या है जो एन्क्रोचमेन्ट करते हैं उसके बारे में पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर आखिर सोचें। जनसंख्या बढ रही है, जयपुर में आप सड़कें चौड़ी करते जा रहे हैं, गांवों के बारे में सोचने का समय आपको नहीं मिलता। आप एन्क्रोचमेन्ट के बारे में तो देखें। चीफ टाउन प्लानर श्री पेवडा के मना करते करते इन्होंने बना लिया। एक निवेदन करूंगा आप एन्क्रोचमेन्ट के बारे में इतनी व्यवस्था करें। लेकिन आपकी आज्ञायें जाती है उनकी अनुपालना होती नहीं। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे एन्क्रोचमेन्ट को हटाना चाहिये। नहीं हटाने पर बहुत बडी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कलेक्टर ने आर्डर्स भी दिये हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने 3-7-68 को आर्डर्स दिये।

"उक्त विषय में गिरधारीलाल पेश हुए समस्त रेकार्ड लौटती डाक से मंगाया जावे?"

इतना होने पर पी. डब्लू. डी. के बार-बार कहने पर भी एन्क्रोचमेन्ट नहीं हटाया गया। छीने लगी हुई हैं उनको हटा नहीं पाये।

मुझे याद है सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा था पी. डब्लू. डी. के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहेंगे। पाली जिले के अन्दर विकास का काम चल रहा है लेकिन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जोधपुर में रहते हैं, वहां क्यों रहते हैं। पाली जिले का इन्जीनियर पाली में क्यों नहीं रहता? मिनिस्टर का जो स्टेटमेन्ट था उसका क्या हुआ? हैडक्वार्टर रखेंगे उसका क्या हुआ? पाली एक महत्वपूर्ण जिला है, वे जोधपुर में क्यों रहते हैं इस प्रश्न के बारे में प्रकाश डालेंगे।

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं फिर दुबारा याद दिलाना चाहता हूं महरबानी करके एन्क्रोचमेन्ट पी. डब्लू. डी. रोड्स पर होता है उनको हटाने की व्यवस्था करावें। मंत्रीगण से निवेदन है कि हमारे काम को आप सुनवाई नहीं करते। क्या यह बहुत बडी बात है?

(12 मध्याह्न)

तीसरी मैंने बात एक कही कि जो आप फेमिन रोड बनाते हैं मेरा तो पहले से कहना यह है कि आप कच्चे रास्ते और जो जमे हुए रास्ते हैं उनको मत मिटाओ, यह बडा वेस्टेज है आपका अगर मान लें कि हमारे अकाल राहत मन्त्री कहते हैं कि इन सडकों को हटाने से हम लोगों को काम पर लगाते हैं। लेकिन मैं फिर बारबार कहता हूं कि आप थोडी रोड बनाओ, मोडल रोड बनाओ। सारी फेमिन में जो सडकें बनती हैं वह एक दो बरसातें आती हैं और बिगड जाती हैं। इनको बनाने की न तो पंचायत समिति की ताकत है, न ग्राम पंचायतों की ताकत है और न कोई उनकी देखभाल करने वाला है। तो एक तो पी. डब्लू.डी. रोड पर एनक्रोचमेन्ट हटाने का काम है। मैं आप से फिर रिक्वेस्ट कर चुका हूं उसका एक दफ्तर पाली में रखा जाये। यों तो रोड्स बनें लेकिन पाली से भादरा की रोड अकाल राहत कार्य में बने तो यह कृपा है और अगर आप उस रोड को बना देंगे तो जालोर, आहोर और बीसियों गांव जो कि उस इलाके में आते हैं वहां रोड बन जायेगी और वहां तीन पहाडियां हैं भांवरी की पहाडी है, मनिहारी की पहाडी है वहां से आपको मैटल भी मिल जायेगा। मेरी यह एक प्रार्थना है इसलिए मैंने यह आपके सामने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इसके अलावा एक सवाल यह है कि आपके जो इन्जीनियर्स हेड-क्वार्टर्स पर रहते हैं और कई बार नगरपालिकाएं आपसे सहयोग लेने की अपेक्षा रखती हैं। उसमें मेरी एक प्रार्थना है कि आज इसमें इन्जीनियर्स हैं उनको आप कह दें कि जो लोकल इन्स्टीट्यूशन्स हैं जैसे पंचायत समितियां हैं, नगरपालिकायें हैं उनको भी वह अपना सहयोग दिया करें। इससे कामों में हमें सुविधायें मिल जाती हैं। यही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री अमीलाल यादव—(अनुपस्थित)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : सभानेत्री महोदया, मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य भवनों और सडकों के बारे में मैंने 11 कटोती प्रस्ताव रखे हैं। उनके बारे में मैं सदन के समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूं।

पहले पहल मैं सीमावर्ती क्षेत्र में जो सडकें बन रही हैं उन पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। बाडमर, जैसलमेर और बीकानेर ये तीनों जिले सीमावर्ती जिले हैं और इनका सामरिक महत्व है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के पहले बाडमेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में जो सडकों की व्यवस्था थी उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाडमेर जिले में प्रत्येक 100 वर्ग किलो मीटर पर 2.80 किलोमीटर सडकें थीं, जैसलमेर में 2.30 किलोमीटर और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बीकानेर जिले में 3.83 किलोमीटर सडकें थीं। राजस्थान में और सभी जिलों को देखा जाय तो इन तीनों जिलों में सबसे कम सडकें सन् 65 से पहले बनी हुई थीं। यह स्थिति थी। मुझे समझ में नहीं आता कि यह नीति राजस्थान सरकार ने पहले क्यों नहीं अपनाई? हिन्दुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों देशों के संबंध 15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ और यह दोनों पृथक् राष्ट्र हुए तब से कभी भी अच्छे नहीं देखे। जब इनके संबंध अच्छे नहीं थे तो कभी भी युद्ध हो सकता था। तो सरकार को इससे पहले चाहिए था कि इन क्षेत्रों को विकसित करे। कोई बात नहीं, युद्ध होने के बाद भी इनकी आंखें खुलीं और इन सडकों को अपने हाथ में लिया। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों से यह प्राजेक्ट्स रोड्स जो बन रही हैं इनके कार्य अच्छी गति पर हैं। सिर्फ बाडमेर से ओरीमना और बाडमेर से जैसलमेर यह दो प्रोजेक्ट रोड्स हैं जो कि पहले से बन रही हैं। इनकी गति को तेज करना चाहिए और यह दोनों सडकें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बाडमेर से सांचोर की जो सडक है वह गुजरात से और बम्बई प्रान्त से अपना सम्बन्ध करती है और बाडमेर से जैसलमेर हमें पंजाब तक यह सडक पहुंचा देती है। दोनों ही सडकें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरा विशेष तौर से यह निवेदन है कि इन सडकों का कार्य गति से किया जाये ताकि यह दोनों महत्वपूर्ण सडकें तैयार हो जायें।

तीसरी जो सडक है विशेष तौर पर बाडमेर से जोधपुर तक जो सडक बनी हुई है उसके बारे में मेरा तो यह दृष्टिकोण है कि इस सडक के बजाय जोधपुर से पचभद्रा, बागुन्डी, बायतू होते हुए बाडमेर तक सडक अगर बना दी जाये तो यह डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सडक होगी और इससे 14-15 मील का लाभ भी होगा और यह सडक हर तरह से रक्षा के दृष्टिकोण से जोधपुर से सीमावर्ती क्षेत्र में जावे तो बहुत ही लाभदायक होगी। इस सडक के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार पर दबाब डालना चाहिए कि इस सडक को जल्दी से जल्दी हाथ में लें। अगर इसको पहले नहीं करते हैं तो जो सिण्डरी और जसोल दोनों पुलों के बारे में मैं ने देखा कि 1969-70 के बजट में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि यह स्थिति हो सकती है कि कभी लूनी नदी में बाढ आ जाये। पहले भी लूनी नदी में 68 में बाढ आई थी···

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): सभापति महोदया, यह सदस्य महोदय उधर देखकर संबोधित कर रहे हैं या आपकी तरफ देख कर आपकी तरफ देखकर संबोधित करना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री: आदत है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: लूनी नदी की बाढ सन् 68 में हमारे क्षेत्र में आई थी और एक महीने तक रास्ते बन्द रहे। मैं यह कहता हूं कि इतने वर्षों तक हमने दोनों पुलों का निर्माण नहीं किया न पचभद्रा से बागुन्डी और बायतू होती हुई बाडमेर डिफेंस रोड बनाई। अगर इस समय युद्ध हो जाता तो यह स्थिति अच्छी नहीं रहती और यह हमारे लिए खूबी की चीज नहीं रहती। तो मैं चाहता हूं कि इन रोडस को आपको

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
हाथ में लेना चाहिए। बाडमेर से जोधपुर जो रोड है उसमें बाडमेर से लेकर सिणधरी तक जो रोड है उसकी हालत अच्छी नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि उस रोड में डामर दी हुई है लेकिन वह ग्रेवल के ऊपर ही डामर डाला हुआ है और उस पर सीलिंग भी नहीं है। यह रोड वापिस ठीक करनी चाहिए और यह सडक 12 फीट चौडी है इसको ज्यादा वाइड करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सडक है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसको भी सुधारा जाय।

एक विशेष तौर से मैं यह सुझाव देता हूं कि जोधपुर से सिणधरी सडक जाती है वह सिणधरी से गांधव होती हुई सांचोर सडक जाये तो हम गुजरात आसानी से पहुंच सकते हैं नहीं तो जोधपुर से सिणधरी और सिणधरी से बाडमेर होते हुए सांचोर जाय तो इसमें 65-70 मील का ज्यादा फासला हमें कवर करना पडता है इसलिये डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से यह आवश्यक है कि हम जोधपुर से सिणधरी एवं गांधव होते हुए सांचोर की सडक बनायें और इन सडकों को विशेष महत्व दें।

दो सडकों को जो खास तौर से मेटल्ड बना रहे हैं उनके लिए मैं डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से सुझाव देता हूं। एक चोहटन से बाखासर वाया सेडवा यह सडक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से है। अकाल में इस पर मेटल्ड रोड का कार्य हो रहा है। मुझे विश्वास है कि अकाल सहायता मन्त्री जी इस मेटल्ड रोड के कार्य को सम्पन्न करा देंगे। इसको डिफेन्स रोड में लेकर डामर रोड बनायी जाय नहीं तो डामर में अवश्य परिणत किया जाना चाहिए राजस्थान सरकार से फण्ड का प्रोवीजन करके। डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से यह सडक बडी महत्वपूर्ण है।

दूसरी सडक है बाडमेर से हरसानी वाया बैसाला की है। इस सडक को फेमिन में लिया जा रहा है और मेटल्ड रोड बना रहे हैं। मैं अकाल सहायता मन्त्रीजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस रोड को सम्पूर्ण कराने की कोशिश करें। डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से यह भी रोड इम्पोर्टेन्ट है। बाडमेर से हरसानी शिव से होती हुई हरसानी के मुकाबले में नजदीक पडता है और ये डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से महत्वपूर्ण रोड ह।

अब अकाल के अन्तर्गत जो सडकें बन रही हैं, उनके बारे में पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह जो सडकें बन रही हैं उन सडकों के अन्तर्गत ग्रेवल कलेक्शन हो रहा है और अर्थ वर्क भी हो रहा है परन्तु ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य, टेन्डर्स को स्वीकृत करके ग्रेवल के बिछाने का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। पहले संवत् 2023 में सडकें बनी थीं अकाल के समय में उस समय भी यह स्थिति थी उन सडकों पर ग्रेवल आपने इकट्ठा कर दिया और अर्थ वर्क भी कम्प्लीट कर दिया, परन्तु ट्रान्सपोर्टेशन से लेकर ग्रेवल बिछाने का कार्य नहीं किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि वह सडक काम में नहीं आई, और राज्य सरकार का पैसा उसमें लगा था वह फिजूल गया। मैं तो यह चाहता हूं कि जब आप इतना खर्च कर रहे है, और हमारे क्षेत्रों का अकाल के समय में ही विशेष तौर से विकास होता है, वही अवसर हमारे क्षेत्रों के विकास के लिए आता है, तो इन अवसरों का हमें पूरा लाभ दिया जाय। इसलिए मैं यह चाहता

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हूं कि आप जो भी सडकें बनायें वे सम्पूर्ण सडकें तैयार हों। ग्रेवल बिछा दिया जाय उसका पूरी तरह से आपको ध्यान देना चाहिए।

विशेष रूप से मैं अकाल सहायता मन्त्रीजी ने जो यह कदम उठाया है मेटल्ड रोड का इसकी मैं सराहना करता हूं। हमारे क्षेत्रों में यह चाहता हूं कि जो ग्रेवल रोड वगैरह बनाते हैं तो 2-3 साल के अन्दर यह समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि रिपेयर्स का कोई प्रोवीजन नहीं है, पी. डब्लू. डी. मेन्टीनेन्स और रिपेयर्स की व्यवस्था करती नहीं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह कोशिश की जानी चाहिए कि इन रोड्स को मेटल्ड रोडस के अन्दर परिणत किया जाय। मैं यह भी चाहता हूं कि इन मेटल्ड रोडस के बारे में कहीं ऐसा न हो कि मेटल कलेक्शन किया हुआ रह जाय, और इस मेटल को बिछाकर रोलर से रोलिंग नहीं किया जाय और यों ही पडा रह जायं। इसलिए जो भी व्यवस्था करनी हो करें, रोलर्स के काम के लिए फाइनेन्स मिनिस्टर के सामने रखें या चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखें, पर इनको पूरा करवायें। मैं अकाल सहायता मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब की भी यह रेस्पोन्सबिलिटी है कि वे खुद इन सडकों को सम्पूर्ण कराने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि मेटल इकट्ठा किया हुआ पडा रह जाय और सडकें नहीं बनें। पहले जितना काम हुआ है वह सम्पूर्ण होना चाहिए। यह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

मैं खास तौर से यह भी कहना चाहता हूं कि रामसर से चोहटन की जो सडक पहले बनी थी, मैं उस सडक पर भी गया हूं। उस सडक के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था। प्रश्न संख्या 138, 19-5-67 को मेरा वह प्रश्न था। उसके उत्तर में जो मुझे जवाब मिला उसमें चोहटन से रामसर तक अर्थ वर्क 25 मील और ग्रेवल 16 मील 4 फलाँग का, उसमें खर्च हुआ 22,11,666 रु.। यह मुझे उत्तर मिला। और दूसरी उसी क्षेत्र में उसी जिले में कानोड से तलवाडा की सडक बनी उसमें 25 मील का अर्थ वर्क हुआ और ग्रेवल का सवा सतरह मील का कार्य हुआ, उसमें 3,49,566 रु. खर्च किया गया। अब आप देखिये कि उसी क्षेत्र में कानोड है। यह कोई नहीं कह सकता कि कानोड रेगिस्तान क्षेत्र नहीं है। वह भी रेगिस्तानी क्षेत्र है और उसी जिले में है। उसी क्षेत्र में एक सडक पर 3,49,566 रु. खर्च होता है और उतनी ही लम्बी सडक जो रामसर से चोहटन की बनी है उस पर 22,11,666 रुपया खर्च होता है। मैं बतलाना चाहता हू कि कानोड से तलवाडा सडक पर 17 मील 4 फलाँग पर ग्रेवल का कार्य हुआ है और रामसर से चोहटन पर 16 मील चार फलाँग का कार्य हुआ है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है वह क्यों है? सडकों पर जो इस प्रकार से खर्चा करते हैं तो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उसमें कौन उसके लिए जिम्मेवार है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यह एन्टीकरप्शन को केस दें। लेकिन इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और जांच होकर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हों उनको दण्डित किया जाना चाहिए।

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो भी सडकों का कार्य बने वह ठीक तरह से हो। अभी जो फैमिन के अन्तर्गत कार्य किया जा

Page No 66

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

रहा है, टास्क बेसिस पर कार्य किया जा रहा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और उस टास्क बेसिस के कार्य से 50 पर्सेन्ट करप्शन रुक गया है, 50 पर्सेन्ट करप्शन मिट गया है। कोई यह कहे कि कटौती कर दी तो मैं यह कहता हूं कि कोई भी कार्य नहीं करेगा तो वह कार्य में कटौती की जायगी। और कटौती करने का नतीजा निकला है कि आज कटौती करने से मजदूर यह बताने लगे हैं कि यह गलत नाम लिखे गये हैं, ये नाम फर्जी हैं, इस प्रकार के नाम बतलाते हैं। वे क्यों बतलाते हैं कि फर्जी नामों के कारण उनको भुगताना पड रहा है। उनकी मजदूरी में कटौती होती है। इसलिए जो कदम राज्य सरकार ने उठाया है, अकाल सहायता मन्त्री ने जो कदम उठाया है टास्क बेसिस का, कटौती का, वह प्रशसा के लायक है। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हो और भ्रष्टाचार को मिटाने के कदम उठाते हैं तो विरोधी दल के सदस्य विरोध करते हैं कि क्यों कटौती की जाती है, तो मैं इस चीज को पसन्द नहीं करता हू, और मैं हर तरह से चाहता हूं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, और जो भी कदम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उठाये जायें उनकी प्रशसा करता हू।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसकी शिकायत आ रही है कि सडकों के निर्माण में बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है और गैंगों की भर्ती करने के लिए 25 रुपये मिस्त्री को दो तब जाकर भर्ती होती हैं। तो यह जो स्थिति है अच्छी नहीं है। अभी तक इस प्रकार की जो सडकों की स्थिति है तो 55 का गैंग है तो 55 के अन्दर 10-15 आदमी के नाम तो ऐसे लगाये जाते हैं जो गांव में उपस्थित होते हैं और वहां पर कार्य नहीं कर रहे हैं। यह तरीका अख्तियार कर लिया है। इस प्रकार के तरीकों सो इन्जीनियर्स को चैक करना चाहिए, जिलाधीश को चैक करना चाहिए। मैं यह चाहता हू कि पी. डब्लू.डी. मिनिस्टर साहब और चीफ इन्जीनियर साहब मौकों पर पहुंचें और इस करप्शन को रोकने की पूरी कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं भवन निर्माण के बारे में दो शब्द कहूंगा। भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में जितना हाईस्कूल और मिडिल स्कूल बाडमेर जिले में हैं, उन की रिपोर्ट के बारे में पी. डब्ल्यू. डी. बिल्कुल असावधान है। बहुत ही लापरवाही की नीति अपनाई है। अगर उन बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करेंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। वह नष्ट हो सकती हैं। मेरा जो पिछडा हुआ क्षेत्र है, उसके प्रति सरकार वैसे ही उदासीनता की नीति अपनाये हुए हैं। अगर मरम्मत नहीं करायेंगी तो ठीक नहीं होगा। वह गिर जायेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.): माननीय सभानेत्री महोदया, जिला बून्दी में 20 साल के अन्दर सडकों की जो प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। बून्दी के अन्दर खास तौर से अपने क्षेत्र के बारे में मैं ध्यान दिलाऊंगा। तहसील केशवराय पाटन के अन्दर सरकार की ओर से काफी सहयोग रहा। चम्बल नहर आयी। चम्बल नहर के आने से यातायात के साथ न

(श्री नन्दलाल बैरवा)

अस्त व्यस्त हो गये हैं। इससे पहले मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लाखेरी से बडाखेडा, लवान और बून्दी रोड जो है, यह रोड 1959 के अन्दर मंजूर हुई थी। उसके अन्दर 7,70,100 रु. मंजूर हुए। इसका ठेका राज्य सरकार ने भारत सेवक समाज को दिया था। भारत सेवक समाज ने बून्दी, कापरेन-लवान तक मिट्टी डलवाने का काम किया है। आज उस रोड पर मिट्टी भी नहीं है। बरसात के पानी में वह बह गई है। जितना पैसा उस पर खर्च किया है सरकार ने वह पानी में बह गया है। इस प्रकार से वहां रोड का भारत सेवक समाज के अलावा अन्य ठेकेदारों को भी ठेका दिया गया है। काफी पैसा खर्च करने को हो गया है। लेकिन सरकार ने वह धनराशि नहीं देकर यह स्थिति बनादी है कि रोड का काम आज तक अधूरा पडा हुआ है। कई बार राज्य सरकार से कहा गया है लेकिन आज तक सडक तैयार नहीं है। राज्य सरकार न 1968 में केशवराय-पाटन में सहकारी शुगर मिल का निर्माण किया है। रोड के अभाव में सडक द्वारा गन्ना पहुंचने में कमी रहेगी। इसलिये शीघ्र ही ध्यान देकर सरकार इस कार्य को पूरा करन की कोशिश करेगी।

दूसरे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, लाखेरी-लवान, लवान से बडाखेडा, बरखेडा से मरकेडा रोड 1956 में मंजूर हुई थी। इस लिए कहा जाता है कि पुलियों की सर्वे हो गई है लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। मिट्टी ही डाली गई है। जितना पैसा खर्च हुआ है, वह बेकार हो गया है। साथ ही जो भी मिट्टी डाली गयी है, वह वैसी की वैसी ही पडी हुई है। नालों का काम अभी तक अधूरा पडा हुआ है। वह दो इलाकों को कोटा से आने वाले को बून्दी से मिलाती है। बून्दी से आने वाले को कोटा से मिलाती है। आशा है, राज्य सरकार इसको पूरा करने की कोशिश करेगी। सरकार जितनी भी धन-राशि दे सकती है, उसको देकर उसके कार्य को पूरा करवाये। इसी तरह से 1 मील से 3 मील तक अधूरी सडक पडी है। 4 मील से 12 मील तक अधूरी सडक पडी हुई है। जिसके लिए 3,75,000 रु. की राशि भी मंजूर हो गई थी। लेकिन कार्य अधूरा पडा हुआ है। वह कार्य रुपया देकर पूरा नहीं करवाया गया है। वहां आवागमन की सुविधा के लिए पुल बनवाना चाहिए। वहां पुल नहीं बना है जिससे काश्तकार जो ट्रक या बैलगाडियां ले जाते हैं उनको कई दिन लगते हैं। काफी असुविधाओं का सामना करना पडता है। साथ ही जो इन्द्रगढ से नैनवा से देई जो एक दूसरे को जोडते हैं अधूरी ही पडी हुई है। इन्द्रगढ से करवर, करवर से देई, और बून्दी जो सडक जाती है, उसका पैसा मंजूर हो चुका है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि वह काम कब तक पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार इन्द्रगढ- नैनवा तहसील है, वहां अकाल राहत में सडक बनी थी। उसकी मिटटी खत्म हो चुकी है। और नालों पर पुल नहीं बनाये गये जिससे बरसात में काफी असुविधा पैदा होती है। इसलिए सरकार इसको पूरा करने की कोशिश करे। इसी प्रकार बून्दी से खरकड, खरकड से नैनवा रोड जाती है, उस में 10 मील का टुकडा है, जहां डामर नहीं डाली गई है। मिटटी डाली हुई है, वह बरसात में बह जाती है। अगर डामर डाल दिया जायें तो

(श्री नन्दलाल बैरवा)

रोड खराब नहीं होगी। उसका उपयोग हो जाएगा। इसके लिए निवेदन करूंगा कि जयतपुर से तलवास सडक जाती है, उस पर 3 मील का एसा टुकडा है। जो पहाडी इलाका है। बीच से होकर रोड निकलती है। उस पर डामर नहीं डाला गया है। तो उस पर भी डामर होने के बाद बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पडेगी। इसी प्रकार बून्दी से चितौड गाडियां जाती हैं। उस पर काफी गड्ढे हैं। रोड काफी खराब हो गई है। उसको ठीक करने की कोशिश की जाय। नैनवा से टोंक गाडियां जाती हैं। उस सडक पर भी काफी गड्ढे हैं। मिटटी डालते हैं तो बरसात में मिट्टी वह जाती है। मेरा सुझाव है कि 20 मील में चाहे 6 मील का टुकडा बनायें, डामर की बनवाई जाये। ताकि बार बार पैसा खर्च नहीं हो। साथ ही इन्द्रगढ से जाने वाली सडक दो पहाडों के बीच में होकर जाती है। इन गांवों को जाने के लिए बरसात में आने जाने का साधन नहीं है।

अगर बरसात हो रही हो तो जो लोग बीमार होते हैं या किसी प्रकार से परेशान होते हैं तो वह दूसरे गांव में नहीं जा सकते हैं। उस इलाके में इलाज का साधन नहीं है और यातायात का साधन इन्द्रगढ जान का नहीं है। इसलिए जो पहाडी इलाके के बीच में सडक है उनके कार्य को पूरा करवाने की आप कोशिश करें। साथ ही जो योजना के अन्दर सडकें आई हुई हैं, उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि उन सडकों को पूरा करके वहां पर जो यातायात की असुविधा आम जनता को होती है उसको दूर करवाने का प्रयास करें।

साथ ही मेरा निवेदन है कि रोटेदा से मण्डावरा मिलाने वाली सडक है वह दो-तीन मील का टुकडा है। उसको पूरा करें तो जिला बून्दी और कोटा से सम्बन्ध हो जायगा और वहां लोगों को आने जाने में असुविधा का सामना नहीं करना पडेगा और लोगों को वहां आने जाने का साधन मिल सकेगा। बीच में चम्बल पडती है उसके ऊपर कोटा के पास में एक ब्रिज बना हुआ है। वहां से आगे एक पुलिया हो तो कोटा, बून्दी और सवाई माधोपुर को मिला सकते हैं। यह स्थिति देख कर, मण्डावरा की स्थिति को देख कर आप एक पुलिया का निर्माण करें ताकि लोग इधर से उधर जा सकें और उधर से इधर आ सकें। इसमें किसानों को भी लाभ मिलेगा औय आम जनता को भी लाभ मिलगा। मैं इतना ही अपने क्षेत्र के लिए, कोटा बून्दी के बारे में यातायात के साधन के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। इसमें आप पूरा सहयोग करके इनको पूर्ण कराने की कृपा करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हंसराज आर्य !

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सभानेत्री जी, हमारे राजस्थान में इस बीस साल के अरसे में वैसे तो सडकों का सर्व हिताय सिद्धांत के मुताबिक काफी निर्माण हुआ है लेकिन अन्य प्रान्तों में जिस तेजी से सडकें बन रही हैं, उसके मुकाबले में हम कुछ पीछे है। खास तौर से राजस्थान का जो रेगिस्तानी हिस्सा है उसमें सडकों की कमी रही है। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे बोर्ड के इलाके में, जो पूर्ण तौर वे सडकों के मामले में पिछडा हुआ था, इन पिछले दो तीन सालों में काफी सडकें बनी हैं और बन रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत लम्बा चौडा क्षेत्र है आज भी वहां सडकों की कमी है। इसलिये हमारी सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए।

Page No 69

(श्री हंसराज आर्य)

रेगिस्तानी इलाके के लोग हैं वह वैसे हर तरह से पिछडे हुए हैं, खेती की उपज वहां कम होती है, वहां पीने के लिये पानी नहीं है, अस्पतालों की कमी है, स्कूलों की वहां कमी है और वहां पर सडकों की भी कमी है। इस वास्ते रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। बीकानेर के गांवों में, चूरू के गांवों में, गंगानगर के गांवों में, जोधपुर के गांवों में, और जैसलमेर के गांवों में सडकों की कमी है। मैं खास तौर से, सभानेत्री जी, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि सडकों के मामले में हमेशा इस बात का खयाल रहा है। जिस किसी मंत्री के पास यह विभाग गया, उसने अपने क्षेत्र में विशेष सडकें बनाने की कोशिश की है। इसलिये जो हमारे निर्माण मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कि सर्वहिताय सिद्धान्त को सामने रख कर वह सडकों का निर्माण करवायें। वह ऐसा न सोचें कि मैं जहां से चुन कर आया हूं वहां पैसा अधिक लगाऊं। इसलिये मैं खास तौर से पी. डब्लू. डी. मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सडकों के मामले में इन्साफ से काम करें।

(12.35 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

इस के साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि एक बहुत ज्यादा लम्बा रास्ता है, जयपुर से बीकानेर और जयपुर से गंगानगर का, इसकी हालत अच्छी नहीं है। यहां से पन्द्रह मील तक तो हालत अच्छी है ....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, I want to raise a point of Order.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

सदन-प्रांगण में विरोधी दल के सदस्यों के धरने तथा प्रदर्शनकारियों द्वारा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट आफ आर्डर यह रेज करना चाहता हूं कि सदन में हमारे कुछ कान्स्टीट्यूशनल राइट्स हैं और कुछ कान्स्टीट्यूशनल प्रावधानों के अनुसार हम सदन के प्रांगण में आते हैं और हमारा बिजनेस चलाते हैं जहां तक मैं जानता हूं, आपने व्यवस्था दी थी कि माननीय सदस्यों ने धरना जो हमारे प्रांगण के गेट पर किया था वह भी अनकान्स्टीट्यूशनल है। यह व्यवस्था दी थी। आज माननीय सदस्य सदन के अन्दर आकर धरना दे रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं कि जो हमारा डिबेट करने का राइट है उसमें डिस्टरबेन्स होता है। मैं इसे अनकान्स्टीट्यूशनल के अलावा मोरल वायोलेन्स भी मानता हूं-हमें उस रूप में फंक्शन न करने देना।

दूसरी बात मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य यहां पर मोरल वायोलेन्स कर रहे हैं लेकिन बाहर जो डिमान्स्ट्रेशन हो रहा है उसमें वायोलेन्स हो रहा है। मैं खुद अभी जब हाउस में आ रहा था तो बाहर गेट पर मेरा चश्मा तोड दिया गया, और मेरे साथ धक्का मुक्की की। कम से कम आप जन आन्दोलन चलाना चाहें तो उसमें वायोलेन्स तो नहीं करें। मेरे साथ में वायोलेन्स की, धक्का मुक्की की, तो मैं धक्का मुक्की का जवाब धक्का मुक्की से देने में विश्वास नहीं करता और यह फिजिकली

(श्री पी. के. चौधरी)

पासीबल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे जैसे आदमी का चश्मा तोड़ दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की। यह कहां तक सत्याग्रह में आता है। मैं समझता हूं, सत्याग्रह हाउस में नहीं हो सकता है। कान्स्टीट्यूशनली, अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर हमें डिबेट करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, डिबेट में पार्टीसिपेट करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर हाउस के अन्दर धरना देते हैं तो हमारी फ्रीडम के ऊपर एन्क्रोचमेन्ट होता है और जिस प्रकार डिबेट में पार्ट लेना चाहते हैं वह नहीं ले पाते हैं। इसलिए आपकी यह रेस्पान्सिबिलिटी है क्योंकि हाउस की प्रीमिसेज that is in your control गवर्नमेन्ट के कन्ट्रोल में नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें, क्या आपने इनको एलाऊ किया है? वैसे आपका फर्ज है कि डिबेट में पार्टीसिपेशन की हमें फ्रीडम देनी चाहिए, हमें हक देना चाहिए। अगर माननीय सदस्यों से हाउस में धरना देने के लिये एलाऊ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इनको एलाऊ करने से हमारे राइट आफ डिबेट, पर फ्रीडम और पार्टीसिपेशन इन डिबेट पर एन्क्रोचमेंट होता है। हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसलिये आप व्यवस्था दीजिये कि यह कहां तक उचित है, जो पाइन्ट आफ आर्डर मैंने रेज किया है, वह सही है या गलत है। अगर सही है you must execute you must provide us opportunity of taking free participation in the debate.

इससे प्रोसीडिंग्स में डिस्टरबेन्स होता है, इससे हाउस की प्रोसीडिंग्स में इन्टरफियरेन्स होता है, जिसे हम पसन्द नहीं करते हैं।

श्री जयनारायण (लसाडिया सु.): अध्यक्ष महोदय, अभी हम विधान सभा में आ रहे थे, महेन्द्र कुमार जी और मैं–हम दोनों यहां आ रहे थे। उस समय कुछ लोगों ने, पन्द्रह बीस लोगों ने, जब हम ओटो रिक्शा से उतरे, तो हमें घेर लिया और दो चार थप्पड मारे और पीटा। हम रिक्शा में वापिस बैठे और वापिस बैठ कर चले गये और दूसरे दरवाजे से, पुलिस लाइन वाले दरवाजे से होकर विधान सभा में पहुंचे। हमें लोगों ने अच्छी तरह मारा है।

श्री महेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं और जयनारायण जी, हम दोनों स्कूटर में आ रहे थे। यहां बाहर हमें एकदम भीड़ ने रोका और बहुत बुरी तरह धक्का मुक्की की। बडी मुश्किल से हम भीड में से निकल पाये। कई लोगों ने कपडे खींच लिये और मेरे दो तीन बटन टूट गये। फिर हम चौपड पर होकर पुलिस लाइन में होते हुए यहां आये। यह बडे दुःख की बात है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, जो कि हमारे नियमों के नियम 4, 269, 302 में प्रक्रिया है, उन नियमों की बराबर अवहेलना हो रही है। माननीय सदस्य कुर्सी पर आसीन हो सकते हैं, जहां उनका स्थान है वहां बैठ सकते हैं। यहां पर बैठ कर अगर वह अखबार पढते हैं, बात करते हैं तो जो कार्यवाही चलती है वह गलत चलती है, उसमें बाधा पडती है। और तीसरी बात, हम कांग्रेस के लोग हैं, व अहिंसा में विश्वास करते हैं, इसलिए मार को हमें सहना चाहिएं। और भी मारें तो हम सहें। मैं यह निवेदन करूंगा, जहां तक इस सदन का प्रश्न है, इस सदन की गरिमा को क़ायम रखने के लिए

(श्री मूलचन्द डागा)
नियमों का पालन होना चाहिए। एक बात में, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि जो नियम बने हुए वे वह इसलिए हैं कि हम कानून का शासन चलाते हैं। वैसे वे भी यह चाहते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसलिए लोकतंत्र की गरिमा को रखने के लिए, सदन की गरिमा को कायम रखने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन माननीय सदस्यों से प्रार्थना की जाय कि वह अपने स्थानों पर बैठें और इस प्रकार के काम न करें जिससे नियमों की अवहेलना हो और लोकतंत्र को क्षति पहुंचे। लोकतंत्र में अगर विश्वास करते हैं, तो अगर किसी माननीय सदस्य पर थप्पड पडता है तो वह उन माननीय सदस्य पर थप्पड नहीं है यह लोकतंत्र पर थप्पड है। आखिर आप लोकतत्र को कैसे बचाना चाहते हैं? लोकतंत्र को बचाने का तरीका थप्पड और मुक्का है? मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर लोकतंत्र इस प्रकार से आगे नहीं बढेगा माननीय सदस्य जिस प्रकार का रुख अख्तियार कर रहे हैं, उनमें उनका फर्ज होता है कि जो लोग प्रदर्शन करते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं तो उनको वहां पर जाकर रोकें। इस प्रकार की कार्यवाही करने से काम नहीं चलेगा। यह जो थप्पड माननीय सदस्यों के मारे हैं, मैं समझता हूं लोकतन्त्र को आगे बढाना चाहिए उसके लिए उचित नहीं होगा। इसके लिये मैं अपील करूंगा माननीय सदस्यों से कि नियमों की पालना करें और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी कहें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): माननीय अध्यक्ष जी, जैसा दो तीन माननीय सदस्यों ने कहा, आबस्ट्रक्ट किया। जो हाउस में आने के लिये प्रिविलेज है उसके लिये माननीय सदस्यों ने यहां विचार व्यक्त किये थे। जिसबेरी कमीशन के मामले को लेकर यह बात आई है उस बेरी आयोग की रिपोर्ट में यह बात भी आई है कि जनता को भडकाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी यह मान्यता है, माननीय अध्यक्ष जी, शुरू में माननीय सदस्य यहां पधारे थे तो मैंने चेयर से रिक्वेस्ट की थी कि माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट की जाय कि विधान सभा में उनको आने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने स्वय ने घोषणा की थी हाउस के बाहर- दरवाजे के बाहर बैठकर पीसफुल और गान्धियन वे में धरना देंगे। जहां तक मुझे मालूम है यही घोषणा थी कि यहां की जनता पर अनहोनी घटना हुई है और अब फिर किसी तरह जनता को प्रवोकेशन न मिले। माननीय सदस्य जो जयपुर से आने वाले हैं, सतीशचन्द्र जी उनकी यह मान्यता है और स्पष्ट कहा है कि हमें आगे सबक लेना पडेगा और आइन्दा घटनायें नहीं होंगी। मेरे ख्याल से आपके सामने बडी समस्या है। यह पहला एक उदाहरण है। पिछले इतने सालों में विधान सभा के सामने 1952 से आज दिन तक यह पहली घटना है जिसके बारे में व्यवस्था देने का प्रश्न उपस्थित हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में क्या किया जाय, आपकी समस्या किस तरह दूर हो। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, यहां पधारे यह अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। उनके नाम कुर्सियों पर लगे हुए हैं, चुनकर वे आये हैं, किसी ने मना नहीं किया है परन्तु इस गैलेरी के अन्दर इस तरह बैठने से माननीय सदस्यों की क्या मन्शा है वे ही जान सकते हैं। जैसा ऐलान किया है वे कैसे अग्रेसर होना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वे ही जान सकते हैं। फिर भी चेयर के अपने इन्फ्लूएन्स से, क्योंकि संविधान में जो नियम हैं उनके अन्दर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
इसका प्रावधान नहीं है कि क्या किया जाय फिर भी जैसे मौजूदा नियम हैं उनके अनुसार इस तरह की परिस्थिति में व्यवस्था कायम की जा सकती है, की जाय। माननीय चौधरी साहब ने कहा कि फ्रीली हमारी डिबेट चले। यह तभी हो सकता है जब माननीय सदस्य सीटों पर बैठ जायं या जैसा ऐलान किया है बाहर बैठने का, उनका अधिकार है शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने का। जनतन्त्र ने उनको यह अधिकार दिये हैं। जनता को भाषणों द्वारा प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं। आप यहां पर बैठे हैं, हो सकता है आपने नहीं उकसाया हो लेकिन आपके सारे एक्शनों से जनता में असन्तोष फैलता है, वातावरण उस प्रकार का बनता है। फिर दुबारा वह मौका नहीं मिले इसलिए पीसफुल तरीके से होना चाहिए।

आपका भी सदन में बैठने का अधिकार है और रहेगा। इस पृष्ठ भूमि को देखकर बेरी आयोग का जो कनक्लूजन है उसको गवर्नमेंट माने इस के लिए आपका अधिकार है कि गवर्नमेन्ट पर दबाव डालें। यह स्वस्थ परम्परा और कान्सीट्यूशन का राइट है। परन्तु विधान सभा की परम्परायें हैं, इधर बैठने वाले हों या आप हों सबकी बराबर हैं। आप महसूस करते है कि इस विधान सभा में बैठकर आप अपने नियमों के जरिये दबाव डाल सकते हैं तो सीटों पर बैठें और अपने राइट को एक्सरसाइज करें। इसके बारे में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और आप का भी ऐसा व्यवस्था हो जिससे यह समस्या दूर हो।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार की घटनायें हो रही हैं मेरे ख्याल से सदन के कोई भी माननीय सदस्य उससे चिन्तित नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा जब वे विधान सभा की मीटिंग अटेन्ड करने को आ रहे थे तब उनके साथ किस प्रकार अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई, पीटा गया और उनका चश्मा तोड दिया गया जिसके कारण वे विधान सभा की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले सके। इस प्रकार का व्यवहार लोकतान्त्रिक परम्परा नहीं है और यह लोकतन्त्र के विपरीत है। इसके अलावा माननीय सदस्यों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है जैसा जय नारायण जी और महेन्द्र कुमार ने कहा, विधान सभा की मीटिंग को अटेन्ड करने को आ रहे थे तब उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की और माननीय सयस्यों को विधान सभा की मीटिंग अटेन्ड करने से रोका गया और दुर्व्यवहार किया गया। ये अप्रजातान्त्रिक बातें हैं, किसी जनतन्त्र में इस प्रकार की बातें नहीं हुई हैं। इस प्रकार की बातों से जनतन्त्र फलता-फूलता नहीं है। अपनी बातों को हिंसात्मक तरीकों से मनवाना चाहते हैं तब तो और बात है और इसका मतलब यह है कि आपका जनतन्त्र में विश्वास नहीं है और आप जनतन्त्र को खतम करना चाहते हैं और आज उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार की घटनायें आ रही हैं और जिस प्रकार के उत्तेजनात्मक भाषण चौपड पर और यहां पर दिये गये वह लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं के लिए उचित नहीं है। लोकतन्त्र की परम्पराओं के आधार पर राजस्थान का कार्य भार सम्भाल कर हमने उसे आगे बढाया है उसको हिंसात्मक तरीके से उखाडकर जो वातावरण आज बनाया जा रहा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

है, मैं समझता हूं इस तरह से लोकतन्त्र टिक नहीं सकता और जो इसके अन्दर विश्वास नहीं करते हैं वे इसके अन्दर घुसकर अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको दूर करना चाहिए। सदन की परम्पराओं के खिलाफ माननीय सदस्य कुर्सियों पर न बैठकर माननीय सदस्य जिस रास्ते से गुजरते हैं वे उसको रोके हुए हैं। उनको कुर्सियों पर बैठकर विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इस तरह से बैठकर हमारे कार्यक्रम में बाधा उपस्थित करते हैं। माननीय सदस्य जो उधर से निकलते हैं, उनको बाधा उपस्थित होती है। यह विधान सभा की परम्पराओं के विपरीत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपका स्वयं का अपमान है और सारे सदन का अपमान है। किसी भी माननीय सदस्य द्वारा रास्ता अवरुद्ध करना, प्रोसिडिंग्स में जो हम हिस्सा ले रहे हैं उससे मना करना—यह लोकतान्त्रिक परम्पराओं के विपरीत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका प्रबन्ध करना आपके हाथ है। आपको चाहिये जो भी माननीय सदस्य इस विधान सभा में प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने को आना चाहे, निर्भयता पूर्वक आ सकें, उसके साथ दुर्व्यवहार न हो और जनता के लोग जो उनका रास्ता अवरुद्ध करना चाहते हैं, मारपीट करना चाहते हैं उनके सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करें। यह हमारा प्रिविलेज का अधिकार है। जनता ने चुनकर भेजा है तो वे अपने विचार व्यक्त करें आपके सामने जो तकलीफ है, जो कार्यक्रम है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसको रखें लेकिन इन सब बातों से जो रोका जा रहा है वह लोकतन्त्र की परम्पराओं के विपरीत है, विधान सभा की परम्पराओं के विपरीत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आसन के आदेशों और उनके पालन न करने की एक संज्ञा देते हैं इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाय और आइन्दा इस प्रकार की बात नहीं हो और विधान सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चले इसकी व्यवस्था की जाय ताकि माननीय सदस्य अच्छी प्रकार से हिस्सा ले सकें।

श्री जवाहरमलजी (सराडा): अध्यक्ष महोदय, मैं भी जब यहां आरहा था चौपड पर बस से उतर कर पटरी पटरी तो मुझे और मेरे साथियों को भी रोका गया, मेरे साथ मांडल के प्रधानजीथी, सहाडा के प्रधानजी थे, रायपुर के प्रधानजी भी थे और कुछ कार्यकर्ता थे। हमें अपने साथियों की टोपियां उतार कर आना पडा और वे साथी तो बाहर सडक से ही लौट गय और मैं कैबिन के पीछे से होकर बडी मुश्किल से यहां आया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात पर खेद प्रकट करना चाहता हूं कि सदन के कुछ माननीय सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और हिंसात्मक कार्यवाही हुई। इस सम्बन्ध में 3॥ बजे होम मिनिस्टर आज की घटनाओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सदन के अन्दर देंगे।

लेकिन इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के एजीटेशन को प्रोत्साहन दे रहे हैं उनको इस बात का अनुभव करने की आवश्यकता है कि आज इतनी कम तादाद में जो डिमान्स्ट्रेटर्स आये थे उन हालातों

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

के अन्दर भी अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियां शुरू हो गई हैं तो आखिर ये कहां पर लीड करने वाली हैं और इसका क्या परिणाम हो सकता है। इन परिणामों के लिये, मैं समझता हूं कि आज की घटनाएं जो सदन के समक्ष आई हैं जो लोग एजीटेट करवा रहे हैं प्रवोक कर रहे हैं उनकी सारी जिम्मेदारी होगी, इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। इससे ज्यादा मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष: जो भी सदन में अथवा सदन के बाहर सदन के आहते में इन दिनों विषम स्थिति उत्पन्न हुई है इस आसन को उस पर गहरा दुःख भी है और क्षोभ भी है। मैं इस अवसर पर बहुत कुछ मौन रहना चाहता था। मौन इसलिए, कि हम आगे चलकर पुनः अपनी परम्पराओं को, अपने नियम, उपनियम, अपने संविधान की प्रतिष्ठा का संरक्षण कर सकें।

किन्तु यदि मैं इस समय अपनी मान्यता की अभिव्यक्ति नहीं देता हूं तो इस आसन की परम्पराएं, आसन का सम्मान और सदन की परम्परायें और सदन का सम्मान एक प्रश्न चिन्ह बनकर जनता के सम्मुख उपस्थित होता है और भविष्य के सम्मुख भी। इस आसन का दायित्व बडा विषम और दुरूह और कर्तव्य भी विषम और दुरूह है। चाहता तो मैं यह था कि प्रजातान्त्रिक तरीके जो संविधान ने और अपने नियमों ने और हमारी परम्पराओं ने हमको दिये हैं, उनके अनुसार विरोधी दल अपनी मांगों को मनवाने का व्यवहार करता। वह हमारी परम्पराओं को और सुदृढ करने वाला होता। संविधान का आदेश, संविधान के अन्तर्गत बने नियम और उपनियम अनुशासन रखने अथवा सदन के डेकोरम को कायम रखने के सम्बन्ध में अभिव्यक्ति जो विद्यमान हैं, उन्हें करना आवश्यक है। आसन के अधिकार Punitive power के हैं, मैं अब तक इसके प्रति सजग था। यह आसन यह चाहता रहा कि इन अधिकारों का एब्यूज आफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर कम से कम प्रयोग हो। किन्तु यदि मैं इस पर चिन्तन नहीं करता हूं तो हमारी डेमोक्रेसी और प्रजातान्त्रिक तरीके नष्ट होंगे, उनका संरक्षण भी आवश्यक है।

अल्पमत अपनी मांगों को सदन के इस प्रांगण पर रखकर प्रजातान्त्रिक तरीके से राज्य सरकार को अथवा बहुमत को बाध्य करता रहा है। संवैधानिक तरीकों से, वह एक तरीका है जो शताब्दियों से बराबर चला आ रहा है और उन देशों से जहां से हमने प्रजातन्त्र की प्रेरणा ली है। मदर आफ दी पार्लियामेन्ट वहां से उसका प्रारम्भ हुआ है। अब मैं इस मौके पर और क्या कहूं? आखिर आगे चलकर के यह अल्पमत अपने अपने आसन पर बैठकर बहुमत को सहयोग देने वाला है। हम परस्पर बैठकर विचार-विमर्श करते रहे हैं, अल्पमत शान्ति से अपने प्रश्नों को रखता रहा है। इस सदन की यह परम्परा रही है कि यदा कदा जब भी जो सुझाव अल्पमत से आये हैं बहुमत ने भी माने हैं।

यह एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया जिसमें विषमता पैदा होती जा रही है। मैं संविधान के संरक्षण, परम्पराओं और हमारी मान्यताओं के संरक्षण पर कुछ कहना अवश्य चाहता हूं। इस उद्देश्य से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो धरणे पर बैठे हैं वे अपने दायित्व को समझें और आने वाला युग

(श्री अध्यक्ष)

है उसका मार्ग-दर्शन करें, प्रजातान्त्रिक प्रशासन के सम्बन्ध में। इसके पूर्व भी दो घटनाएं गुजरी थीं। एक में इस सदन के प्रांगण का उपयोग संविधान की परम्पराओं और हमारी सदन की परम्पराओं के प्रतिकूल हुआ था, दूसरी घटना उससे अधिक उग्र थी जिसमें इस सदन के प्रांगण का दुरुपयोग किया गया था।

मैं उस समय भी अल्पमत और बहुमत के सम्बन्ध में कोई विकार और विषमता न पैदा हो उन प्रश्नों पर, मैं मौन रहा और मौन इसलिये रहा कि आगे चलकर जो विषमताएं घटनी हैं सम्भवतः हमारी परम्पराओं के संरक्षण में वे ठीक हो सकें। यह निश्चय ही ठीक है कि संविधान ने इस सदन को और सदन के बाहर के जो हिस्से हैं उनका अधिकार इस आसन को दिया है और इसकी सीमा के अन्तर्गत जो भी बातें होनी चाहिए वे संविधान के अन्तर्गत ही होती हैं। जिसका अर्थ है कि जितने समय हाउस, उनकी कमेटियां, उनके सम्बन्ध में वाद-विवाद आते हैं, ऐसे प्रश्न जो हमारे नियमों में आते हैं इस आसन को उनके संचालन में इजाजत देने का अधिकार रहा है। मैंने अपने पहले के वक्तव्य में गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा था कि यह धरना हमारी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आता, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत भी नहीं आता। इसलिए यह धरना हमारी प्रजातान्त्रिक तरीकों पर विपरीत आघात करेगा। यद्यपि माननीय सदस्यों ने इस सदन के बाहर अपना धरना आरम्भ किया, यह आसन उस पर मौन रहा यह समझते हुए कि तीन चार दिन का प्रश्न है तो मेरा मौन रहना ही उपयुक्त है। यद्यपि इस का आघात स्वस्थ परम्पराओं पर पड़ता है, फिर भी मुझ को विश्वास था कि भविष्य में इसमें कुछ सुधार हो सकेगा।

किन्तु आज की इस परिस्थिति में जब कि हमारे नियमों के अन्तर्गत पैर ऊंचे रखकर बैठना, अखबार पढ़ना, और मन्त्री महोदय का राजकीय फाइलें निकालना इन सब पर नियन्त्रण है। बिजनैस आफ दी हाउस के अन्तर्गत और कोई बिजनैस इस हाउस के प्रांगण पर ट्रान्जेक्ट नहीं हो सकता। उसको संविधान ने डेकोरम कहा है।

(1 म. प.)

उस डेकोरम के अन्तर्गत माननीय सदस्य अपने आसन पर बैठ कर ही वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं। मैं ऐसे प्रश्न पर कुछ कहना नहीं चाहता, यह स्वयं सिद्ध प्रश्न है माननीय सदस्यों के समझने का कि सदन के प्रांगण पर जिस तरीके से माननीय सदस्य बैठे हैं, यह अब तक के प्रजातन्त्र के इतिहास में, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। मैसूर, वहां की असेम्बली में इस तरह का व्यवहार हुआ, जनमत ने उसको अच्छी दृष्टि से लिया हो, ऐसा नहीं, कई सम्पादकीय टिप्पणियां इस पर प्रस्तुत हुईं और उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि यह परम्पराओं की व्यवस्था पर आघात है। सदन के प्रांगण को दूसरे तरीकों में इस्तेमाल करना।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि इससे अर्थ किसी व्यक्ति विशेष का न समझें यह संविधान का प्रश्न है। यदि मैं निवेदन करूं कि आपके उस व्यवहार में, जो सदन के बाहर इस चेम्बर के बाहर रहा मौन हो कर उदासीनता लेकर किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, किन्तु अब, जब माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य सदन के भीतर उस रास्ते को, जो आवागमन का रास्ता है, ऐसे तरीके से जो इसके डेकोरम के विपरीत है या उस व्यवहार से जो हमारी परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत है, रोके हुए हैं, उस सम्बन्ध में मैं इस आसन के अधिकारों का उपयोग करूं किन्तु यह मेरे लिए आवश्यक एक दुविधा का प्रश्न है, इसके पूर्व यदि मैं माननीय सदस्यों से कहूं, निवेदन करूं दर्द के साथ कि यदि आप अपना कार्यक्रम यहां बैठ कर के आरम्भ रखना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम आपका मैं परम्पराओं के अन्तर्गत नहीं मानता, संविधान और नियम, उपनियम, के अन्तर्गत नहीं मानता, मुझे बाध्य हो कर कहना पडता है कि इस सम्बन्ध में यदि मैं मौन रहता हूं तो भविष्य की प्रजातान्त्रिक प्रणालियों की आंखों में यह आसन दोषी माना जायगा। मेरा कर्त्तव्य दुरूह, कर्कश है। मुझे यह अभिव्यक्ति देनी पडती है। मैं तो चाहता तो यह था कि माननीय सदस्य स्वयं इस प्रश्न को समझें। मैं यदि आग्रह करता हूं, वह भी मैं नहीं कहना चाहता। यदि निवेदन करना चाहूं कि आप बाहर चले जाएं अगर, तब भी मुझको भय है कि माननीय सदस्य उस निवेदन को न मानें, तब तो इस आसन का वह अपमान होता है। मैं बडा चिन्तित हूं इस प्रश्न पर। मेरा कर्त्तव्य तो बिल्कुल स्पष्ट है और कर्त्तव्य भी संवैधानिक कर्त्तव्य; लेकिन मुझ में दुर्बलता है कि संवैधानिक कर्त्तव्य में अपने मानवीय दृष्टिकोण का मैं उपयोग कर रहा हूं, जो नहीं होना चाहिए। इस सारे प्रश्न पर गम्भीरता से यदि मैं विचार करूं तब भी कोई दूसरा उपाय इस आसन को नहीं दिखाई देता सिवाय इसके कि जो इस सदन ने और सदन का अर्थ जिसमें विपक्ष, विरोधी दल भी हैं, जो अधिकार इस आसन को दिये हैं, उन अधिकारों का मैं उपयोग करूं, किन्तु अधिकारों का उपयोग करने से पहले मुझको और भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि सदन के माननीय सदस्यों में अन्ततोगत्वा विरोध पैदा हो, विक्षोभ पैदा हो, जिससे आगे चल कर सदन की कार्यवाही में, उसकी व्यवस्था में कुछ दुविधा पैदा हो।

इतना कहने पर, जैसा मैंने कहा, कर्त्तव्य मुझको स्पष्ट दिखता है; लेकिन उसकी क्रियान्विति में मुझमें अपने प्रति उदासीनता है। जो कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे सम्मुख स्थिति को रखा, वह स्थिति ठीक है। जहां तक संविधान का प्रश्न है, एक बार और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूं कि यह आसन किसी की बपौती नहीं है। इसी युग में इसी आसन पर इस सदन पर न मालूम किसको बैठना पडे, तब ये परम्पराएं उन्हीं के भविष्य के लिये घातक बन सकती हैं जो वह बना रहे हैं। भविष्य को और वर्तमान को सामने रख कर अपनी मांगों के प्रश्न पर जो संवैधानिक प्रजातान्त्रिक तरीके हैं, उनको यदि अपनाया जाय तो उपयुक्त होगा।

मैं अधिक इस पर जोर इसलिये कह रहा हूं कि माननीय सदस्य जो विरोध प्रकट कर रहे हैं, वे इन सब बातों को समझते हैं। यह बात नहीं है कि मैं कोई नई बात उनके सामने रख रहा हूं। वे संविधान की बारीक से बारीक बातों को समझते हैं, डेकोरम और व्यवस्था इन बातों को बहुत बारीकी से समझते हैं और यदा कदा सहयोग देते रहे हैं। यही ऐसा प्रश्न पैदा हो गया जिससे वह हमारी संविधान की पुस्तक, जो प्रशासन और प्रजातन्त्र को कायम

(श्री अध्यक्ष)
रखने में समर्थ हैं, उसके अभी उसूल दिखाई नहीं देते।

आपको मैं इस प्रश्न पर नहीं कहना चाहता।

(कुछ क्षण विराम)

मैंने अपना यह मत दे दिया है, मैं इसे, माननीय सदस्य जो विरोध प्रकट कर रहे हैं, उनको यह अवसर देना चाहता हूं इस पर वे शान्त मन से, गहराई से, भविष्य को आंकते हुए उस पर चिन्तन और मनन करें तो संभवतः उनको सही दिशा का ज्ञान हो सके। इस आसन को अपना कर्कश, कर्कश तो मैं नहीं कहता, संवैधानिक कर्त्तव्य को निभाने का मौका नहीं आये। मैं इस अवसर पर इतना ही कह कर ज्यादा नहीं कहना चाहता।

मेरी आशा है, मेरी भावनाएं इस सदन के प्रांगण के माध्यम से जनमत भी समझेगा। विरोधी दल भी इस परम्परा को निभाने में, जिसका सबसे बडा कर्त्तव्य है, वह भी समझेगा। मैंने भय से, भय से जिसका मतलब सम्बन्धों के भविष्य में न बिगडने की आकांक्षाओं से, मैंने अभी कोई कदम नहीं लेने का सोचा है। मैं इस पर चिन्तन कर रहा हूं। सम और विषम परिस्थितिएं, क्रिया और प्रतिक्रिया इस सब पर विचार करने के बाद, जो उचित होगा, मैं इस प्रश्न पर सोचूंगा।

इतना ही पर्याप्त होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: माननीय अध्यक्षजी, इस बारे में मेरा सुझाव है, यह सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिये स्थगित करके, माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करके वे एग्री करते हैं..

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री): नहीं, वह हम एग्री नहीं करते।

श्री पी. के. चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था सुनी पर मैंने पोइन्ट आफ आर्डर एग्जीक्यूशन के लिए उठाया था कि या तो सदन को क्लीयर करें आब्स्ट्रक्शन से, या सदन के नेता महोदय मूव करें कि इनको 6 महिने के लिए, दो महिनों के लिये या हफ्ते दो हफ्ते तक के लिये सस्पेन्ड करें। कान्स्टीट्यूशनल पोजिशन यह है कि या तो सदन के नेता महोदय मोशन मूव करें सस्पेन्शन के लिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि चिंतन कर रहे हैं, जो आपने कहा, उस पर भी चिंतन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: वाद-विवाद आरम्भ हो।

अनुदान की मांगों पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री हंसराज आर्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि जो सडक बीकानेर को जयपुर से जाती है और गंगानगर को जाती है, इसकी हालत अच्छी नहीं है। काफी स्थानों पर सडक टूट रही है, बडे बडे खड्डे पड़े हैं, आवागमन में बाधा पहुंचती है। इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक ऐसी परम्परा पड गई है जो भी रूट्स निश्चित की जाती है वहां पर पुल कुछ सडकों के बना दिये जाते हैं और बाकी को छोड दिया जाता है। उस समय यह बात बनती है जिसकी वजह से उनका मेल नहीं बैठता। पुलों की ऊंचाई रहती है और आवागमन में बाधा पडती है। इसके

(श्री हंसराज आर्य)

अलावा राजस्थान में और खास तौर से गंगानगर जिले में एक ऐसी रोड है जिसका नाम इस सदन में पिछले दो सालों से चीन की दीवार लिया जा रहा है। वह रोड है सावा से भादरा। संवत् 2008 के अकाल में चालू हुई थी और अब 2025 है, वह सडक अभी तक नहीं बनी। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने उसके लिए पिछले वर्ष कुछ पैसा दिया था, उसका काम हुआ है लेकिन मुझे संदेह है कि तारकोल नहीं पडा है। जो सडक 18 साल से विभाग के विचाराधीन है, अब तक कम से कम उस पर तार कोल डाला जाय और पूरा करें और जो नाम पड गया है उसको अब बदल देना चाहिए।

इसके साथ भादरा से वाया झांसल हिसार को सडक जाती है उसकी भी बुरी हालत है। कुछ स्थानों पर तो पता ही नहीं चलता कि रोड है भी या नहीं। निशान ही मिट गए। इस सदन में प्रश्नों द्वारा भी यह बताया गया था लेकिन आज तक उसकी मरम्मत का काम नहीं करवाया गया। इसकी मरम्मत होनी चाहिए। वह महत्वपूर्ण सडक है। दो प्रांतों को जोडती है। इसके साथ ही दूसरी सडक भादरा से नोहर जाती है जिसकी हालत गंभीर हो गई है। अभी तो थोडी धनराशि में इसकी मरम्मत हो सकती है लेकिन कुछ समय बीतने के बाद नए सिरे से काम शुरू करना पडेगा और अधिक धन लगाना पडेगा। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

गंगानगर में नोहर ऐसा क्षेत्र है जहां 50-50, 60-60 मील पर रेल नहीं, 30-30, 40-40 मील पर सडक नहीं। उस क्षेत्र में हमेशा सडकों का अभाव रहता मैं खास तौर से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सडक नोहर से पालू शुरू कराई गई थी वह पांच मील चलकर बन्द हो गई है। वहां पर दो-तीन मील तक मिट्टी पड गई है। यदि तारकोल न हो सके तो कम से कम कंकर तो डलवा दीजिए ताकि आने जाने का रास्ता हो सके। इसी तरह से नोहर से सरदारशहर को मिलाना जरूरी है, इस पर काफी चर्चा हुई है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं गया है। पिछली बार गंगानगर जिले में हमारे मुख्य मंत्री जी नोहर पधारे थे तो उन्होंने आम सभा में एलान किया था कि मैं खास तौर से एलान करता हूं कि नोहर से सावा रोड को सबसे पहले बनाना चाहिए। यह मुख्य मंत्री जी का एलान था लेकिन दुख की बात है कि भंयकर अकाल होते हुए भी अकाल राहत कार्य में भी नोहर से सावा तक की सडक का काम चालू नहीं किया गया है। जो रोड नोहर से पल्लू जायेगी उसको पालू से जेतपुर होकर अरजनसर तक बनाना चाहिए इससे वहां के लोगों को रोटी रोजी भी मिल सकेगी। इसी तरह से पल्लू से सूरतगढ का प्लान था। हमने समझा कि राहत कार्य में इसको हाथ में लिया जायगा लेकिन उसे नहीं लिया गया ह।

इसके साथ 2 और सडकें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डावही से शेरडा 7 मील का छोटा टुकडा है, यह बहुत दिनों से विचाराधीन है। इसी तरह से अमरपुरा जीतपुरा का टुकडा है जो काफी समय से विचाराधीन है। निवाणा महराना का टुकडा है जो रामसर जायेगा।

(श्री हंसराज आर्य)

इसी तरह से शेरपुरा से पंजाब की सीमा तक यह सडक जायगी वाया मलखेडा गांधी बड़ी। गोगामाडी से एक छोटा टुकडा है, तीन चार माइल का है जो नेठराना तक था लेकिन बीच में पडा हुआ है। बहुत दिनों से ये छोटे छोटे टुकडे पडे हैं और ये लोगों के आवागमन के लिए जरूरी हैं लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। हमारी सडकें जो बनती हैं वे कुछ निश्चित अवधि के अन्दर बननी चाहिए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि भादरा से सावा जीरो से एक माइल का टेंडर शायद तीन चार साल पहले सैंक्शन हुआ होगा। आज तक एक मील का टुकडा नहीं बन पाया है, तीन चार साल हो गए, वह टुकडा बनना चाहिए। जब हम जानते हैं कि अमुक सडक जरूरी है तो एक अवधि के अन्दर बननी चाहिए, लम्बे समय नहीं चलने देना चाहिए। फेफाना से जनानिया तीन चार मील का टुकडा है, अधूरा पडा है। खास तौर से रेगिस्तान में सडकों की मरम्मत के लिये विशेष पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सडकें टूटे नहीं। क्योंकि वहां बालू हवा से उडती है।

अन्त में एक प्रार्थना और करूंगा। पिछली बार, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने थोडे समय में ही गोगे की मंडी तक सडक बनाई उसके लिये तो धन्यवाद है उस पर जो बाकी एक मील का टुकडा पडता है वह भी तारकोल का बनना चाहिए। अगर ऐसे ही रही बिना तारकोल क तो वह जल्दी टूट जायेगी। उसकी इंटें कच्ची हैं उसको रोका जाय।

इस समय अकाल में कुछ सडकें चल रही हैं। वे सडकें पी. डब्लू. डी. के मार्फत चल रही हैं, वहां कंकर डलवाना जरूरी है, नहीं तो गर्मी के दिन आ गए हैं, तूफान चलेंगे, आंधियां आयेंगी, मिट्टी उड जायेगी, पैसा लगा दिया बेकार जायगा और दिन भर खर्च किया गया पैसा रात को बेकार चला जावेगा। जितनी मिट्टी डलवायें उसके साथ कंकड भी पडने चाहिए। भादरा से राजगढ तक की सडक चालू है। मैं नहीं कह सकता कि राजगढ से भादरा की ओर शुरू किया है या नहीं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एलान किया था कि भादरा से राजगढ चालीस मील का टुकडा है उसको शुरू करना जरूरी है। इसके नहीं होने से रेल में बहुत भीड रहती है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी का एलान था कि यह बने। जहां तक चूरू जिले का सवाल है यह राजगढ से शुरू हुई या नहीं, जिन जिन गांवों में यह जावेगी उधर से इस पर मिट्टी पडनी चाहिए ताकि दोनों ओर से मिट्टी पडने पर सडक का काम हो सके। कंकडों का प्रश्न आया। रामसर गांव में खान है। बडा मजबूत पत्थर है। वह पत्थर हाथ से टूट नहीं सकता। इसलिए पत्थर तोडने की मशीन भेजी जाय ताकि उस खान को तोड सकें और सडकों पर कंकड डाले जायें।

इसके साथ साथ मैं खास तौर से फिर मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो जो सडकें अधूरी पडी हैं वे जल्दी से जल्दी पूरी करवायी जायें। अन्त में मैं विभाग को धन्यवाद दूंगा कि इस वक्त जो सडकें बन रही हैं वे ठीक बन रही हैं। गंगानगर से सूरतगढ। वह पंजाब वगैरह के मुकाबले की सडक बनी है। आयन्दा भी ऐसी सडकें ही बननी चाहिए। मन्त्री महोदय मैंने जो आपके सम्मुख सुझाव रखे उनके साथ साथ जो आश्वासन सरकार ने

(श्री हंसराज आर्य)

दिये हैं उनको पूरा किया जायगा और अधूरी सड़कों को पूरा किया जायगा । इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । तहसील लेवल पर जो बिल्डिंग्स हैं और बाहर हैं उनकी रिपेयर्स की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है । ऐसी कई पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनकी रिपेयर्स होने की आवश्यकता है । यदि पैसे की कमी के कारण रिपेयर्स नहीं होगी तो निकट भविष्य में बिल्डिंग्स के गिरने का खतरा है । सांचोर में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर है उसकी बिल्डिंग्स और उसके पीछे जो क्वार्टर्स हैं वे सब पुराने हैं । रिपेयर्स में थोडा पैसा दिया जाता है इसलिये वाइट वाश कर देते हैं । जिन बिल्डिंग्स में क्रेक हो गई हैं उनके लिए स्पेशियली रिपेयर्स का प्रोविजन करना चाहिए । तहसील लेवल पर बिल्डिंग रिपेयर्स न होने से और यह ऐसा क्षेत्र है कि जहां सरकार के अधिकारियों के रहने के लिए मकान भी नहीं हैं, सांचोर, बाडमेर, जालोर काला पानी माना जाता है और ऊंचे किराये पर भी अधिकारियों को मकान नहीं मिलते हैं । ऐसी जगहों के लिए सरकार की पोलिसी होनी चाहिए, मिनिमम रूप से तहसील हैडक्वार्टर पर मकान मिले । सालाना में सरकार एक न एक मकान तो जोडे क्योंकि अधिकारियों के लिये रहने के लिये मकान नहीं होते हैं और रहने की सुविधा नहीं होती है तो अधिकारियों का काम करने में मन भी नहीं लगता है । कोई सरकारी अधिकारी आता है तो पहले तो डाक बंगले की व्यवस्था नहीं थी, अब डिफेन्स का डाक बंगला बन जाने से, रिक्वेस्ट करते हैं तो एक दो दिन ज्यादा ठहर जाता है । विकास का युग है और सरकारी अधिकारियों से आशा की जाती है कि जगह जगह की प्रोब्लम्स को देखें लेकिन वे कहते हैं कि हमारी भी तो प्रोब्लम्स हैं । रहने का स्थान नहीं और पानी बहुत खारा है । पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिये फंड्स अलाट होने चाहिए । स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं उनको तो पी. डब्लू. डी. वाले लिस्ट में लेते ही नहीं हैं । पी. डब्लू. डी. वालों से पूछते हैं तो वे कहते हैं सब-डिविजनल लेवल की बिल्डिंग्स को लेते हैं उससे बाहर की हमारी फहरिस्त में नहीं है । बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं । सरकार को इमारत बना कर दे दी और सरकार का स्कूल हो गया । गांव वाले कहां तक उनकी रिपेयर्स करा सकेंगे । रिपेयर्स नहीं होगी तो खराब हो जावेंगी । इसलिये इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों और मन्त्रियों को बैठ कर तय करना चाहिए । कहते हैं पैसे की कमी है । लम्बी चौडी सूची नहीं आ जानी चाहिए । वे डरते हैं । जान बूझ कर लेते नहीं ; जब कहते हैं तो कहते हैं कि जनता की ओर से रिपेयर करवा दें हम लेंगे । कई बार रिपेयर्स भी करा दी । फिर क्रेक्स हो गई तो फिर रिपेयर करा दी फिर भी नहीं लेते । ऐसी इमारतें हैं जो राज्य की इमारतें हैं जिनमें राज्य के स्कूल चलते हैं या और काम काज होता है तो विभागों को बैठ कर इस पर सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इनकी रिपेयर आदि की जा सकती है । पब्लिक ने बिल्डिंग्स बना कर दे दीं । कितना उन पर खर्चा लगना चाहिए, किस जिले में कितना पैसा देना चाहिय यह पी. डब्लू. डी.

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पहले देख कर तो रिपोर्ट करे। शिक्षा विभाग तो टेक्निकल विभाग नहीं है। विभाग कन्सन्ड देख कर रिपोर्ट तो कर दे। यह राज्य सरकार के गम्भीरता से विचार करने की बात है। पुरानी राजकीय बिलडिंग्स हैं उनके लिये भी बहुत कम बजट प्रोवाइड करते हैं। चाइना एग्रेशन के समय जो रिपेयर्स की कटौती की थी उसके बाद तो उनकी रिपेयर्स बहुत कम होती है। भीनमाल सांचोर में कई ऐसी बिलडिंग्स हैं जहां अधिकारी जाते हैं महसूस करते हैं लेकिन पैसा नहीं। लाखों रुपयों की बिलडिंग्स ढह जायगीं तो कहां से पैसा आवेगा ? ऐसी बिलडिंग्स की रिपेयर करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष, दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है जालोर जिले में सडकों का अभाव, राज्य सरकार ने बीस वर्षों में जालोर जिले की सडकों की ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने सवाल पूछा तो तीन चार साल से घूमते-घूमते अब जवाब आया। अब यह माना है कि जालोर जिला सबसे पीछे है।

(1.30 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पहले बूंदी का नाम लिया जाता है। उसका उदाहरण देकर कोई न कोई बात लगा देते थे। अब यह माना है कि जालोर जिले में सडकों पर कम से कम खर्चा हुआ है। जब पहले यह खर्चा नहीं हुआ तो भविष्य में कम से कम चौथे प्लान में यह ध्यान रखा जाय कि यह जिला ऐसा जिला है, जो उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अन्डरग्राउन्ड ट्यूब वैल्स के जरिये बहुत पानी निकला है। पेरेनियल नदी, नाले वहां बहते रहते हैं। अन्न उत्पादन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न की जो समस्या है, उसके हल के लिये जो पोटन्शियल जिले हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जितने बडे अधिकारी हैं, वे वहां जाकर देखने की कोशिश नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि सडकें आप बनाते नहीं हैं इससे हमारी मोटरें खराब हो जाती हैं। बजट को आप बनाते हैं, हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट बनाता है, उसमें काम की प्रायोरिटी आप रखते हैं। फिर आप हमें ओलम्भा देते हैं ? आप वहां कमजोरी दिखाते हैं। किस जिले में कितना खर्चा होता है, उसका एलॉटमेन्ट आप करते हैं। वहां सडक अच्छी है, या खराब है, रोड्स का अभाव है, यह आपको उसी समय देख लेना चाहिए। पाकिस्तान के आक्रमण के कारण हमारे जिले की ओर अब ध्यान दिया गया है। भारत सरकार ने भी सोचा। जो डिफेन्स की रोड्स वहां बनी हैं, उनसे हमारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी परन्तु जब समस्या आती है तब सोचा जाता है। जो जिले अविकसित हैं, उनके बारे में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। सांचोर–रानीवाडा रोड के लिये मैं 7-8 वर्षों से कहता आ रहा हूं। मन्त्री महोदय भी महसूस करते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि इस रोड पर इन्जीनियरों ने भी काफी इन्ट्रेस्ट लिया है। मुख्य मन्त्रीजी ने ऐलान किया है कि 31 मार्च के पहले पहले यह कार्य खतम हो जायेगा, ऐसा ऐलान किया था। फिर भी विभाग कितना कर लेगा, यह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

देखना है। मेरे ख्याल से अप्रैल तक यह सडक पूरी हो जायेगी। इसके लिये मैं इन्जीनियर्स और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके अलावा दूसरा जो इलाका है, उसमें फमिन भयंकर है। राज्य सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया है, यह मैं मानता हूं। राज्य सरकार ने मैटल रोड्स का कन्स्ट्रक्शन हाथ में लिया है इससे काफी समस्या दूर हो जायगी। पर्मानेन्ट बेसिस पर कार्य हो रहा है। राज्य सरकार ने यह उचित निर्णय लिया है। इसके बारे में मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। ऐसा निर्णय पहले ही ले लिया जाता तो उचित रहता। पहले भी ऐसे काम हुए हैं। पी. डब्ल्यू. डी. का बजट बहुत कम रहता है। जो रिपेरिंग कमीटेड हैं, उसके लिए भी पूरा पैसा नहीं होता है। ऐसी समस्या आती है जब भयंकर अकाल है उसके बारे में राज्य सरकार द्वारा पहले ही निर्णय ले लिया जाना चाहिए। फैमिन वर्क्स के रूप में अच्छा काम हो रहा है। सरकार ने टास्क बेसिस पर काम करने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। फैमिन के अन्दर चाहे कोई दूसरी मशीनरी हो, इम्पार्शल ही हो, वह भी काम करा सके, यह कठिन होता है। इसलिये टास्क बेसिस के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं था। जितना काम करते हैं, उतना पैसा ले लो। यह सराहनीय कदम है। इसका इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से होना चाहिए। परन्तु जो पी. डब्लू. डी. के अधिकारी हैं, सैकडों काम उनके नीचे होते हैं, हमारा यह अनुभव है कि वे मौके पर जाकर जांच नहीं करते हैं। बडे अधिकारी इन्सपेक्शन नहीं करते हैं। मेट और सुपरवाइजर पर काम छोड देते हैं और जब झगडे होते हैं तब बडे अधिकारी आते हैं। इस समस्या के बारे में तब जाकर सोचते हैं। जब शिकायतें होती है तो इन्स्पेक्शन करना शुरू करते हैं। शुरू शुरू में जब काम प्रारंभ होता है, तब ज्यादा विजीलंस नहीं रखी जाती है। फ्रीली काम में ढील दी जाती है। हर जगह, हर जिले में ऐसे एलीमेन्ट्स हैं जो बदमाशी करते हैं। लाएस्ट स्तर के अधिकारी भी हैं जो यह समझते ह कि हमको कौन पूछता है। बाद में देखा जायगा। इसलिये इस बारे में पोल नहीं होनी चाहिए और सख्ती के साथ में निरीक्षण होना चाहिए। निरीक्षण के अभाव में गडबडी की गुन्जाइश रह जाती है। बाद में जाकर उन कामों में बडी तकलीफ होती है। आपस में झगडे बढते ह। पहले सब मिले हुए रहते हैं तो कोई शिकायत नहीं होती है। बाद में शिकायत होती है, जब आपस में बराबर बंटवारा नहीं होता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप अपने कर्मचारियों को हिदायत करें कि जहां बडे बडे हजारों की संख्या में लेबर काम करते है, सिर्फ उनका सुपरवीजन मेट के भरोसे ही न रखें बल्कि एक्स.ई.एन., ए.ई.एन. को जाकर के टाइमली विजिट करनी चाहिए। इससे अपने आप ही बदमाशी कम हो जायेगी। जो टास्क बेसिस किया हुआ है, इसमें गरीब लोग ज्यादा काम करते हैं। वेईमान और बदमाश आदमी अपनी फर्जी हाजरियां लगाते हैं और पैसा ले लेते हैं। वे अपना काम गरीब, कमजोर आदमी से करवा लेते हैं। इस तरह गरीब लोगों से वे डबल काम करवा लेते हैं। यदि वे काम नहीं करते हैं तो उनका पैसा कटवाते हैं। इसको रोकने के लिये मन्त्री

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

महोदय आप यह करिये कि जो निरीक्षण की व्यवस्था है, वह सुचारु रूप से चले। इससे गरीबों और कमजोर आदमी को अपनी मजदूरी पूरी मिल जायेगी। मैं आशा करता हूं गवर्नमेन्ट इस बारे में गौर करेगी।

इसके अलावा दूसरी जो सडक आप बनाते हैं उसमें काश्तकारों की अमूल्य भूमि आप लेते हैं जैसे सुरक्षा की रोड्स। कई कुए लोगों के चले गये हैं डिफेन्स की इन रोड्स में। लोगों को पर्सुएशन करके, झगडे पैदा न होने पायें, तुमको पैसा मिल जायेगा, जमीन दीजिये सुरक्षा का काम है, यहां के अधिकारी जल्दी ही कम्पेनसेशन देंगे, यह कह कर हमने लोगों के बेरें, खेत दिलवाये हैं। परन्तु खेद है कि आज डेढ दो साल हो गये अभी तक एक पैसा भी किसी को नहीं मिला है। खेत, बेरे सब चले गये, हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कम्पेनसेशन की जो व्यवस्था है, वह बडी डिफेक्टिव है। आब्जेक्शन्स सुनते हैं, इन्क्वायरी होती है। बडी मुकदमेबाजी होती है। इसकी एडहाक बेसिस पर व्यवस्था होनी चाहिए। इमीडिएटली लोगों ने कोआपरेट करके जमीन दी है। और सालों तक आप उनको मुआवजा न दें, यह गलत है। रेवेन्यू अधिकारी उनसे लगान वसूल करते हैं। जमीन चली गई, कम्पेन्सेशन नहीं मिलता है, यह हालत है वहां पर। इसलिये राज्य सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जालोर जिले में जो सडकें बनी हैं, उनका मुआवजा आज दिन तक नहीं मिला है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो सडकें बनाई हैं, उनका भी नहीं मिला है और ऊपर से लगान और लगा रहे हैं। कम्पेन्सेशन का कम से कम कोई बेसिस करना चाहिए। एडहाक बेसिस के ऊपर, या जो भी आधार हो कुछ न कुछ पैसा किसान को दीजिये। उसके बाद क्लेम फाइनल होने के बाद पैसा दे सकते हैं। राज्य सरकार को इस बारे में, कम्पेनसेशन में डिले होने के जो बाटलनेक्स हैं, नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को इस पर अविलम्ब सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाना चाहिए। गुजरात में भी डिफेन्स की रोड्स बनी हैं। वहां की सरकार ने इमीजिएटली मुआवजा दे दिया है। वह कौनसा कानून है, यह मुझे पता नहीं है। वहां जमीन का मार्केट के हिसाब से जो मूल्य आया है, उस हिसाब से दिया है, यह तो मुझे पता नहीं है। परन्तु वहां के काश्तकारों को मुआवजे का पैसा मिल गया है। हमारे यहां 15-20 को पैसा दिया गया है। तहसीलदार सहाब पैसा लेकर आये और कुछ को देकर चले गये। कह गये कि पैसा खतम हो गया है। खतम होने का प्रश्न क्यों आया? पूरी तहसील वालों को एक साथ पैसा मिलना चाहिए। इससे लोग-बाग तरह तरह की भ्रान्तियां पैदा करते हैं। यहां तक कह देते हैं कि एम. एल. ए. साहब ने रुकवाया है। वे हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं। अधिकारी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, वे जान बूझकर बदमाशी करते हैं और ये चीजें होती हैं। साथ में मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है? मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो लोग बाकी बच गये हैं, उनको मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिलावें। इसके अलावा जो विभागीय रोड्स हैं, उसके बारे में विभाग वालों को तो शीघ्र ही राशि जमा करा देनी चाहिए। इसलिये इस बारे में कुछ न कुछ नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जालौर जिले के बारे में हमारी केबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि वहां पर जितनी भी रोड्स बनाई जायेंगी वे मेटल की बनाई जायेंगी। उसके बाद ही ग्रेवल की रोडस वहां बनी हैं। विभाग कुछ न कुछ बात बता देता है। वहां की जमीन ऐसी है कि बरसात होने पर वहां की ग्रेवल रोड्स का पता ही नहीं लगेगा। इस बारे में राज्य सरकार न जो निर्णय लिया था, उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जो केबिनेट का डिसीजन है, उसको इम्प्लीमेन्ट कराना चाहिए। फेमिन में जितनी भी रोड्स हैं, वे पक्की बननी चाहिए। इससे जनता को भी लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा जो ऐसा इलाका है, जहां मेटल रोड्स नहीं बन सकतीं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उसमें अलग अलग समस्याएं हैं। ऐसी ही समस्या दूसरी स्टेट में भी होगी। जो नेशनल रोड डवलपमेन्ट कौंसिल है, उसमें इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर वहां पर एक्सेंसिव रोड बनती है, तो कोई नया तरीका इन्जीनियर्स से सलाह लेकर, कम से कम खर्च के अन्दर रोड बन सके, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है।

कुछ इंजीनियरों ने हम को बताया भी कि हमारे फार्मूले मानते नहीं। दूसरी स्टेटों में ऐसा होता है जैसे गुजरात, जहां कई ऐसी रोड हैं, जो नमक और काली मिट्टी को मिला कर उस पर रोलर चला कर बनाई गई हैं और जो कई वर्षों से अच्छा काम दे रही हैं। तो हमारे सांचौर के इलाके में या ऐसे ही कई इलाकों में जहां मेटल नजदीक नहीं मिलता हो पर नमक प्रचुर मात्रा में पडा हो वहां इस प्रयोग पर सोचा जाय। बिटमिन सैंड और नमक का क्या प्रपोर्शन रहे, किस तरह से इकोनॉमिक रहे यह एग्जामिन करके चला जा सकता है। और वह सब हिसाब से सोच-विचार कर सस्ता पडता है तो उसको करना चाहिये। अभी तो आपने एक लाख दिया तो एक मील ही सडक बनी। तो इस तरीके पर सोचा जावे तो सस्ता पड सकता है। इसको एग्जामिन किया जा सकता है। अगर इस तरह का सस्ता फार्मूला यहां भी निकल जाय तो सांचोर से भादोडा-बाखासर की रोड आसानी से बन सकती है, कम खर्च में बन सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा सांचोर में हायर सेकन्डरी स्कूल में 10 हजार चैरिटी फण्ड से पी. डब्ल्यू. डी. विभाग में जमा कर लिया गया है। पर सिर्फ अब टेण्डर निकालने करने में देरी की जा रही है। लडके बाहर बैठते हैं, तकलीफ पाते हैं और अगर प्राइवेट लोगों का मामला हो तो पन्द्रह बीस दिन में बिल्डिंग बन सकती है, पर यहां विभाग में 15 महीने लग जाते हैं। तो यहां क्यों देर लगती है जब कि पैसा जमा कराया जा चुका ह उनके पास? तीन कमरे अगर शीघ्रता से बन जावें तो बच्चों को बाहर बैठने की तकलीफ न उठानी पडे।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्षजी, रिपेयरिंग फण्ड का पैसा आजकल मील-दो मील में छोटी छोटी रोड बनाने के काम में लेते हैं। यह टेन्डेन्सी सी बन गई है।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

इससे रिपेयरिंग में लगता नहीं यह पैसा तो वह सडक इधर तो टूटने लगती है, और उधर एक दो मील सडक बनने से कोई मतलब हल होता नहीं। यह तो केवल कुछ लोगों को राजी भर करने के लिये किया जाता है। तो इस बारे में ध्यान आकर्षित करूंगा कि रिपयर का पैसा सडक की रिपेअर में ही लगना चाहिये। और जहां बस चलती हो ऐसी फेयर वेदर रोड हो वहां साल में एक बार तो कम से कम जरूर सरकार उनकी रिपेयर करा दे,। ऐसी कोशिश होनी चाहिये। और जो डेजर्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, बोर्डर एरिया है उनका विशेष ध्यान रखना चाहिय इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार खत्म करता हूं।

श्री **महेन्द्र कुमार** (पावडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 में डूंगरपुर जिले में सडकों की दुर्दशा के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है।

जिला डूंगरपुर में सडकों की हालत बडी खराब है। बीस वर्ष में सडक बनाने का काम जो किया गया है उसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं पर फिर भी बडे बडे गांव उस इलाके में ऐसे रह गये हैं जहां पर सडकें अभी तक पूरी नहीं बनी हैं और इसके बिना लोगों को बडी परेशानी उठानी पडती है। पिछले वर्ष अकाल सहायता में जो सडकें बनी थीं वे अधूरी पडी हैं। बीच में छोटे छोटे नाले आते हैं उन पर पुलियाएं नहीं बनने से बरसात में आवागमन बिल्कुल बन्द हो जाता है। तो जो अधूरी सडकें डूंगरपुर जिले में हैं, वे पूरी की जानी चाहियें, और पुलियाएं बनानी चाहिये। बीस सालों से जो डामर की सडकें बन रही हैं, वे अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। जिले में दो महत्वपूर्ण सडकें हैं पचास मील की दूरी की वे भी अधूरी हैं। अब ये सडकें भी अच्छी नहीं बनी हैं या पूरी नहीं हुई तो अच्छी बात नहीं है।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर से सावला वाया आसपुर सडक है वह भी पक्की बन जानी चाहिये और डामर रोड होनी चाहिये।

इसके साथ साथ डूंगरपुर से दापडी माइन्स, भासौर, चीवुडा वाया सामलिया पाडवा रोड जाती है जहां माही नदी पर पुल बन रहा है उसे भी ठीक किया जाना चाहिए। पाडवा–सामलिया के बीच में थोडा टुकडा रह गया है। बाकी पिछले अकाल के वक्त में बन गयी है तो यह रोड पक्की बननी चाहिए, इसके चारों तरफ बडे बडे गांव हैं जो बरसात में सडक के न होने से कट जाते हैं और पक्की सडक नहीं होने से बीस पच्चीस मील दूर जाकर गाडी में बैठना पडता है।

दूसरी रोड दामडी से सीमलवाडा वाया सरातां-आंतरी फेमीन रिलीफ में बनी थी, पर अधूरी रह गई है। यह पूरी होनी चाहिए। आसपुर से सीमलवाडा, आसपुर, गणेशपुर फलौज रोड माथू गामडा; पीपलादा, वसी धाकडी ये भी सडकें रिलीफ में बन चुकी हैं, पर नालों पर पुलिया न होने से ये भी बरसात में टूट जाती हैं। तो ये छोटी छोटी पुलियाएं बन जानी चाहिए तो जनता को आने-जाने में काफी सुविधा हो जावेगी।

(श्री महेन्द्र कुमार)

एक दूसरी रोड और है आंतरी गलिया कोट वाया ओबरी-उसरी रोड है। यह आदिवासी इलाका है। काफी बडे बडे वहां गांव पडते हैं। पर आवागमन के साधन सडकें नहीं होने से बरसात में छः महीने वे रुक जाते हैं।

दूसरी रोड है जो फलोद से आसपुर गणेशपुर जाती है। आम रोड है। सलूम्बर धरियावद से भी बसें चलती हैं और दो तीन चार पुलियाएं बनानी पडती हैं जहां काफी आना जाना बसों का होता है। यह सडक और पुलिया बहुत जरूरी है। यह रोड नहीं होने से बरसात में माल लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यह रोड भी पक्की बननी चाहिए।

जितनी भी रोड मैंने बताई हैं ये पक्की बन जावेंगीं तो आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी और बरसात के दिनों में भी आना-जाना रुकेगा नहीं।

तो, उपाध्यक्षजी, मैं इतना ही निवेदन करके यह सरकार से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि यह रोड इस साल बन जायेगी तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री **उपाध्यक्ष:** श्री नथमल

(अनुपस्थित) !

श्री देवेन्द्रकुमार !

श्री **देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा-सु.): उपाध्यक्ष महोदय, आज 20 साल से जो सरकार ने सडकों के बारे में कदम उठाया और काम किया है वह हम सब जानते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सा एरिया ऐसा है कि वहां जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर से गोगुन्दा और गोगुन्दा से कोटडा यह एरिया ऐसा है कि जो पहाडी एरिया है और इसमें से बारिश के टाइम में गोगुन्दा से उदयपुर आ सकते हैं, लेकिन आगे के लिये बडा मुश्किल रहता है। कोटडा में पंचायत समिति, तहसील हैडक्वार्टर है और बड़े बडे गांव हैं जहां बारिश के टाइम बडी मुश्किल होती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि गोगुन्दा ऐसा क्षेत्र है जो कि राणकपुर से सडक बन रही है सायरा होकर, मारवाड होकर आ सकती है फिर कोटडा होकर गोगुन्दा आ सकत हैं लेकिन यह सडक नहीं होने से व्यापारियों को और लोगों को कई तरह की दिक्कतें रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोगुन्दा से कोटडा जाने वाली रोड बारिश के अन्दर 6 महीने बन्द रहती है जिससे हमारे कोटडा के आदिवासी लोग उदयपुर में पेशियों पर आते हैं या कई काम के लिये आते हैं तो सरूपगंज होकर वापिस उदयपुर आना पडता है। इससे गरीबों को बहुत दिक्कतें होती हैं और पेशियों पर टाइम पर हाजिर नहीं हो सकते और इससे उनके ऊपर कई तरह के केसेज लाग, होते हैं और उनके कई केसेज खारिज हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपना ध्यान इस तरफ दें ताकि उन लोगों को सुविधायें दी सकें। गोगुन्दा से मेरपुर होकर कोटडा जाती है इस रोड के बन जाने से सिर्फ 6 घंटे लगते हैं और उदयपुर आ सकते हैं। बारिश में नदी नाले कट जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा से पिंडवाडा रूट से मालवी के चौराहे

(श्री देवेन्द कुमार मीणां)
से वहां पर वह लोग भी आना चाहें तो बहुत जल्दी आ सकते हैं और उदयपुर आकर दूसरे दिन काम करके वापिस जा सकते हैं। इस तरह से इन रोड्स की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर उदयपुर से राणकपुर और गोगुन्दा से सायरा होकर रोड राणकपुर निकलती हैं वह रूट काफी चलता है और यह कम्पलीट हो जानें से काफी रास्ता हो जायगा और मारवाड के लोग उधर आ सकते हैं और व्यापारी लोग भी अकाल के समय में अनाज लाकर लोगों को जिन्दा रख सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर थोडा ध्यान दिया जाय ताकि वह रोड पूरी हो।

मैं एक और निवेदन करूंगा कि गोगुन्दा से आंगना आने वालों को बडी दिक्कत रहती है क्योंकि आंगना से भागेल बहुत दूर पडता है। अभी दो तीन महीने ही वह रास्ता चलेगा फिर बन्द हो जायेगा। बहुत सा एरिया ऐसा है कि जो कि नदी-नालों से टूटा हुआ है। यह रोड बन जाये तो रोड चालू हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एरिया की तरफ ध्यान दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणां (सराडा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, सराडा तहसील में सडकों की काफी व्यवस्था खराब है और राज्य सरकार ने कभी देखा ही नहीं। एक सडक केवल सराडा से बालोदरा तक 13 मील की सडक है उस को 15 साल हो गए योजना में, वह 13 मील का टुकडा है केलड के पास नदी पर पुलिया नहीं बनी है। 15 साल तक चलता रहा है और सारी सराडा तहसील की रोड है जो कि रेल्वे स्टेशनों से मिलती हुई सिमारी, गुण्डा कल्याणपुर, ऋषभदेव स्टेशन रोड को मिलाती है और ऋषभदेव गांव को मिलाती है वह इतना लम्बा रूट है जो कि सारे कस्बों और गांवों को मिलाता है। यह सडक पक्की बन जानी चाहिए थी लेकिन इसको पंचवर्षीय योजना में नहीं लिया है। मेरा निवेदन आपके द्वारा मंत्रीजी को है कि सराडा से सिमारी, गुण्डा, कल्याणपुर और ऋषभदेव तक पूरा का पूरा रूट प्लानिंग में लेकर पक्का बनाया जाये। यह रूट पलोदडा से सराडा तक डामर रोड हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी काम्प्लीट नहीं हुई। जब वह सडक बनी है तब रिलीफ में थोडी बहुत बनी है और इस सडक पर चार चार बसें चलती हैं। वर्षा के दिनों में रूट खराब होने की वजह से पैसेंजर्स को काफी तकलीफ होती है।

दूसरा रूट है जो कि ऋषभदेव से नेशनल हाईवे रोड नम्बर 8 परसाद चावण्ड से बाना होकर सलूम्बर तक जाती है। इस पर काफी यात्री चलते हैं और खेरवाडा पेशियों पर जाने वाले और सलूम्बर पेशियों पर जाने वाले काफी इस सडक से जाते है। तो यह रूट भी बहुत खराब है। बरसात में बसें नहीं चलतीं और गर्मी और सियाला में दो चार महीने ही बसें चलती हैं उससे जरूर थोडी बहुत सुविधा होती है, लेकिन यह रूट बहुत महत्व का है। वर्षा के दिनों में बन्द हो जाता है यह रूट सेरिया परसाद वाया चावण्ड होकर सलूम्बर तक आता है, परसाद से चावण्ड-

(श्री देवीलाल मीणा)

सलूम्बर रूट प्लानिंग में लेने लायक है और यह दोनों तहसीलों को जोडता है और रेल्वे स्टेशन सुखनखेडा को भी यह जोडता है। इस रूट के अलावा दूसरा रूट है जो कि जयसमन्द रोड-डीगरी रेल्वे स्टेशन से सराडा होकर सलूम्बर को मिलाता है यह 15 मील का रूट है जो कि सलम्बर से नजदीक रेल्वे स्टेशन डीगरी जयसमन्द रोड को आती है। तो रेल्वे वाले कहते हैं कि राज्य सरकार से कहो कि इस रूट को प्लानिंग में लेकर इस रेल्वे स्टेशन से गांवों का कनेक्शन हो जाये, सलूम्बर से कनेक्शन हो जाये। इससे रेल्वे वालों को काफी फायदा होगा और राज्य सरकार को भी फायदा होगा।

दूसरा मेरा सुझाव है कि उदयपुर से एक सडक जामेश्वर होकर जाती है मैवल का एरिया जयसमन्द के ऊपर का हिस्सा सडक बिना सारा का सारा इलाका कट आफ हो जाता है। सराडा तहसील से सलूम्बर और उदयपुर से भी कट आफ हो जाता है तो इसके लिये उदयपुर से जामेश्वरजी, जगत, अदवास, जावंद, सेमाल होकर गेगला को जोडा जाना चाहिये। जयसमन्द से इस रूट को अदवास होकर सेमाल और गेगला मिलाया जाये तो।

यहां सारे के सारे गांव मेवल एरिया के हैं वहां बस जायं तो मेवल के लोगों को आने-जाने के लिये और व्यापारियों के जाने-आने के लिये व मालादि लेजाने के लिए हर तरह से सुविधा होगी। जयसमन्द से ले कर मेवल होकर उदयपुर पहुंचती है। पुराने महाराणा के वक्त की शिकार की रोड बनी हुई थी, तो उसी रोड पर गाडियां पहले चलती थीं, लेकिन यह रोड बहुत महत्व की है। यह मेवल से जयसमन्द के सारे एरिया को जोडती है और उदयपुर से जामेश्वर, जवाल, अदवास, जावद, गांमडी, जयसमन्द और सलूम्बर को जोडती है। इसलिए इसकी जांच कराई जाकर इसको भी प्लानिंग में लिया जाकर बनाया जाय।

मेरा यह निवेदन है कि एक सडक जो सराडा से बलुवा, कोटडा होकर रिखबदेव को जोडती है तो सराडा से रिखबदेव केवल 15-16 मील दूर रह जाता है और सराडा से सलूम्बर और रिखबदेव को जोडने वाली है और तहसीलों को जोडने वाली सडक है इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला है। यह सडक योजना में ली जाकर चालू हो सकती है।

इनको बनाया जाय। आदिवासी एरिया वैसे ही पिछडा हुआ क्षेत्र है ऐसे क्षेत्रों में जब तक वहां पर सडकें नहीं बनेंगी ऐसे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। जहां पर सडकें नहीं होंगी वहां कोई आफिसर नहीं जा सकता है और न कोई राज्य का सरकारी अधिकारी जा सकता है और तब तक उस एरिया को नहीं देख सकता है और वहां छोटे छोटे तालाबों की आवश्यकता रहती है उसको नहीं देख सकता है और न उनकी स्थिति ही जान सकता है। जब तक सडकों का निर्माण नहीं होगा तब तक आदिवासी क्षेत्र का विकास नहीं होगा।

मेरा यही निवेदन है। माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाता हूं कि 13 मील का सडक का हिस्सा है वही का वही प्लान में रख दिया जाता है। इसको बढाया जाय और उदयपुर जिले में सडकों के निर्माण के मामलों पर ध्यान दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोशनलाल !

(अनुपस्थित)

श्री विद्यासागर !

श्री विद्यासागर (खेरवाडा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव है। खेरवाडा से रानी और खेरवाडा कोटडा तहसील से संबधित हैं इन तहसीलों में ज्यादातर सड़कों की आवश्यकता है। वैसे हम प्लानिंग की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें दो ही सडकें आती हैं। मैंने बजट को अच्छी तरह से देखा है, किन्तु इन दोनों सड़कों के लिये प्लानिंग की दृष्टि से इस साल कोई भी ऐसा नहीं रखा गया। हमारा इलाका पहाडी इलाका है और पहाडी इलाका होने के कारण मैं यह मानता था कि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर ज्यादा से ज्यादा जायगा, लेकिन मैंने बजट को देखा और देखने पर बहुत बडी निराशा हुई। प्लानिंग में खेरवाडा ढानी की सड़क राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सडक है जो कि खेरवाडा को रानी से मिलाती है और गुजरात को मिलाती है। उधर गुजरात राज्य ने उस सड़क को पूर्ण तैयार कर ली है, लेकिन इधर दृष्टि डालते हैं तो राज्य सरकार की ओर से कमी है। इस सडक पर बड़े बड़े कस्बे आते हैं, और चौमासे के समय में कई लोगों को डूंगरपुर, उदयपुर और खेरवाडा पेशियों पर जाना आना पड़ता है, लेकिन हम यह देखते हैं कि चोमासे के दिनों में छः महीनों तक बसें बन्द रहती हैं और लोगों को आने जाने में तकलीफ रहती है। जब कभी अकाल की छाया हुई तभी राज्य सरकार ने इन सडकों की तरफ ध्यान दिया है, वरना प्लानिंग की दृष्टि से कोई सडक बनाने की विशेष योजना नहीं रखी है। इस काम की तरफ मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सडक को कंकर बिछाकर कम्प्लीट कराया जाय, और पुलिया कई जगह नहीं हैं और जो बनी हैं वे टूट चुकी हैं। तो इस ओर विशेष ध्यान देकर जो दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें हैं उनका निर्माण कराया जाय। वैसे इस साल फेमीन में इस सडक को एडजस्ट किया गया है। मैं आशा करता हूं कि उस पर सिर्फ खाली मिट्टी गिराकर छोड न दिया जायगा क्योंकि मिट्टी तो नाले में बहकर बरसात में चली जायगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और राज्य सरकार का इस ओर ध्यान जाना चाहिए, और इस पर कंकड बिछाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी ओर मैं खेरवाडा तहसील में दूसरी सडकों की तरफ देखता हूं तो प्लानिंग की दृष्टि से उनके लिये कोई पैसा नहीं रखा गया है। जब अकाल की छाया हो जाती है तो अकाल की छाया की वजह से सरकार मजबूरी हालत में होने की वजह से इन सडकों की तरफ ध्यान देती है। अगर अकाल नहीं होता है तो न तो इनकी रिपेयर होती है और न इनको देखा ही जाता है। अकाल में जो काम किया जाय वह इस तरह का हो कि जितनी सडकें बनें वे पक्की बनें ताकि दूसरी बार उनकी ओर देखने की और ध्यान देने की जरूरत न पड़े, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, यों तो मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर कुछ कटौती-प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय,

Page No 90

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

जो कुछ उत्तम काम इस विभाग की ओर से हुए हैं उनकी चर्चा करना चाहिए। इन पिछले वर्षों में जो वहां पर निर्माण विभाग की ओर से सडकें बनाने में प्रगति हुई है उसे हम काफी अंश तक सफल मान सकते हैं। दूसरे राज्य जो हमारी विरोधी पार्टियों के हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पिछले 10-15 सालों के अन्दर राजस्थान के अन्दर सडकों की प्रगति इतनी हुई है कि कई राज्य इसके मुकाबले में नहीं आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मैं पी. डब्लू. डी. को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र के अन्दर डाक बंगले के लिये जो रकम स्वीकृत की है और डाक बंगला बनाने के लिए मन्जूरी दी है, हालांकि वहां पर बहुत दिनों से डाक बंगले की कमी थी, उन्होंने एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा। उसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद देती हूं, और खास तौर से धन्यवाद इसलिये देती हूं कि जिस प्रकार का नक्शा अथवा डिजाइन उस डाक बंगले के लिए बनाया गया है, आजकल जो इमारतें बनाई जाती हैं वे मोर्डन ढंग से अपने ढंग से बनाई जाती हैं, लेकिन डाक बंगले का नक्शा पुराने आर्किटेक्चर का रिवाईवल करके, अच्छा करके, और उसको ठीक करके, उसके ऊपर जो नक्शा बनाया है वह पुराने आर्किटेक्चर को मोर्डनाइज ढंग से बनाया है। वहां पर उसको एक पुराने गढ के ऊपर बनाया है। पुराने आर्किटेक्चर में नवीनता लाई जा रही है। आजकल यह स्थिति है कि राज्य के लोकल आर्किटेक्चर हैं पुराने ढंग के उनको नये तरीके में रखा जा रहा है। इसके लिए मैं विभाग को बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूं।

अब मैं आपका ध्यान अपने कटौती प्रस्ताव की ओर ले जाती हूं। मेरे क्षेत्र में कांवली जोजावर रोड है वहां पर 7-8 साल से प्रति वर्ष सडक का काम चलाया जा रहा है और इस छोटे से टुकडे को 7-8 साल में भी पूरा नहीं किया गया है। यह एक सडक ऐसी है जिसके बनने से भीलवाडा से जोधपुर सीधा रास्ता जाता है। अगर यह रास्ता बन जाता है तो व्यापार के लिए और यातायात के लिए एक आशीर्वाद के रूप में होगा। लेकिन मैंने देखा है इस बात को कि वह सडक करीब करीब निर्मित हो चुकी है केवल आधा मील के टुकडे के लिए पांच साल से पडी हुई है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि लाख-डेढ लाख रुपयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण सडक को आपने गफलत में डाल रखा है। दूसरी सडकों पर लाखों और करोडों रुपये लगते हैं और लगने चाहिए, लेकिन लाखों की सडक को इस तरह से छोड दें और केवल 50-60 हजार या लाख रुपयों के लिए पडी रहे तो यह बेजा सी बात नजर आती है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहूंगी कि ऐसी सडक जो महत्वपूर्ण है और खर्चा कम लगता है, ऐसी सडकों को पहले हाथ में लिया जाय।

इसी तरह से आपका ध्यान उदयपुर से कुम्हलगढ जो कोटडा होकर जाती है उसकी ओर दिलाना चाहती हूं। इस सडक के बनने से 80 मील की लम्बाई घटकर केवल 45 मील रह जाती है। यह सडक टूरिस्ट लोगों के लिए लाभजनक साबित होगी। कुम्हलगढ में गेम्स सेन्क्चरी का काम होने जा रहा है और राणकपुर को रास्ता जाता है और वहां पर दूर दूर से देखने वाले टूरिस्ट लोग पुराने

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

आर्किटेक्चर को देखने आते हैं। अगर उदयपुर से कुम्भलगढ तक की सडक बन जाती है तो टूरिज्म के लिए एक नया स्थान राजस्थान में खुल जाता है। इसलिए इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जयपुर में, जो सीसोदिया रानी का महल है उसके बारे में मेरे द्वारा कई दफा असेम्बली में प्रश्न रखा गया है, सीसोदिया रानी का महल है, यह पी. डब्लू. डी. विभाग के अधीन है। मैं मानती हूं कि इस पर काफी खर्च किया जाता है। 10-12 साल पहले यह ऐसें ही पडा हुआ था। राज्य सरकार ने उस बहुत से पडे हुए सामान को हटवाया। तभी से यह सुन्दर रूप में सिसोदिया रानी का महल हमारे सामने आया है। यह टूरिस्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो प्रबन्ध होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। जो लोग वहां पर पार्टी आदि करने के लिए जाते हैं, उनको वहां पर कोई सुविधा नहीं मिलती है। न तो वहां कटलरी है और न कोई दूसरा सामान है। जब कि एक साधारण से डाक बंगले में इतना प्रबन्ध होता है। मैं यह कहूंगी कि यहां पर कैण्टीन खोल दी जाय। यह कैंटीन खुल जाने से आय भी बढेगी। आज लगभग 26 हजार रुपया खर्च होता है, लेकिन आमदनी कुछ नहीं होती है। मैं चाहती हूं कि पी. डब्लू. डी. के अन्तर्गत सीसोदिया रानी के महल को न रखा जाये। या तो होटल कोर्पोरेशन को दे दिया जाये या टूरिस्ट विभाग को दे दिया जाये। मैंने एक बात को पिछली बार भी रखा था कि वहां पर एक सूचना पटल लगा दिया जाये। उसके पीछे जो इतिहास है, उसको भी लिख दिया जाये। क्योंकि वहां पर जो लोग हैं, वह वहां आने वाले लोगों को बहुत ही तोड मरोड कर बताते हैं। माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि उसको लिख कर लगा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया है। इसके लिए जवाब दिया गया कि हम इतिहास विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। मुझे खेद है कि पौने दो सौ साल के इतिहास को तोड मरोड कर बताया जाता है। और कहा जाता है कि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। मेरा निवेदन है कि वहां पर कैंटीन खोली जाय। सूचना पटल लगाया जाय। चाहे उस पर टैक्स देखने के लिए लगा दिया जाये। स्कूल के बच्चे वहां जाते हैं। उनको मन्जूरी लेनी पडती है। वहां पर कैन्टीन खोलने की आवश्यकता है। मैं अभी रावतसर और पल्लू के बीच में गई थी। वह सडक इतनी खराब थी कि बहुत ही गड्ढे थे। ट्रक उधर चलते हैं। लोगों का कहना है कि उन्हीं की वजह से सडक टूट गई है। मैं उसकी मरम्मत की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। और इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सीसोदिया रानी का महल पी. डब्लू. डी. और नवाब साहब के वश की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री बनवारी लाल !

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पी. डब्लू. डी. की मांगों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है। मैं धौलपुर की बिल्डिंग्स

(श्री बनवारीलाल)

की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। धोलपुर में सड़कों का हाल खराब है। वहां पर सडकों की मरम्मत होना बहुत आवश्यक है। इसके कई कारण हैं। धोलपुर सब डिवीजन दो स्टेट्स के बीच में—यू.पी. और मध्य प्रदेश, के बीच में है। वहां पर चम्बल रिवाइन्स है। डकैतों का एरिया है। वहां पुलिस उनका दमन करने के लिए काफी कोशिश करती है। सडकों के अभाव में पुलिस जब तक आये तब तक डाकू छिप जाते हैं। पुलिस की मदद देर में आ पाती है। तब तक डाकू आसानी से छिप जाते हैं। इसलिए सडकों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सडकों के नहीं होने से पुलिस का इतना खर्चा रहता है कि उनकी गाडियां टूटी रहती हैं।

(2.12 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत, सभापति, पीठासीन)

वहां के ग्रामों से सम्बन्ध रखने के लिए सडकों का होना बहुत जरूरी है। धोलपुर दो स्टेटों के बीच में बसे होने के कारण, यू. पी. और मध्य प्रदेश की सडकें बहुत अच्छी हैं। कोई आदमी अगर उधर से इधर आता है तो राजस्थान की सडकें इतनी खराब हैं, कि उसको घुसते ही पता चल जाता है कि राजस्थान में आ गये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सडकों की बिगडी हुई हालत है, उसको सुधारने का प्रयत्न करें। धोलपुर से भरतपुर सडक है। बहुत ही खराब है। उस सडक का बहुत ही महत्व है। भरतपुर जिले का हैडक्वार्टर है। सडक खराब होने से दूसरे रास्ते से होकर जाना पडता है। सडक इतनी खराब है कि उस पर जा ही नहीं सकते हैं। यह इण्टर-स्टेट को कनेक्ट करती है इसलिए महत्व ज्यादा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस पर डामर बिछाने का कार्य शीघ्र ही शुरू करें। मैं एक बार माननीय मन्त्री महोदय से मिला। उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो चीफ इन्जीनियर से मिला। उन्होंने टेण्डर निकाले। लेकिन टेण्डर निकालने के बाद भी काम नहीं होता है। बारी से सैंपून वाया बिसवां, इण्टर-स्टेट को कनेक्ट करती है। यू. पी. के साथ कनेक्ट करती है। वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने भी यह बताया है कि सडक की मरम्मत होने जा रही है। एक चार मील का टुकडा है, वह भी मरम्मत होने की जरूरत है। सभानेत्री महोदया, पी. डब्ल. डी. रोड है। पुरानी छावनी, सरानी खेडा सडक है, यह सडक 15 वर्ष पूर्व जनता ने चन्दे से बनवाई थी। मैंने एक सवाल उठाया था कि इस सडक पर सरकार का कितना खर्च किया गया है तो राज्य सरकार ने उत्तर दिया था कि कोई ऐसा खर्च नहीं किया गया है। उसके ओरिजिनल वर्क्स नं. 31-32 33 डेट 61-62। 8-2-62 में टेण्डर इनवाइट किये गये हैं। 5251 रु. खर्च किया गया है। परन्तु सदन में झूठा बयान क्यों देते हैं कि कोई ऐसा खर्च नहीं किया गया है। सभानेत्री महोदया, मैं इस सडक के बारे में निवेदन करूंगा कि यह सडक जनता ने श्रमदान के द्वारा बनाई है। अगर इसको नई योजना में नहीं लिया गया तो वहां की जनता की श्रमदान करने में आस्था नहीं रहेगी। सरकार उस सडक को पूरा नहीं करती है जो कि श्रमदान से बनाई गई है। यह सडक का टुकडा कोई ज्यादा बडा टुकडा भी नहीं है

(श्री बनवारीलाल)

केवल चार मील का टुकड़ा है, मगर वह वैसा का वैसा पड़ा है। मुझे आशा है, इस वर्ष उस सड़क को बनाने का आप प्रयत्न करेंगे।

सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को बरेर से कचारा की सड़क के बारे में, जो इस वर्ष बनानी है, निवेदन करना चाहूंगा। मुझे निवेदन करना है, बरेर से कचारा की सड़क की लम्बाई आठ मील है और बरेर से धौलपुर की लम्बाई आठ मील पड़ती है। इसलिए हर आदमी को कचारा जाने के लिए सौलह मील का टुकड़ा मार करना पड़ता है। अगर डाइरेक्ट इस सड़क को धौलपुर से कनेक्ट कर दें तो यह दस मील का टुकड़ा पड़ता है। जब कि इस सड़क को धौलपुर से कनेक्ट किया है क्योंकि धौलपुर सब डिविजन है लेकिन जो इस सड़क के टेन्डर इन्वाइट किये हैं वह केवल तीन चार मील के किये हैं, केवल इस सड़क के बीच के टुकड़े के लिए टेन्डर इन्वाइट किये हैं। इससे होता क्या है कि ठेकेदार लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और ठेकेदार बाद में काम नहीं करते हैं और आपका पैसा लैप्स हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क को बरेर से निकाल कर धौलपुर से कचारा रख दिया जाय तो अच्छा रहेगा। यह जनता के हित में भी रहेगा। इसलिए जो टेन्डर इन्वाइट किये जायं उनमें चाहे इसे इस एण्ड से शुरू किया जाय, चाहे उस एण्ड से चालू किया जाय। यह कौनसा तुक है कि बीच के टुकड़े के लिए टेन्डर इन्वाइट करते हैं और बीच में इसे शुरू करते हैं।

एक सड़क की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं, धौलपुर से मोरेल जो सड़क है, वह बहुत जरूरी है। अभी उस क्षेत्र में जाने के लिए कोई साधन नहीं है। उधर चम्बल रेवीन्स हैं इसलिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए जो धौलपुर से चार मील का टुकड़ा पड़ता है, इसकी ओर आप ध्यान दें और इसको योजना में लें।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्यों का अनुमान है, कि जिस क्षेत्र का मन्त्री रहता है, उस क्षेत्र में ज्यादा सड़कों का निर्माण होता है। और जो पैसे के बटवारे में असमानता डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता रहती है यह बुरी बात है। हमारे सदस्यों के दिमाग में जो भावना बसी हुई है वह यह है कि हमारे जो पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर हैं वह जिस क्षेत्र के होते हैं, चाहे झालावाड़ के हों, चाहे अलवर के हों, या चाहे जालोर के हों, जिस क्षेत्र के वह होते हैं उस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होता है। इससे दूसरे सदस्यों को कहने का मौका मिलता है। इसके अलावा मिनिस्टरों को ओब्लाइज करने के लिए गिव एण्ड टेक के आधार पर, कि तुम इस क्षेत्र में यह कर दो, मैं उस क्षेत्र में यह कर दूं करते हैं। यह बुरी बात है। मेरा निवेदन है कि पैसे का बटवारा हर क्षेत्र में बराबर होना चाहिए। आखिर अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आपके पास पैसा कहां से आ जाता है? जब दूसरे माननीय सदस्य किसी काम के लिए कहते हैं तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। धौलपुर का जो सड़क का टुकड़ा है, यह बहुत जरूरी है, यह दो प्राविन्सेज को मिलाता है, दूसरे यह डेकोइट एरिया है इसलिए आप इस एरिया के लिए पूरा पैसा एलाट करें और सड़कों का विस्तार करें ताकि डेकोइट्स पर आप काबू कर पायें और जनता को शांति प्रदान कर सकें।

श्रीमती सभानेत्री: श्री कल्याण मल !

श्री कल्याण मल (जहाजपुर सु.): माननीय सभापति महोदया, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में सदन में चर्चा चल रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके द्वारा हमारे देश में जो यातायात के साधन बनाये जाते हैं उनका फायदा आम जनता को मिलता है। मुझे इस बजट को देखने पर दुःख होता है कि जिस तरह से सिंचाई विभाग के अन्दर और विद्युतिकरण के लिए पैसा रखा है, अगर इसी तरह से इस विभाग की योजनाओं के लिए भी पैसा रखते तो हमारा देश और भी आगे बढ सकता था। पैसे की दृष्टि से देखा जाय तो अभी मेरे पूर्व वक्ता जो थे, उन्होंने जो सडकों की मांग की है, उनकी मांग तो वाजिब है, और मांग करने का हमारा फर्ज है परन्तु योजना में जितना पैसा होगा उसके आधार से ही हमको रोडस की सुविधा मिल सकती है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करूंगा आपकी मार्फत कि जितनी मांग करते हैं, इसके साथ ही साथ सरकार से भी यह निवेदन करूं कि इस विभाग के लिए, रोड्स बनाने के लिए धन का प्रावधान ज्यादा रखा जाय। इससे हमारी यातायात की समस्या हल हो सकती है। माननीय सभापति महोदया यातायात हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मगर यातायात के साधन हमारे लिए नहीं है तो हमारे काश्तकारों को मण्डी तक अपना अनाज ले जाने में तथा, सामान लाने में दिक्कत आती है। इसलिए यातायात उनके लिए बहुत ही जरूरी है। इसको देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग को ज्यादा से ज्यादा धन मिले और ज्यादा तेजी से रोड्स बनें।

इसके साथ में यह भी निवेदन करूं कि सबसे पहले हमारे बोर्डर एरिया में, जहां सीमा क्षेत्र है, वहां पर रोड्स बनाने की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे हमारे देश की या प्रान्त की रक्षा हो सके। तो सबसे पहले जो बोर्डर एरिया है उसकी तरफ सरकार ध्यान देवे और इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी समस्या है उनकी तरफ ध्यान देवे।

माननीय सभापति महोदया, मैं अब थोडा जहाजपुर तहसील की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। जहाजपुर एक ऐसा एरिया है जिसमें पिछडी हुई जाति के लोग रहते हैं और फौजी लोग रहते हैं। फौजियों की जब भी कभी जरूरत पडती है, अगर वह छुट्टी पर भी हों, और उनकी जरूरत पडे, उनको जल्दी से बुलावें तो आने जाने के लिए रास्ता नहीं है इसलिए उनको वहां पहुंचने में टाइम लग जायगा और जो हमारी सुरक्षा का प्रश्न है उसमें बाधा होगी। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि जो जहाजपुर तहसील एक फौजी एरिया है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, जहाजपुर से शक्करगढ चौदह मील दूरी पर है। वहां काफी व्यापारी रहते हैं, और उस क्षेत्र में काफी किसान रहते हैं। लेकिन वहां के माल को तहसील तक या मण्डी तक पहुचाने के लिए वहां कोई साधन नहीं है, न कोई रास्ता है। वहां पहाड ही पहाड हैं, तो उस रोड को भी इस योजना में लेकर बनवाना चाहिए।

दूसरी रोड अमरबास से इटून्दा की है। इस रोड के आस पास के गांवों में फौजी काफी

(श्री कल्याणमल)

रहते हैं और उन फौजियों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए इस रोड को बजट में लें और इस रोड का काम चालू करवाया जाना चाहिए।

साथ ही मैं यह निवेदन करूं कि जिन सड़कों का काम पहले से चालू हो गया है, उनकी भी गति इतनी धीमी है कि जितना पैसा मंजूर हुआ है, वह भी नहीं लग पायगा। इसलिए माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि उन कामों को तेज गति से चला कर उस पैसे का उपयोग करवायें। साथ ही मैं अकाल मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहाजपुर तहसील की कई रोड पर मिट्टी अकाल के टाइम पर डाली गई। लेकिन उसके बाद जब वर्षा हुई तो उस समय सारी मिट्टी वह गई। इस प्रकार उस पैसे का कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए उन रोड्स को प्राथमिकता दी जाय और उन रोड्स को पक्का बनवा कर उस पैसे का उपयोग किया जाय।

साथ ही मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा कि जहाजपुर की बनास नदी पर एक पुल बन रहा है। आपके द्वारा और माननीय मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा यह घोषणा की गई है वहां की जनता के सामने कि दो साल में इस पुल का काम पूरा कर दिया जायगा लेकिन उस पुल का काम आज इतनी धीमी गति पर है कि वह दो साल में नहीं चार में भी पूरा नहीं हो पायगा। इसलिए इस ओर भी मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा, वह इस काम को तेज गति से करवा कर इसको शीघ्र पूरा करवाने की कोशिश करें जिससे और डिस्ट्रिक्ट्स से लिंक हो सके।

इसके साथ ही एक बीकानेर से लूणकरणसर, सूरतगढ़ और आरा से खारा होते हुए एक रोड है, उस रोड की हालत आज बुरी तरह से खराब होती जा रही है। यह रोड एक बोर्डर रोड है जिस पर काफी यातायात होता है। लेकिन उसमें बड़े बड़े खड्डे पड़ रहे हैं और वह रोड बहुत खराब हालत में है। इसलिए मन्त्री महोदय उस रोड की तरफ ध्यान करते हुए उस रोड को बनवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदया, पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के बारे में, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। वह यह है कि पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने आज तक सीकर जिले को इस तरह छोड़ रखा है शायद उनके ध्यान में ही नहीं हो। अब तक नीम के थाने में कितनी सड़के बनी हैं आप ध्यान से देखेंगे तो एक फर्लांग भी सड़क नहीं बनी है। आज धन का दुरुपयोग हो रहा है। जहां सड़क की जरूरत होती है वहां सड़क नहीं बनती है और जहां जरूरत नहीं है वहां सड़क बनती है। यह हमारे पी. डब्ल्यू. डी. का काम है? जितना पैसा खर्च होता है किस जिले में, वह आपके बजट में लिख लेते हैं लेकिन काम होता नहीं है। डाबला से कोटपूतली जो सबसे पुरानी सड़क है मेरे ख्याल से 40-50 वर्ष पुरानी सड़क है न तो उधर मन्त्री महोदय ने ध्यान दिया और न ही चीफ इंजीनियर साहब ने ध्यान दिया और इधर ध्यान क्यों नहीं देते इसका पता ही नहीं चलता। बजट में 50 हजार का जरूर प्रावधान हर वर्ष हो जाता है लेकिन काम नहीं होता है चार मील

Page No 96

(श्री मोहनलाल मोदी)

की सडक मंजूर होती है और मौके पर चार मील की सडक बन जाती है तब भी दो फर्लांग का टुकडा बाकी रह जाता है पता नहीं पी. डब्लू. डी. का किस तरह का तरीका है। वह दो फर्लांग का टुकडा पैमाइश में न जाने किस तरह रह जाता है। चला से उदयपुर जाते हैं तो मडावरा गांव पडता है उसके अन्दर 3-4 फर्लांग का टुकडा रह गया। नक्शे के हिसाब से पूरा बन गया लेकिन चार फर्लांग का टुकडा फिर भी रह गया जिससे बरसात के दिनों में जीप से भी नहीं जा सकते। डाबला से कोटपूतली की सडक का 50 हजार का प्रावधान हर साल बजट में आ जाता है लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। 20 साल से मेरे क्षेत्र में एक फर्लांग भी सडक नहीं बनी है। मेरे ख्याल से उस क्षेत्र से सरकार को काफी टैक्स भी मिलता है। कई बसें चलती हैं, कई ट्रक्स चलते हैं। नीम के थाने के विषय में मैंने उप मन्त्री महोदय से बात की तो उन्होंने सीधा जवाब दिया मेरे पास पावर्स नहीं हैं। अधिकारों की क्या व्याख्या है मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर को क्या क्या अधिकार हैं ? वे दो मील की सडक का टुकडा बना सकते हैं, या एक मील का टुकडा बना सकते हैं क्या बना सकते हैं ? मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। नीम के थाने के इलाके को बजट बनाते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह पिछडा हुआ इलाका है वहां 20-20 मील में कोई सडक नहीं है। पहाडी इलाका है कोई यातायात के साधन नहीं हैं।

दूसरे हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में इस बात का आश्वासन दिया था कि जिला हैडक्वार्टर को तहसीलों से और सब-डिविजन हैडक्वार्टर से सब जगह जोडेंगे लेकिन हमारे सीकर जिले हैडक्वार्टर को नीम के थाने से जाना चाहें तो कोई रोड नहीं है। खन्डेला से मलसाना होकर जाते रहे हैं आज भी यह कच्चा रास्ता उसी स्थिति में है। आज जीप और कार से जाना चाहें तो कोई सडक नहीं है। वैसे रेल की सुविधा भी बहुत कम है। सडकें नहीं हो से बसेज की सुविधा भी नहीं है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा सीकर जिला हैडक्वार्टर को तहसीलों से और सब-डिविजनों हैडक्वार्टर से जोडने का पूरा ध्यान रखें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अश्रव्य।

श्री मोहनलाल मोदी: आपको तकलीफ होती नहीं है। अकाल राहत में आप काम करवाले। हमारे यहां दो-चार कांग्रेस के ऐसे मठाधीश हैं अकाल राहत का काम है तो वह हमारे डागा साहब पाली जिले में करवा लेते हैं। 72 मील सडक बनवा लें, 13 लाख रुपया अकाल में लगवा लें लेकिन सारे नीम के थाने में एक पैसा अकाल राहत में नहीं लगे। जबकि नीम का थाना सबडिवीजन भी अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित है। इसलिए मैं आपसे क्या निवेदन करूं मन्त्री महोदय से करूंगा।

(विराम)

एक मन्त्री महोदय मैंने कई दिनों से निवेदन किया, नीम का थाना सारा पहाडी इलाका है। वहां कोई यातायात के साधन नहीं हैं, अगर इस नीम का थाना शाहपुरा वाया अजमेरी सडक को बनाये तो लोगों को बहुत बडी सुविधा हो। शाहपुरा 42 मील पडता है मेन रोड से जाते हैं और जो नया रूट निकलेगा

(श्री मोहन लाल मोदी)
उससे 26 मील पड़ेगा। 14-16 मील का फर्क पड़ता है इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस बारे में जरूर ध्यान दें।

दूसरा मैंने पाटन रोड (डाबला से कोटपूतली) के बारे में निवेदन किया। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा झटका इस बात का आ जाता है कि जमीन एक्वायर नहीं होती है। कभी कोई एलाइनमेंट चेन्जेज हो जाते हैं तो कभी कोई चेन्जेज हो जाते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. के कहीं नक्शे में चेन्जेज हो जाते हैं तो कभी कुछ हो जाता है। जब जमीन एक्वायर नहीं करेंगे तो जरूर रुकावट आयेगी। ऐसी हालत श्री माधोपुर से नीम के थाने की है। 3-4 मील का टुकड़ा है जो अधूरा पड़ा है। काश्तकारों से बात हुई और काश्तकार जमीन देने को तैयार हुए तो आप कहते हैं रुपया नहीं है। मैं कहता हूं यह काम किस प्रकार चलेगा। आप जब तक जिलेवार कोई टारगेट नहीं रखेंगे कि इतना रुपया इस जिले में लगाना है तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। मन्त्री महोदय को कहेंगे तो इधर उधर की बात कह कर टाल देंगे और कोई बहस का उत्तर नहीं देंगे। मैं यह कहना चाहूंगा हमें निश्चित रूप से यह बतायें कितने दिनों में आप यह रोड तैयार करेंगे। जिस रोड को प्लान में लेते हैं उसका रुपया क्यों नहीं खर्च होता है। जितना रुपया प्लान में लगाया जाय उतना जरूरी है कि खर्च होना चाहिए। उसी साल में उस रोड पर खर्च किया जाय जिसके लिए यह प्लान में लिया गया है। मैं मन्त्री महोदय को फिर दुबारा इस बात का ध्यान दिलाता हूं कि मैंने जो प्रश्न किये हैं उसके बारे में उनका उत्तर आना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री: श्री मूलचन्द कटेवा।

(अनुपस्थित)

श्री शिव नाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा): सभापति महोदया, मुझे इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करना है। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जिस विभाग से सड़क बनती है तो वह किन्हीं न किन्हीं काश्तकारों के खेतों में से होकर जाती है और सरकार कहती है कि लोग बाग सड़कें बनाने में बाधा पहुंचाते हैं। मैं कहता हूं यह नहीं होना चाहिए लेकिन इस विभाग की तरफ से जो धान्धली बरती जा रही है उसका कोई भी उदाहरण नहीं है। मेरे जिले में 10-15 साल पहले सड़कें बनी थीं। उन जमीनों का आज तक काश्तकारों से लगान लिया जा रहा है। उसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं और 80 80 फीट जमीनें काश्तकारों की लेली हैं, आज भी उनसे लगान लिया जा रहा है और आगे भी लगान लेते रहेंगे। उनके लिए कोई व्यवस्था लगान न लेने की नहीं की जा रही है। हर साल यही उत्तर दिया जाता है जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे लेकिन आज तक एक बीघा जमीन का भी मुआवज़ा नहीं दिया गया। और रेवेन्यू विभाग ने उन लोगों का लगान नहीं काटा है आज भी वसूल किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार इस ओर ध्यान दे।

झुन्झुनूं जिले का ही यह सवाल नहीं है सारे राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था है। काश्तकारों ने जहां स्वेच्छा से जमीन दी है उनकी तो सुनवाई होती नहीं और जो लोग बाधा पहुंचा रहे हैं उनका आप कुछ नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

कर सकते। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं श्री माधोपुर से उदयपुर सडक जाती है, लाइन भोजपुरा के पास चार मील का टुकडा ऐसा है जहां आपकी सडक में काश्तकारों ने बाधा पहुंचाई। उन्होंने यह कहा कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जायगा हम इधर से सडक नहीं जाने देंगे। आज पन्द्रह साल से यह सडक पडी है, न मुआवजा दे सके हैं और न सडक पूरी कर पाये हैं। 155 मील की सडक झुन्झुनू उदयपुर उसमें केवल चार मील का टुकडा पडा है। लेकिन आप उसको ले नहीं सके। जो काश्तकार सहयोग करना चाहते हैं उनके साथ में यह रवैया है और जो काम में बाधा पहुंचाना चाहते हैं उनका आप कुछ नहीं बिगाड सकते। बडा गांव के पास दो फर्लांग का टुकडा पडा है जिसको आप एक्वायर नहीं कर पाये। कभी कभी मिनिस्टर और अधिकारी आ जाते हैं उनको कहते हैं 115 मील की सडक में यह दो फर्लांग का टुकडा रह गया तो कहते हैं कि इसको छोडकर सडक बना दो। आखिर दो फर्लांग के कारण सारी सडक बेकार हो रही है। इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। जो काश्तकार आपको सहयोग देकर जमीन देना चाहते हैं उनके साथ भी आपका अच्छा व्यवहार नहीं है उनका लगान नहीं कटना चाहिए। और जो योजना में बाधा पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। आप जिन जमीन को पन्द्रह साल तक एक्वायर नहीं कर पाये तो मैं क्या कहूं यह विभाग के लिये अच्छी बात नहीं है।

इस सम्बन्ध में झुन्झुनू जिला अन्य सब जिलों से ज्यादा उपेक्षित रहा है। इस विभाग द्वारा सडकों के मामले में पूर्ण उपेक्षा बरती गई है। यहां कोई भी सडक पिछले चार पांच सालों में नहीं बन पाई है। दूसरी योजना में चार पांच मील का टुकडा बना था। उसके सिवाय कोई काम नहीं हुआ। एक मैं जानकारी देना चाहता हूं पूरे झुन्झुनू जिले में एक डाक बंगला नहीं है। हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में भी कोई डाक बंगला नहीं है। अफसर लोग चाहते हैं कि डाक बंगला बने लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर वे जब कभी उधर दौरे पर जाते हैं प्राइवेट आदमी के यहां ठहरते हैं, इस पर आलोचना होती है। आखिर अफसर जायगा तो कहीं न कहीं ठहरेगा ही। अगर किसी के यहां ठहरता है और खाना खाता है तो कुछ न कुछ उसके नमक का असर रहेगा ही। आपके विभाग द्वारा रेस्ट हाउस या डाक बंगले कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर तो बनाने चाहिए, एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर पर बनाने चाहिए ताकि सरकारी अधिकारियों को ठहरने की सहुलियत हो। नाइट हाल्ट तो उनको करना पडता है। स्टेट के काम से जाते हैं लेकिन ठहरने के लिये व्यवस्था नहीं और दूसरे लोगों के ठहरने की व्यवस्था नहीं इसलिये डाक बंगलों के लिये तहसील हैड क्वार्टर के लिये फण्ड अलोट किया जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं झुन्झुनू जिले की जो सडकें हैं वे भी बहुत खराब हो चुकी हैं। जितना आपने पैसा लगाया एक प्रकार से बेकार गया। गुढा से झुन्झुनू तक की सडक है इसमें दो फर्लांग का टुकडा बाकी है। इसमें छः मील का टुकडा जब जुलाई में वर्षा आयी वह स्मेश हो चुका है। मैं आपको निवेदन

(श्री शिवनाथ सिंह)

करना चाहता हूं वह जो टुकडा स्मेश हुआ उस पर एक भी परात मिट्टी की नहीं डाली है। बाढ के लिये फण्ड्स भी अलोट हुए थे और कागजों में कुछ मरम्मत भी दिखाई गई है, ठकेदार की शिकायत भी की है उसकी जांच हुई है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। वास्तव में मरम्मत भी की गई या नहीं या झूंटे कागजात बनाये गये हैं। मेरी जहां तक जानकारी है वास्तव में कोई मरम्मत नहीं हुई। गुढा से उदयपुर वाटी की जो सडक है उसकी बरबादी हो चुकी है। जिस सडक पर लाखों रुपया लगाया है। वह आज तक काम में नहीं आ रही है। उदयपुरवाटी से जयपुर, झुन्झनू सीकर से नीम-का-थाना सडक ले जाने की योजना बनाई गई, यह दस साल से योजना पडी है इसमें सिर्फ दस मील का टुकडा पडा है। यहां तहसील हेडक्वार्टर है पुलिस स्टेशन है, उपजाऊ इलाका है इसको किसी न किसी इम्पोर्टेन्ट स्थान से मिलाना चाहिए। चार साल पहले उस इलाके में मुख्य मन्त्री पधारे थे, लोगों को आश्वासन दिलाया था कि 12 महीने के अन्दर अन्दर उदयपुरवाटी से सीकर झुन्झनूं पक्की सडक से मिला दिया जायगा। चार साल होने आये उसकी हालत वैसी की वैसी है। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री उस ओर ध्यान दें जो योजनायें हैं उन पर थोडा सा खर्चा करने से लोगों को राहत मिल सकती है। झुन्झनू और लोहारू में फर्क नहीं है नवाब साहब, इसी लिहाज से नवाब साहब को भी सहूलियत होगी। आप हमारे पडौसी हैं हमारी तरफ ध्यान देकर हमारी सुनवाई करेंगे।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान नवलगढ गुढा सडक की ओर ले जाना चाहता हूं। यह सडक आपके प्लान में एप्रूव्ड है। वह सडक बनाई जा रही है जयपुर से नवलगढ-उदयपुर, उदयपुर से गुढा नवलगढ गुढा 18 मील पडता है, गुढा-नवलगढ से 24 मील पडता है उदयपुर। इस तरह से उदयपुर तक ले जाने में 38 मील का फर्क पडता है। ऐसी हालत में आप अठारह मील की सडक की तरफ ध्यान दीजिये। आप इसको सीधा गुढा से नवलगढ बना दें जो रुपया भी मन्जूर हो चुका है लेकिन किन्ही राजनैतिक कारणों के कारण इस वक्त नवलगढ से उदयपुर ले जाने का सोच रहे हैं। इस बात को देखिये 38 मील की सडक जो बनाने जा रहे हैं, तो आप इस नाम को हटा दीजिये गुढा नवलगढ। या सीधा नवलगढ गुढा ही बना दीजिये। आप इसमें राजनैतिक कारण है उसे छोडिये। आपको कम से कम खर्चा हो और जनता के लिये अधिक से अधिक उपयोगी हो उस सडक को बनाइये। मेरा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से निवेदन है कि हमारे जिले की तरफ ध्यान दें। थोडे से पसों का मामला है। थोडा सा आप ठीक करा दीजिये हमेशा आप याद रहेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जसवन्तसिंह (अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ! (अनुपस्थित)

श्री सांवरमल बासोतिया (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित)

श्री **रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौडगढ) : सभानेत्री महोदया, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही है। चित्तौडगढ जिले के अन्दर सडक है जिन पर

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
राज्य सरकार ने पैसा लगाया है, माननीय मन्त्री महोदय से उन सडकों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

सभानेत्री महोदया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में राज्य सरकार की ओर से बहुत अच्छा कार्य किया गया ।

इसके लिये तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि राज्य सरकार ने इस जिले की ओर ध्यान दिया और आवागमन के साधन बनाये क्योंकि चित्तौडगढ जिला भूतपूर्व मेवाड राज्य का वह इलाका है जिसमें केवल 1 मील डामर की सडक थी और 6 मील दूसरी सडक थी । राज्य सरकार ने पिछले 20 वर्षों में 600 मील पक्की सडकें और करीब 150 माइल डामर की सडकें बनाई हैं, इसके लिये हम राज्य सरकार के आभारी हैं कि हमारे जिले में आवागमन के इतने साधन बनाये हैं ।

पर आज भी चित्तौडगढ जिले में तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जिन सडकों को हाथ में लिया गया, उनमें कहीं पुलिया नहीं बनी हैं, कहीं सडकें पूरी नहीं की गई हैं, कई सडकें अधूरी पडी हैं, कहीं पर काम किया है तो चार, पांच मील सडक बना दी, बाकी अधूरी पडी है । इस तरह चित्तौडगढ जिले का वह भाग जो अदिवासी और पहाडी एरिया है, जहां आवागमन के साधन सिवाय सडकों के और नहीं हैं, उन सडकों की ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । चित्तौडगढ जिला राजस्थान का वह जिला है जो पहाडी इलाका है । चित्तौडगढ से बांसवाडा जाने के लिये हमें मध्यप्रदेश के उस भाग में हो कर जाना पडता है, मन्दसोर का इलाका जो वहां से 60-70 माइल है वहां जाकर वापिस चित्तौडगढ इलाके में आना पडता है । इस प्रकार चित्तौडगढ से प्रतापगढ जाते हैं तो चक्कर काट कर 90-92 माइल पडता है पर यदि सीधी सडक बना दी जाय तो केवल 52-54 माइल ही रह जाता है । पिछले साल राज्य सरकार ने इस सडक पर ध्यान दिया था छोटी सादडी हो कर सडक बनाने का पर वह नहीं किया गया । छोटी सादडी से प्रतापगढ इलाका जगली और पहाडी इलाका है इसलिए वहां आवागमन के और कोई साधन नहीं हैं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस वर्ष इस सडक पर अच्छी रकम दे कर इसे पूरा करवायें जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा मिले । चित्तौडगढ का वह भाग जहां राणाप्रताप सागर बांध बना है वह चित्तौडगढ से 95 माइल पडता है जो चित्तौडगढ जिले का भाग है, जहां के निवासियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, बेघरबार हुए हैं, आज भी वहां आवागमन के साधन नहीं हैं, भैसरोडगढ यहां से 90 मील पडता है, उससे तीन चार मील पर ही रावत भाटा बांध है, इस क्षेत्र में तीनों पचवर्षीय योजनाओं में जो सडकों का काम हाथ में लिया गया वह पूरा नहीं किया गया है ।

(2.53 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया पर भैंसरोडगढ के पास पुलियाएं अधूरी पडी हैं, इसलिए बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है । यहां आने जाने का साधन सिवाय बून्दी से कोटा रावत भाटा होकर जाने का है, किस प्रकार वहां के लोगों को तकलीफ उठा कर

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

जाना पडता है जब कि चित्तौड जिला हैड क्वार्टर होने के कारण वहां सबको आने जाने का काम पडता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भैंसरोडगढ की पुलियाओं को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय ताकि सिंगोली भैंसरोडगढ रोड चालू हो सके।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बस्सी टू ग्वालियर सडक प्रथम पचवर्षीय योजना में स्वीकार की गई, बस्सी से विजयपुर सडक बनाई गई, 8 मील का टुकडा यों ही पडा हुआ है, विजयपुर की नदी पर कोई पुलिया नहीं बनाई, जिसकी वजह से बरसात में चार महीनों में इस सडक पर आना जाना बन्द हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इस नदी पर पुल बनाया जावे ताकि आने जाने की लोगों को सुविधा हो। चित्तौडगढ जिले में पांच वर्षों पहले जम्बूपुरा से सावा रोड बनाई गई, उस सडक पर हजारों गाडियां पत्थर लेने आती जाती रहती हैं। उस सडक की दो तीन साल से कोई रिपेअर्स नहीं हुई हैं, उन सडकों पर इतने खड्डे पडे हुए हैं कि बैलगाडियां फंस जाती हैं, पास नहीं हो पातीं। बैलगाडियां ही नहीं ट्रकें और मोटरें भी नहीं निकल सकती हैं। सावा से कन्नोज के बीच में नाला पडता है, वहां कल्वर्ट बाकी रह गया है, तो मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार उस नाले को पूरा करवाये। चित्तौडगढ का वह इलाका जिसको स्वर्गीय श्री भवानी शंकरजी नन्दवाना ने अपना जीवन दिया है, जब वे डिप्टी मिनिस्टर थे तो उस इलाके में कई सडकों का काम हाथ में लिया था पर चार साल हुए उनकी मृत्यु हुए, तब से वहां कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने पिछले साल मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि आप उस इलाके की तरफ ध्यान दें पर राज्य सरकार इस ओर उदासीनता बरत रही है। कपासिन से भादसोडा सडक के लिए पिछले साल 50 हजार रुपया रखा गया था, पर इस सडक पर पिछले साल कोई काम नहीं किया गया और न कपासिन का कोई रोड पर ही कार्य किया गया। आखिर राज्य सरकार का क्या इरादा है, वहां का कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस इलाके की ओर कोई ध्यान ही नहीं भी दिया जाय, जिन सडकों पर पहले काम शुरु करवाया गया था उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाय। गंगरार राशिम सडक की पहले मन्जूरी हुई थी, वहां पिछले साल 3 मील पर मिट्टी डाली गई और कोई काम नहीं किया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि उन छोटे छोटे कार्यों को, जिन पर थोडा पैसा लगाने से पूरा कराया जा सकता है, पूरा कराया जाय। इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मगलवाड से निम्बाहेडा सडक है, उस पर हजारों गाडियां और ट्रक आते जाते हैं, वहां सडक की ऐसी बुरी हालत है कि बैलगाडियां पास नहीं हो सकतीं, ट्रक भी नहीं जा सकते। मुख्य मन्त्री जी का उधर दौरा हुआ था तो वह रास्ता मुख्य मन्त्रीजी को दिखाया गया था और कहा था कि आप कभी आते नहीं हैं इस इलाके में, पिछले साल उनको यह रास्ता बताया था, उस रास्ते की हालत ऐसी है कि बैलगाडियां तो क्या ट्रक और मोटरें भी उस रास्ते से नहीं निकल सकतीं। इस साल राज्य सरकार ने उस सडक के लिये कुछ फण्डस् अलाट किये हैं पर वह काफी नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सडक के लिये और सुमुचित धनराशि रख कर इसको ठीक करवाया जाय।

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

चित्तौडगढ जिले का प्रतापगढ और अरनोद का इलाका पहाडी और आदिवासी इलाका है। इस रास्ते के अलावा और कोई आवागमन का साधन वहां नहीं है, वह आदिवासी इलाका है, इस क्षेत्र के लोगों को हर काम के लिये तहसील हैडक्वार्टर प्रतापगढ आना पडता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान देकर अरनोद-पिपलोदा रोड को शीघ्र पूरा करावें।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बडी सादडी चित्तौडगढ जिले में तहसील हैड क्वार्टर है, जिला हैड क्वार्टर से इस तहसील हैड क्वार्टर को अभी तक सम्बन्धित नहीं किया गया है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि बडी सादडी तहसील हैड क्वार्टर को चित्तौडगढ जिला हैड क्वार्टर से जल्दी से जल्दी बडी सादडी-नीकूम को जोडना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस रास्ते को जल्दी से जल्दी पूरा करवायेगी तथा छोटी सादडी बडी सादडी की पुलिया बनाई जावे।

इसके अलावा कई छोटे छोटे टुकडे पिछले तीन चार साल से अधूरे पडे हैं, उनको पूरा करने की ओर राज्य सरकार ध्यान दें।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान कोटा जिले की उस तहसील की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, कोटा जिले की पीपल्दा तहसील 56 मील पर है, उस रास्ते में 38 मील के टुकडे पर काफी पैसा लगा कर सडक का निर्माण किया गया है। पीपल्दा के पास नदी है, नदी के किनारे तक सडक गई है, तहसील का हैड क्वार्टर नदी के उस दूसरे किनारे की ओर है। रात दिन मवेशी वाले, बैल गाडी वाले और ट्रक वाले हैं, उनको दिक्कत होती है, लोग गांव की ओर आ जा नहीं सकते। 8 फीट चौडा पुल का निर्माण करने का प्रावधान किया है। बडी ताज्जुब की बात यह है कि बडी नदी पर छोटा पुल बांधा जा रहा है और उसका प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने पिछले साल इस पुल पर आठ हजार रुपया लगाया और बरसात से वह गया। मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि बडी नदी पर छोटा पुल बना कर क्यों राज्य का पैसा बरबाद करते हैं। क्यों नहीं उचित सर्वे करते हैं और उचित धन देते हैं। इस जिले में पिछले टाइम मैं गया था। मैं कहना तो नहीं चाहता हूं लेकिन मैंने देखा कि कोटा स्टेट के वक्त की बनी हुई सडकें पडी हैं। अन्ता से सांगोद तथा अन्ता से सीसवाली मांगरोल गड्डे पडे हुए हैं। मांगरोल से इटावा जहां मोटर वगैरह जा नहीं सकतीं। ऐसे जो पिछडे हुए इलाके हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और आवश्यक धनराशि खर्च कर जो पुरानी सडकें हैं उनको पूरा करें। मेरे कटौती प्रस्ताव के द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन है मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में एक सडक के लिए। मैं कट मोशन पर बोलने से पहले बजट की तरफ माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो बजट है उसमें

(श्री पी.के. चौधरी)

हम देखते हैं कि लगातार तीन वर्ष से वर्क्स पर और एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्चा बढ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल जो इनका बजट था पब्लिक वर्क्स के लिए 67-68 का उसमें 9 करोड 7 लाख रखा गया था, इसमें एस्टेब्लिशमेन्ट का रखा 1 करोड 16 लाख परन्तु करेन्ट ईयर में 68-69 में वर्क्स का बजट 9 करोड 69 लाख का और एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज हैं 1 करोड 23 लाख। इस साल जो पब्लिक वर्क्स के लिये प्रावधान किया है उसमें 8 करोड 90 लाख रखा है जबकि एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज 1 करोड 36 लाख हो गया। परसन्टेज इसका हमने निकाला तो 67-68 में एस्टेब्लिशमेन्ट पर चीफ इन्जीनियर सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर, वगैरह सब को मिला कर 12.5 परसेन्ट। 68-69 में 12.4 परसेन्ट और इस साल 12.9 परसेन्ट हो जाता है काम तो बढा नहीं है लेकिन एक्सपेन्डीचर का खर्चा बढ गया है। मैं इसको हेल्दी ट्रेडीशन नहीं मानता। पिछली मर्तबा बोर्डर रोड्स का बजट था 6 करोड का प्लान एक्सपेन्डीचर था लेकिन उसमें 5 करोड 34 लाख का खर्चा हुआ। करीब करीब 65 लाख का शार्ट फाल रहा। किसी डिपार्टमेन्ट का अगर शार्ट-फाल रहता है तो उस डिपार्टमेन्ट की वह इफिशियेन्सी नहीं है। एक्सपेन्डीचर बढा है और वर्क्स नहीं बढे हैं। तीन पर्सेन्ट जो एक्स्पेन्डीचर बढा है मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं। राजस्थान में रोड्स की काफी डिमाण्ड है। फिर शार्टफाल होता है उसको उचित नहीं समझते।

मैंने जिस सडक के लिये कट मोशन रखा उसको माननीय मन्त्री महोदय को ले जाकर भी बताया। माननीय मन्त्री महोदय ने महरबानी करके उस इलाके का दौरा करना भी स्वीकार किया था और उस रोड पर मैं उनको लेकर भी गया था और यह भी बताया था कि रोड का निर्माण हो जाना चाहिए, कालवाट से जोबनेर। बार्डर रोड्स स्कीम के अन्तर्गत यह हो सकती है। इससे जयपुर से जोधपुर की दूरी 25 मील कम हो जाती है। इस नई 25 मील रोड के कन्स्ट्रक्शन से जयपुर से नागौर का 25 मील का डिस्टेन्स कम हो जाता है। इसको बार्डर रोड में भी लिया जा सकता है। जैसा मैंने निवेदन किया कि 65 लाख रुपया बोर्डर रोड्स में शार्टफाल रहा है और उसको सरेन्डर किया है। 6-7 लाख का खर्चा आ सकता था उसको लिया नहीं। हमने गांव वालों ने मन्त्री महोदय का स्वागत किया, बहुत अच्छा स्वागत किया। उनको हर गांव में ले गये। ऐसे गांवों में हम उनको ले गये जहां कि आज तक कोई मिनिस्टर गया ही नहीं, किसी ने विजिट नहीं किया। संघबा ले गया। लोग साधन सम्पन्न नहीं हैं। उन्होंने वहां का वातावरण देखा। जागीरदार के तालाब में ले गये। जागीरदार लट्ठ लेकर आया। आपकी एक वहां की हिस्टोरिक विजिट थी। इतिहास में लिखा जावेगा कि पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर बीस साल में पहले मिनिस्टर थे जो वहां पर गये। नागौर डिस्ट्रिक्ट में वह सडक नहीं आती थी। इस सडक का आधा हिस्सा सेकिन्ड फाईव ईयर प्लान में मन्जूर था। मुख्य मन्त्री महोदय ने भी कहा था कि इस सडक को पूरा करवा देंगे प्रोविजन गवर्नमेन्ट की ओर से हो जाने के बाद भी नहीं हुआ। मन्त्री महोदय ने कष्ट किया, उनका हमने अच्छी तरह से स्वागत किया, एक एक गांव में जहां वे गये उनको मालायें

Page No 104

(श्री पी. के. चौधरी)

पहनाई गयीं, बैंड बजाये, नाचे गाये। नतीजा कुछ नहीं हुआ इसलिये कट मोशन लाना पडा। 65 लाख रुपया आपने सरेन्डर किया वह यहां पर लगाते।

जयपुर जिले का इस साल का बजट है उसमें भी बोर्डर रोडस के अलावा 1 करोड 5 लाख का बजट है उसमें 1 लाख रुपया मिला है। इधर हम देखते हैं कि अलवर जिला है जहां माननीय मन्त्री महोदय की कांस्टीटयूएन्सी है वहां पर दो साल में सात आठ लाख के काम हो गये। मन्त्री महोदय हमारे इन्चार्ज हैं। पहले हम को देंगे, पहले दूसरों के इलाके में काम करायेंगे, उसक बाद अपने इलाके में काम कराना चाहिए। बजट के अलोकेशन्स है रीजनल इम्बेलेन्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं बताना चाहता। किसी में एक लाख, दो लाख, चार लाख, सात लाख। इस बजट में भी प्रोविजन है। जयपुर जिला इतना बडा है जिला है, रोडस का फिर भी यहां डेवलपमेन्ट बहुत कम है। 1 लाख रुपया ही रखा है। इसलिये मन्त्री महोदय एलोकेशन्स में हेरफेर करें। मन्त्री महोदय ने अपनी कांस्टीटयूएन्सी में सात लाख का काम कराया है। इस साल तीन चार लाख रखा है। उसको डाइवर्ट करके हमारे को दे दें। मैं यह मानकर चलता हूं कि जो बडा होता है, खुद इन्तजाम करता है, वह पहले दूसरों को खिलाता है और उसके बाद जो कुछ बचा होता है वह स्वयं खाता है। परोसने वाला पहले दूसरों को परोसता है उसके बाद जो बचता है वह स्वयं खाता है। सुबह से शाम तक रात में आपको हमने धूल में घुमाया। कम से कम इस सडक को तो ले लिया जाय। माननीय मुख्य मन्त्री जी का भी कमिटमेन्ट था, इसको पूरा कर देंगे। स्टेट के बजट में नहीं लेना चाहते तो बोर्डर रोड का भी तीन चार करोड का बजट है उसमें ले लीजिये। सैन्टर उसमें एग्री हो सकता है। नहीं एग्री होता है तो अदरदैन बोर्डर रोड्स 1.55 लाख का बजट रखा है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट की पोपुलेशन और अकाल को देखते हुए, 63 के बाद छः सात साल में एक सडक भी यहां पर नहीं ली गई है इसको देखते हुए रोड्स के लिये प्लान है उसमें दुरुस्ती करके इसको ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन भी मैंने कहा था अकाल में सडकें मन्जूर करते हैं। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर रिपोर्ट करता है कलेक्टर साहब को कि काम शुरू हो गया है। मैंने तलाश किया कि काम शुरू हो गया है। पता चला कि ओवरसीयर तो छुट्टी में है काम कहां से शुरू हो गया। कलेक्टर सहाब को कहा कि गलत रिपोर्ट दी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने। मेरे पास सूचना भेजी कि मजदूर नहीं मिलते हैं इसलिये नहीं लिया। ओवरसीयर इसलिये नहीं आया। फिर पूछा मैंने लोगों से तो कहा कि काफी मजदूर हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि अधिकारी किस प्रकार झूठी रिपोर्ट्स दे देते हैं। मौके पर नहीं जाते हैं। एस. डी. ओ. ने भी कहा कि काफी मजदूर हैं। आप कहते हैं कि मजदूर नहीं हैं। एप्रोप्रियेशन बिल पर मैंने कहा था। मिनिस्टर साहब थे। क्या एक्स. ई. एन. को बुला कर पूछा कि मजदूर थे या नहीं? एक्स. इ. एन. को बुलाते, एस. डी. ओ. को बुलाते। इस प्रकार झूठी रिपोर्ट आपके अधिकारी देते हैं। अकाल के कारण फरवरी के फर्स्ट वीक में यह

(श्री पी. के. चौधरी)

मन्जूर करायी थी लेकिन कोई एक्जीक्यूशन नहीं हुआ। मन्त्री महोदय डिपार्टमेन्ट को फुल अप करें। अकाल में पैसे आ रहे हैं उसको भी काम में नहीं ले रहे हैं। इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस साल की जो रोडस प्रोग्राम है उसमें इस कलवर्ट से जोबनेर होती हुई रूधवा तक बना दें। बीच में तीन-चार-पांच हजार की आबादी के गांव पडते हैं। उपजाऊ इलाका है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे और रिप्लाई देंगे तब हमारी मांग को मन्जूर करके कुछ रुपया रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से रतनपुर 21 मील दूर है। यहां की जमीन अच्छी उपजाऊ है। उस उपजाऊ जमीन पर से सडक निकाली है। लेकिन वहां के लोगों को जिनकी जमीन इस सडक के अन्दर दब गयी है, वडी उपजाऊ है उसका मुआवजा नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि निर्माण मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें और ऐसे आदिवासी किसानों को जिनकी जमीन सडक के नीचे आगयी है उसका उनको मुआवजा दें।

डूंगरपुर और बांसवाडा के बीच में माही नदी का पुल बनाने जा रहे हैं उसका शिलान्यास माननीय मुख्य मन्त्रीजी महोदय ने किया। उधर इस साल भयंकर रूप से अकाल है। उस पुल का काम शुरू किया जाय तो आदिवासी काम कर सकेंगे और आज जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें रोजगार मिल सकेगा। मैं चाहूंगा कि हजारों वर्ष से डूंगरपुर बांसवाडा को नहीं मिला पाये थे वह यह माही नदी का पुल मिलायेगा, छः महीने तक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे, यह उस पुल के निर्माण होने पर हो सकेगा। वडी संख्या में रोजगार देने के लिये किसानों को लगाया जाकर यह काम शुरू कर दिया जाय।

माननीय मन्त्री महोदय ने भी देखा होगा। गलिया कोट एक तीर्थ स्थान है। मुसलमानों का भी और हिन्दुओं का भी। गलिया कोट से बीस मील रोड जाती है। पिछले वर्ष से प्लान के अन्दर है लेकिन धनाभाव के कारण नहीं ली जाती है। यह भी कहने में आ रहा है कि कडाना डेम बन्ध रहा है और इससे वह डूब में जावेगी। इसलिये नहीं ले रहे हैं। वह सडक उसमें नहीं आती है। न तो तालाब का काम हो रहा है और न निर्माण का काम हो रहा है वैसी स्थिति में किसान इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। वहां के आदिवासी गुजरात में नाना प्रकार के काम करने चले जाते हैं। भयंकर गर्मी सर्दी बरसात में वापिस आते हैं। बारह महीने का काम नहीं मिलता। अकसर अकाल पडता रहता है और छोटे मोटे काम हो जाते हैं और दो चार मील सडकें बन कर अधूरी पडी रह जाती हैं। जिन सडकों पर काम हुआ था और काफी संख्या में सडकें बनी हैं लेकिन ऐसी सडकें हैं जो पहली, दूसरी और तीसरी योजना में आयी नहीं। कुछ मेटल रोड पर काम नहीं हुआ, कई सडकें ऐसी हैं जिन पर पुलियायें बनी नहीं कुछ सडकें पहाड नदी और घाटों से पार करती हैं लेकिन पुलिया नहीं है, अगर उन पर पुलिया बना दी जायं तो बाहर

(श्री रतनलाल रोत)

माह चालू हो सकती है। डूंगरपुर जो पिछडा इलाका है वहां इस वर्ष धन के अभाव के कारण काम नहीं किया जा रहा है इसलिये मैं निर्माण मन्त्रीजी से चाहूंगा कि ऐसे इलाके में जहां सडकों का विकास नहीं हुआ है वहां पर ज्यादा धन रखें। पीठ से सरथूना। दस मील का टुकडा है। मेटल्ड रोड नहीं बनी है। न सडकें हैं न पुलियां हैं। गुजरात जाने वाली सवारियां जाती हैं और गुजरात के लोग कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान में सडके मोटर व्यवस्था की बुरी दुर्दशा है। टीका टिप्पणी करते हैं। गुजरात से डूंगरपुर को मिलाने वाली सडकें हैं उन पर पूरा काम किया जाना चाहिये। इसके अलावा डूंगरपुर से मेवाड रोड जो प्लान वर्क्स में है और मुख्य मन्त्रीजी ने कई बार कहा कि तीसरी योजना में इसको कर दिया जावेगा लेकिन अभी तक वहां पर काम नहीं हुआ। 25 मील का टुकडा है। वह गुजरात से मिलाने वाली सडक है। आज भी वही वाहन चलते हैं, गाडियां चलती हैं। पहाडी एरिया है। लोगों को बहुत नुक्सान होता है। सवारियों को भी नुकसान होता है। 25 मील का टुकडा है। यह गुजरात और डूंगरपुर को मिलाने वाला मुख्य रास्ता है। आदिवासियों के लिये वह रास्ता खोला गया है।

इसके अलावा सागवाडा तहसील डूंगरपुर के हैं, बीच में कई बडे बडे मुख्य कस्बे हैं। पाडवा, भासोर, सागवाडा, पाडवा, माण्डव की माइन्स–जहां करोडों रुपये आप फ्लोराइट की माइन्स पर लगा रहे हैं, जहां फ्लोराइट सबसे अच्छी किस्म का निकलता है–इनको इस सडक से मिलाने के लिये डूंगरपुर से माण्डव-की पाल माइन्स वाया सागवाडा इनको मिलाया जाना चाहिए। तीसरी पंच वर्षीय योजना में इन सडकों में काम करने के लिये प्रावधान रखा गया था लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। वहां के लोगों को हमेशा जाने-आने में, गर्मी, सर्दी, बरसात में बडी मुसीबत का सामना करना पडता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर से माण्डव की माइन्स वाया भासोर, पाडवा, सागवाडा तक के रोड का काम पूरा किया जाना चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री **रामनारायण चौधरी** (मंडावा): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित मांगों पर विचार हो रहा है। मैं सदन में झुन्झुनू जिले की सडकों के बारे में आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, झुन्झुनू जिले की सडकों के बारे में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान हम समय समय पर आकर्षित करते रहे हैं। जब जब हम उनसे मिले और उनके साथ में चर्चा की तो बार बार उन्होंने धनाभाव का जिक्र किया। झुन्झुनू जिले में झुन्झुनू से राजगढ वाया अमरसर ऐसी सडक है, जो जिले के यातायात एव व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सडक है। जिले की सडकों की प्रायोरिटी फिक्स करते समय जिला अधिकारियों, जिला परिषद् एवं जिला के एम. एल. एज. की हुई बैठक में इस सडक के बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी फिक्स की गई थी और जिसके बारे में दो साल से बातचीत की जा रही है परन्तु सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय का ध्यान नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

गया है। हमने इस बारे में उनसे निवेदन किया था कि दो मील का टुकडा है, मेहरबानी करके इसको पूरा करा दीजिये। परन्तु उन्होंने फिर धनाभाव का जिक्र किया। मुझे दु:ख के साथ कहना पडता है कि उन्हीं मन्त्री महोदय ने मार्च के महीने में डेढ-दो लाख की स्वीकृति दी है। यह झुन्झुनू जिले की बडी महत्वपूर्ण सडक है। उसके लिये मन्त्री महोदय के पास धन नहीं था। इस पर बहुत अधिक ट्रैफिक है और अधिक गाडियां चलती हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये।

झुन्झुनूं जिले की दूसरी सडक मण्डावा से बसई की तरफ आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसके ऊपर गत वर्ष फेमिन के अन्दर पांच लाख रुपया खर्च किया गया और लाखों रुपयों का रा-मेटेरियल पत्थर इस सडक पर पडा हुआ है लेकिन अभी तक इस सडक का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं निर्माण मन्त्रीजी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे इस मण्डावा से बसई सडक को, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में मुकुन्दगढ तक बन चुकी है और आगे की अधूरी पडी हुई है, उसको इस चौथी पंचवर्षीय योजना में चालू करवाने का प्रावधान रक्खें।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन लेखन में सामग्री की मांग पर भी विचार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, लेखन सामग्री के बारे में यह आम चर्चा है कि राज्य सरकार की इस खरीद के मामले में घोटाला है। हल्के दर्जे का कागज खरीदा जाता है। जो स्याही खरीद की जाती है वह ऐसी खरीद की जाती है कि अगर उससे लिखा जाये, पानी में डूबोयें या स्याही में डुबोयें तो दोनों में बराबर है। कागज पर एक तरफ लिख सकते हैं। यह खरीद सैंकडों हजारों की होती है। इसलिये लेखन-सामग्री की खरीद के मामले की तरफ भी मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आशा है निर्माण मन्त्री महोदय आप इस तरफ ध्यान देंगे कि जो खरीद हो रही है, उसमें कहीं घोटाला है तो उसकी जांच करें।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

श्री **शंकरलाल** (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, सडकों के बारे में ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति अपनानी चाहिए। मैंने नीति के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखा है। नीति इस मायने में होनी चाहिए कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने जो 760 करोड रुपये रखे हैं, उसके अन्दर 360 करोड रुपये स्टेटस के लिये रखे हैं। इस 360 करोड में से राजस्थान के क्या प्रस्ताव हैं और राजस्थान उसमें से कितना हिस्सा ले पायेगा, एक निश्चित नीति सरकार की ओर से हमारे सामने आनी चाहिए। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसमें से कितना हिस्सा हमारा रहेगा, कितने के प्रस्ताव हमने योजना आयोग को दिये हैं। जब तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हमारे सामने नहीं आता है, सालाना योजना में हम क्या प्रस्ताव कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, सडकें बनाना अच्छी बात है। मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु सरकार को इस सम्बन्ध में एक निश्चित नीति अपनानी चाहिए। जो पिछडे हु

(श्री शंकरलाल)

इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं, जो किसानों के इलाके हैं, जो सरकार को एक प्रकार से लगान भी देते हैं और दूसरी प्रकार के टैक्स भी देते हैं, जिन किसानों की गाडियां बडे बडे रेतों के टीलों में फंस जाती हैं, ऐसे स्थानों पर सरकार को सडकें बनानी चाहिए। जो नेशनल हाईवे हैं और उनके साथ-साथ जो बोर्डर रोडस हैं, इन दोनों को इम्पार्टेन्स देने के बाद में जब सडक बनाने का सवाल शहर और गांव के बीच में आये तो गांव की सड़क पहले बने। किसान के लिये सडक बननी चाहिए। जहां घनी आबादी वाले किसानों की बस्ती है और जहां किसान को तकलीफ है, वहां सडक पहले बने, इस प्रकार की नीति सरकार को अपनानी चाहिए सडकों का एक प्लान बनना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे-छोटे शहरों में और दूसरी जगह व्यक्तिगत आदमी के घर तक सडके चली जाती हैं और जो महत्वपूर्ण गांव हैं, वहां पर सडक देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार की नीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने यह नीति घोषित की थी कि तहसील हैडक्वार्टर्स को हम सडकों से मिलायेंगे। तहसील हैडक्वार्टर्स को सडकों से मिलाने की योजना कहां तक पूरी हुई है? मैं समझता हूं बहुत सी तहसीलें ऐसी हैं जहां पर आज तक लिंक रोडस नहीं बन पाई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन रोडस के बारे में, उसकी नीति के बारे में मैं कहूंगा। फेमिन में जितनी सडकें बनती हैं, उनकी आज दिन तक बनने के बाद, मैं समझता हूं कि कोई डिपार्टमेन्ट, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेन्ट यह सडक टेक ओवर नहीं करता है। यह फमिन में बनी हुई है, इसके लिये वह जिम्मेदारी नहीं लेता है। तब मैं नहीं समझ पाता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किन की रहेगी? इसके लिये सरकार को एक निश्चित नीति की घोषणा करनी चाहिए। सडकें चाहे फेमिन में बनी हों, चाहे किसी डिपार्टमेन्ट के द्वारा बनी हों, एक दफा सडक का निर्माण हो जाने के बाद, उसकी देखरेख का काम पी. डब्ल्यू. डी. के अन्तर्गत दे दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सडकें बनती है और उसके बाद तुरन्त बरसात हो जाती हैं, उससे बहुत सी सडकें टूट जाती है, बह जाती हैं और गांव वाले यह कहते हैं कि सडक नहीं बनी होती तो अच्छा होता, इतनी खराब ये सडकें हो जाती हैं। उनको दूसरा रास्ता निकालना पडता है। गांव वाले उस सडक के पेरेलल रास्ता निकालते हैं और उस पेरेलल रास्ते से जाना वे पसन्द करेंगे बनिस्बत उन सडकों पर जो फेमिन में बनी होती हैं। बनने के बाद ये सडकें टूट जाती हैं और उनकी कोई देखरेख नहीं होती है। जो पैसा इस पर लगता है, वह बेकार जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में प्रमाणित करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण क्षेत्र से मैं प्रतिनिधि होकर आया हूं, वहां बहुत सी सडकों का निर्माण हुआ है। वे टूटी हालत में हैं। जैतारण से सोजत सिटी 10 मील की सडक है और टूटी हुई हालत में है। यह फेमिन में बनी थी। बोरुन्दा से खरांडा की सडक है। वह टूटी है। मन्त्री महोदय इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बोरुन्दा से खैरांडा सडक फेमिन में बनी थी। उसके बाद उसकी कोई देखरेख पी. डब्ल्यू.डी. न नहीं की। बोरुन्दा से खालका चार मील की सडक है। वह भी टूटी हुई है। लाम्बिया-कोडका 15 मील की सडक है। फेमिन में

(श्री शंकरलाल)

बनी थी। दो साल हो गये हैं। आज अगर आप उस रास्ते पर जायें तो जाना पसन्द नहीं करेंगे। टूटी हुई हालत में है और विभाग ठीक करने को तैयार नहीं है। नीमा से बिलाडा दस मील की अधूरी सडक है। जैतारण से डेगराना की सडक का टुकडा टूटा हुआ है। यह भी फेमिन में बनी हुई है। बेतावास से देवरिया की जो सडक है, वह भी इसी प्रकार की सडक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि फेमिन के अन्दर जो सडकें बनी हैं, उनके सम्बन्ध में यह निश्चित घोषणा आज ही करेंगे कि जो फेमिन के अन्दर सडकें बनी हैं, उनकी रिपेयरिंग की व्यवस्था की जायगी। अब जो फेमिन के अन्दर जो काम हो रहा है, उससे मुझे थोडा सन्तोष यह है कि वह एक प्लान्ड वे में हो रहा है। पहले फेमिन में जो सडकें बनी थीं वे रेवेन्यू एजेन्सी की मार्फत होती थीं, पंचायतों के मार्फत होती थीं। उन्होंने ले-आउट का मामला ठीक तरह से नहीं किया। अब यह काम पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा हो रहा है। उससे यह काम योजना बद्ध तरीके से हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि फेमिन के काम में जो सडकें बनी हैं, उनकी मन्जूरी होने के बाद उनकी आपके डिपार्टमेन्ट को इत्तला चली जाय। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग उनकी देखरेख करे। परन्तु आपका विभाग नींद में है। नींद में सोने के कारण मजदूर बेकार पडे रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल का ही उदाहरण बताऊं। एक मन्त्री के साथ मैं गया। वहां से हमको बताया गया कि सडकों का काम सैंक्शन हो गया 18 फरवरी को। पर वह 16 मार्च को चालू हुआ।

राणी से सांचोर 14 मील का टुकडा है। इसी तरह जैतारण, फूलमास, देवलिया में अभी शुरू हुआ है काम। देरी से होने का कारण बताया जाता है कि मजदूर नहीं आना चाहते हैं। फेमिन की मीटिंग में ए. ई. एन. कहता है मजदूर नहीं मिलने से काम चालू नहीं हुआ। अब कहा कि हमने तो 16 तारीख को चालू कर दिया। पर अलाइनमेन्ट से दूर काम पर लगाया। मजदूरों को वहां पता ही नहीं लगता। अब इसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर, ओवरसियरों को चाहिए कि वे गांव में सरपंचों से मजदूरों के लिये कहें। तो लोग बहुत मिल जावेंगे। पर ये काम लेना नहीं चाहते उनसे। जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। इसलिये फेमिन के कामों में भी विभाग के अधिकारियों की इस प्रकार के लापरवाही के रवैये से देरी होती है। यह गम्भीर विषय है। इसमें स्वायत्त शासन मन्त्री जी को तत्परता से काम करना चाहिए।

डिफेन्स की सडकें आप बनाते हैं, अच्छी बात है। अभी माननीय सदस्यों ने देखा होगा बडी महत्वपूर्ण सडक ब्यावर से बर की तरफ डिफेन्स की रोड बनी है। 17-18 लाख का एक्सपेण्डीचर है। जगह जगह पहाडों को पत्थरों को तोड-तोड कर सीधा रास्ता ले जाया गया है। यह बडा अच्छा काम लगता है। पर मैंने वहां के लिये भी सदन में कहा था कि मजदूरों की हालत वहां अच्छी नहीं है। इस बारे में मैंने कुछ शिकायत भी यहां रखी थीं। मुझे बडा खेद और अफसोस है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

(श्री शंकर लाल)

आज भी वहां मजदूरों की हालत ठीक नहीं है। और वहां पर जितने अलाइनमेन्ट होते हैं उनके पीछे अधिकांश में उनकी नीयत ठीक नहीं है। जानबूझ कर पहले तो दूरबीन लगाकर कहते हैं कि यह खेत इसम आवेगा, यह कुआ भी आवेगा, और उधर किसानों से कुछ ले दे कर उनसे शिकायत करवा देते हैं और शिकायत का बहाना करके वह कुआ बाद में छोड देते हैं उनके खेत छोड देते हैं।

एक बात मैंने सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी से कही भी थी कि यह अलाइनमेन्ट का तरीका डिफेन्स रोड के बारे में भी फेयर नहीं है। एक जगह तो यह कहना है उनका कि सडक से 75 फीट इधर और 75 फीट उधर जगह होनी चाहिए। साधारणतया पचास पचास फीट छोडी जाती है। अब 75 फीट वे लेते हैं तो कुए भी आते हैं कहीं-कहीं, कहीं-कहीं खेत भी आते हैं तो वे ले लिये जाते हैं। किसान शिकायत करते हैं और इससे असन्तोष फैलता है। फिर एक बात है कि अगर आपका यही 75 फीट वाला क्राइटेरिया है तो उस पूरी सडक पर सब जगह आप क्यों नहीं रखते ? जब आप दोनों तरफ पहाडों के बीच से सडक ले जाते हैं तब तो वहां पर 75 फीट नहीं छोडते। वहां आप दोनों तरफ पहाड नहीं तोडते, नहीं तोड सकते, इसलिये वह क्राइटेरिया वहां तो नहीं मानते, वहां तो वही पचास पचास फीट वाला क्राइटेरिया मानते हैं पर काश्तकारों के कुओं और खेतों को बरबाद करने के लिए वहां क्राइटेरिया 75 फीट का मानते हैं, वहां आप पीछे हटना ही नहीं चाहते। जिद् पकड कर बैठ जाते हैं कि नहीं, यहां तो 75 फीट का ही रहेगा। क्योंकि गरीब किसानों से खेत और कुए आसानी से छीने जा सकते हैं। तो क्राइटेरिया अगर आप रखते हैं तो एक सा रखिये।

जाखा की चौकी के पास बिरांटियां खुर्द की सरहद में पी. डब्लू. डी. के अधिकारीगण अड़े हुए हैं कि हम तो जमीन लेंगे। तो यह पालिसी होने चाहिए कि काश्तकारों की खेती की जमीन और उनके कुए पी. डब्लू. डी द्वारा कम से कम लिये जाने चाहिये, जहां बिलकुल ही अनिवार्य हो जाय, कहीं रास्ता हो न बचा हो तभी लिया जाय अन्यथा नहीं। इसके लिये देखभाल ऊपर से अधिकारी को स्वयं को जाकर करनी चाहिए। नीचे के छोटे मोटे अधिकारियों अथवा कर्मचारियों पर कतई नहीं छोडा जाय।

एक और निवेदन करूंगा कि इस डिफेन्स की सडक के लिए कुछ विशेष धनराशि मेडि-कल रिलीफ मजदूरों को मिले इसके लिये रखी गई है। पर अफसोस है कि उसमें से अधि-कारियों ने कुछ भी खर्च नहीं किया। दो पर्सेन्ट यह रकम रखी है। इसके लिए हमने उनसे कई बार कहा भी, यह भी कहा कि सैंदडा के अस्पताल में जमा करा दें यह रकम। पर यह भी नहीं किया गया। तो मैं विभाग से यह जानना चाहूंगा कि उस रकम का क्या किया गया ? इससे मजदूरों को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए।

इसी प्रकार फ्लड के रिलीफ के लिये सडकों पर आपने कुछ प्रावधान रखा है। उसको मैंने देखा तो मालूम हुआ कि सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझनूं चित्तौड व उदयपुर जिलों में एक करोड पांच लाख का प्रावधान रखा हुआ है। और इसमें

(श्री शंकर लाल)

भारत सरकार से भी पचास लाख प्राप्त हुआ है। पर इस सूची में पाली जैतारण का नाम तक नहीं है जब कि वहां भयंकर बाढ़ आई इससे काफी सडकों और पुलियाओं का नुकसान हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि मन्त्री महोदय पाली जिले से और खास कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र से रुष्ट क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय छोटे छोटे गांवों में भी निरीक्षण के लिए जाते हैं इसके लिए तो धन्यवाद है उनको। पर मुझे तो शिकायत है इसलिए कि माननीय मन्त्री को कई बार मैंने निवेदन किया कि मेरे इधर के गांवों में भी आओ, पर नहीं आये। कम से कम अब सही। देर आयद दुरुस्त आयद। मेरे निवेदन को अब भी स्वीकार करके मेरे इलाके में जो टूटी-फूटी सडकें हैं उनको देखें और ठीक करावें। काफी हिल्ली एरिया है यह। रावत-मेरातों का इलाका है, गिरासिये भी बहुत हैं। उन लोगों के आवागमन के लिये कुछ सहूलियतें आप उनको भी दें। ये गांव ही तो भारत की आत्मा हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे। गृह मन्त्रीजी अपना वक्तव्य इन मांगों के पारित होने के बाद देंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमाण्ड्स पर चर्चा हो रही है उसमें अभी तक 232 कट मोशन्स आये हैं और तीस मेम्बरों के आये हैं। मैं चाहता था कि इन प्रस्तावों के के वाद-विवाद के वक्त जितने भी मुद्दे सामने लाये गये उनका एक एक का जवाब दूं इसलिये कि जिस मेहनत से नोट मैंने लिखे और जिस महनत से मेम्बरों ने तकरीरें कीं उसके लिये यह जरूरी था। लेकिन अगर मैं हर चीज का जवाब दूं तो मेरे ख्याल में दिनों लग जावेंगे जिसकी शायद मुझे अनुमति मिलेगी कि नहीं, मैं नहीं कह सकता।

इसलिये मैं सोचता हूं कि इन सारे मुद्दों का थोडे में जवाब दूं। चर्चा के जो विषय सबसे ज्यादा हैं वह नई सडकों की मांग से ताल्लुक रखते हैं। 232 प्रस्तावों में से 122 नई सडकों के बनाने के लिये हैं। इसका मतलब यह है कि सदन के माननीय सदस्य नई सडकों में काफी दिलचस्पी रखते हैं। अगर और विषयों में देखा जावे तो जो मुद्दे इसमें उठाये गये थे उनमें से आधे ऐसे हैं जिनकी चर्चा नहीं हुई। बाकी में से एक-दो बातों पर ही माननीय सदस्य बोले हैं।

लेकिन जितना जोर शोर इस समय हमारे देखने में आया है वह नयी सडकों के मुतल्लिक है जिसमें कि बहुत ज्यादा कन्डेम्नेशन है और इत्तफाक से एक आध जगह तारीफ भी है, जो कि बहुत इत्तफाकिया बात है और दो तीन तो जाती तरीके पर भी अटैक किये गये हैं जिसकी कि हमें कतई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मन्त्री का क्या ठिकाना है? मन्त्री सुबह आता है और शाम को चला जाता है। मन्त्री की किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। तो उसके लिये इस तरीके के ऊपर कोई यह कहना कि इस काबिल है या नहीं है, इसने किया या नहीं किया। मेरे ख्याल से यह मुनासिब बात नहीं थी। खास तौर से यह कहना कि फलां मिनिस्टर ने अपने क्षेत्र में यह काम किया, मैं समझता हूं कि बडे भोलेपन की बात है और यह जिम्मेदारी के साथ कहा जाना चाहिए। जितने हम सदन के अन्दर बैठे हैं हम किस लिए वोट लेकर आये है? हम इसलिये वोट लेकर आय

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

हैं कि हमारा वोटर जानता है कि हमारे जरिये से वह कुछ हासिल कर सके। अगर उसको हमारे जरिये से कुछ हासिल नहीं होता तो वह कैसे उम्मीद कर सकता है कि जिसको हमने वोट देकर भेजा है वह हमारे लिये कुछ कर सकता है। इसलिये हर शख्स यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम उसके क्षेत्र में हो। कौन नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में काम नहीं हो। इसलिये यह कहना कि एक मन्त्री सिफ अपने ही क्षेत्र की तरफ तवज्जह देता है मेरे ख्याल में बडी गैर-इन्साफी है। और खास तौर से जब कि अपने क्षेत्र से उसके क्षेत्र का मुकाबिला नहीं किया। जो जो हमारे सदन में मौअज्जिज भाई हैं उनको मैं जरुर निमंत्रण दूंगा और बताऊंगा कि उनके क्षेत्र की और मेरे क्षेत्र की क्या हालत है? चुनाव होकर वहां से आने के माने ये तो नहीं है कि अपने क्षेत्र को खतम कर दे और कुर्बानी दे दे दूसरों के लिये।

अब जब कि हम नयी सडकों की तरफ तवज्जह दें तो यह देखना होगा कि हमारी नयी सडकों की क्या हालत है। जब से हमारी योजनायें शुरू हुई, पहली पंचवर्षीय योजना में 5 करोड रुपये मिले, दूसरी योजना शुरू हुई उसमें 10 करोड रुपये मिले जब कि हमारी मांग 35 करोड की थी, तीसरी योजना शुरू हुई उसमें हमको 9 करोड रुपये मिले जब कि हमारी मांग 45 करोड रुपये की थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजनायें खतम होकर सालाना योजना के अन्दर आगये। पहले साल में 2 करोड दूसरे साल में 1 करोड 25 लाख और तीसरे साल में 1 करोड रुपया मिला। 69-70 में 1 करोड मिला था। लेकिन मैं अपने एक साथी का जो कि इस काम को कर रहे थ मेरे कुलीग मन्त्री जी उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे बजाय मेहनत करके 50 लाख रुपये और मन्जूर करा लिये। तो यह $1\frac{1}{2}$ करोड रुपया हो गया। लेकिन सवाल यह है कि $1\frac{1}{2}$ करोड रुपये की तकसीम कैसे हो? जितनी मांग आयी है अगर उसका हिसाब लगाया जाये तो सारे काम 25-30 करोड रुपये के आस-पास बैठेंगे जब कि पिछले 20 सालों में भी इतनी रकम खर्च नहीं हुई। इन सब मांगों को मान लिया जाये तो मेरे ख्याल में इसके लिए अलादीन का चिराग चाहिए। अब हम $1\frac{1}{2}$ करोड रुपये में क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत से हमने पिछले काम हाथ में ले रखे हैं उन्हीं के लिए 1 करोड 5 लाख रुपये होंगे और अब करीब 50 लाख के रकम बची जिसको तकसीम करना है। मैं इस चीज को मानता हूं और वाकई हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हमारे एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर्स और 4 तहसील हैडक्वार्टर्स को सडक से हम अभी तक नहीं मिला सके हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा, हमने सबसे पहले प्रायोरिटी इसी चीज को दी है कि हम इस साल दो एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर्स को और 2 तहसील हैडक्वार्टर्स को सडकों से मिला देंगे और उनके लिए हमने प्रावधान रखा है.....

श्री **मोहनलाल मोदी**: यह प्रायोरिटी क्या होती है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो सडकें वहां (एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर्स आदि में) पहुंच जायेंगी और जो खर्चा होगा वही फर्स्ट प्रायोरिटी में आयेगा। दूसरी प्रायोरिटी जो हमने बना रखी है उसमें 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा है उन कामों के लिए जो कि पहली और दूसरी योजनाओं में थे और तीसरी प्रायोरिटी में हमने 15 लाख रुपये रखे हैं वह पुलों के लिये हैं। चौथी प्रायोरिटी यह

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

रखी है कि 5 लाख रुपया हम मैचिंग ग्रान्ट पर खर्च करेंगे कि जो हमारे कामों के अन्दर सहयोग देंगे और 33 पर्सेन्ट चन्दे के तरीके पर किसी काम के लिये दे सकेंगे, उनको मैचिंग ग्रान्ट 67 पर्सेन्ट की दी जायेगी। इसके बाद हमारे पास 20-25 लाख रुपये बचते हैं इसके लिये मैं समझता हूं कि हमें फैसला करना होगा कि किस तरह से खर्च किये जायेंगे। अगर हम अपने जिलों में हिसाब लगायें कि 25 लाख रुपया किस तरह से नये कामों में सर्फ हो सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हर एक समझेगा कि उसके हिस्से में कितना आता है और एक चार्ट बनाया जायगा जिससे मालूम हो जायेगा कि किस-किस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। यह शकल थी जो कि हमारी नई सडकों के बाबत है। सडकें तो उसी तरीके पर बनती हैं जितना कि रुपया होगा, उसके अलावा नहीं। इसलिये जिन्होंने तारीफ की उनको शुक्रिया और जिन्होंने इन मुद्दों को इसके अन्दर रखा है मैं मानता हूं कि बहुत से सही हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा नोटिंग किया है जो कि पूरे तरीके पर हमें ध्यान में रहेगा। मैं समझता हूं कि मैं इस तरफ भी देखूंगा कि कैसे मुमकिन हो कि नये कन्सट्रक्शन्स हाथ में लें और उसमें हम क्या राय दे सकें जिससे यह नहीं किया जाये कि किसी खास शख्स को खास लाभ मिल सके।

रोड्स की रिपेयर्स का सवाल आता है। इसके अन्दर भी मैं इसी तरीके का जवाब देना चाहता हूं कि 2 करोड 55 लाख रुपये में से एस्टेब्लिशमेन्ट के अन्दर 1 करोड 75 लाख रुपया देना पडता है। यह कहना आसान है कि हमारे एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा बढता चला जा रहा है। जमाना यह चाहता है कि मजदूरों का वेतन बढे। आज अगर आप मजदूरों का वेतन नहीं बढाते हैं फिर प्रदर्शन होते हैं जैसा कि आजकल आप देखते हैं। इसलिये जो वेतन है अपनी जगह पर कायम रहेगा और यह कोशिश की जायेगी कि काम बढाया जाय ताकि उससे काम पूरे होंगे। इसके अलावा हमारे रेगुलर एस्टेब्लिशमेन्ट में भी कुल कामों की कीमत के मुकाबले में जो पर्सेन्टेज है वह $8\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट आता है जो कि तमाम दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा नहीं है बल्कि एक जायज चीज है। जैसा कि मैंने आपसे कहा रिपेयर के लिये 55 लाख में से बाकी के बचे हुए रुपयों में से 20 हजार मील के नेटवर्क को कायम रखने का काम हमारे जिम्मे आता है। हम 1500 रुपया पर माइल पक्की के लिये, 1100 रुपया बी.टी. के लिए 500 रुपया ग्रेवल के लिए और 100 रुपया पर माइल हम अपनी फेयर वेदर सडकों के लिये रखते हैं। तो यह रकम इसी हिसाब से रिपेयर के लिए मिलती है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा। लेकिन हमें देखना पडेगा कि हम अपनी जगह पर सोचते हैं और यह हिसाब इतना थोडा है कि हमने वाकई तवज्जह नहीं दी तो हम अपने नेटवर्क को ज्यादा नहीं कर पायेंगे और मुझे आशा है कि ज्यों ज्यों हमारी हालत अच्छी होती जायेगी इस तरफ तवज्जह दी जायेगी कि सडकें सही हालत में रखी जायें।

बिल्डिंग्स की रिपेयर के लिये कहा गया अभी तक एस. डी. एम. हेडक्वार्टर्स की सरकारी बिल्डिंगों को अपने काबू में रखा था, लेकिन अब सब स्तर की गवर्नमेन्ट बिल्डिंग्स को ले रहे है

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

और उसके लिए प्रोवीज़न भी अलग से रखा है और यह ध्यान रखा जायगा कि सही तरीके पर यह रुपया खर्च हो और किसी गवर्नमेन्ट बिल्डिंग को हानि नहीं पहुंचे ।

बोर्डर रोड्स के मुतल्लिक मुझे यह कहने में बडी खुशी है और मेरे ख्याल में सदन को यह सुनकर खुशी होगी कि जो टॉप प्रायोरिटी के मार्ग बनाने थे वे दो वर्ष के अन्दर-अन्दर सिवाय 40-50 मील पर बी.टी. बिछाने के बाकी सब 100 पर्सेन्ट पूरी कर दिये हैं जिसके लिए हमें फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए कि जो काम हमने अपने जिम्मे लिया था वह किस तरीके से दो वर्ष के अन्दर-अन्दर पूरा कर दिया है । जिस वक्त हम काम को देखते हैं तो यह भुला देते हैं कि बाहर के देशों में मुकम्मल ऐसी हालात में किसी तरह से काम चल रहा है । उसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसी जगहें और भी देखकर आया हूं कि जिनके हालात हम जैसे थे और जहां पर हमारी जैसी सडकों की हालत थी तो जिन मुल्कों में हमारी जैसी हालत में सडकें बन रही हैं उनका मुकाबला करेंगे तो हम समझते हैं कि हम बडे खुशकिस्मत हैं कि कितने जल्दी काम अन्जाम दिया है । हम बडे खुशकिस्मत हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में हमारे बच्चे, हमारे इन्जीनियर्स और हमारे कारकून किस कदर काबिल मौजूद हैं कि वे अपने आप में पूरा काम कर सकते हैं और दूसरे गैर-मुल्कों से मदद नहीं ली जा रही है ।

अब हमारे पास जो "लो" प्रायोरिटी की सडकें थीं उन पर 60 पर्सेन्ट काम पूरा कर सके हैं इसलिये कि हम एक एजेन्सी हैं । हम यह नहीं कर सकते हैं कि हम जितना चाहें काम करें । करेन्ट इयर में हमको कुछ काम करने की इजाजत नहीं दी इसलिए बाकी काम नहीं किया जा सका । अगर यह इजाजत हमको मिल जाती तो यह काम भी पूरा हो जाता और अब जैसी कि हमें आशा है कि हमें जल्दी इजाजत वहां से मिलती है तो अपने यहां काम इस साल के अन्दर-अन्दर पूरा हो जायगा, और जो काम दो साल पहले शुरू किया था वह इस साल के आखिर तक पूरे तरीके से मुकम्मिल हो जायगा । आज हम बडे खुशकिस्मत हैं, हमारा देश खुशकिस्मत है और हमारा प्रान्त खुशकिस्मत है कि हमारे अपने कारकूनों ने, मजदूरों ने और इन्जीनियर्स ने किन हालात में किस तरीके से वहां पर काम किया है ।

करप्शन के विषय में एकाध चर्चा हुई तो करप्शन का ऐसा विषय है कि जिसके मामले में हम खुद यह चाहते हैं कि जिस जगह हमको ऐसी चर्चा मिले हम पूरी कोशिश करके उसको खत्म करने की कोशिश करें । इसलिये जितनी जगहों से इत्तिला आई है उसके लिये हमने जिस जिस दर्जे की कार्यवाही होनी चाहिए उस कार्यवाही के लिए उनको दे रखी है । दो-तीन कार्यवाहियां कलेक्टर के पास हैं, कुछ एस. डी. ओ. के पास हैं और कुछ महकमाना तरीके से अमल में लाई जा रही हैं । क्योंकि ज्यादा काम अकाल राहत के अन्दर हो रहा है जिसके अन्दर की यह चर्चा बताई जाती है तो अकाल मन्त्रीजी भी इसी तरीके से इसके पीछे लगे रहते हैं और हालत मालूम करते रहते हैं कि क्या गलत कार्यवाहियां हो रही हैं, और मेरा भी यह काम है कि ये देखूं कि ऐसी कोई शिकायत हो तो पूरा तदारुख करूं, और इसका पूरा तदारुख किया जायगा और किसी के साथ पक्षपात का ख्याल नहीं किया जायगा ।

श्री मोहनलाल मोदी: इसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: एन्क्वायरी करा सकते हैं और जो कुछ कायदे कानून के तहत हो सकता है, वह किया जायगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है।

श्री मोहनलाल मोदी: कायदे और कानून से करप्शन को बन्द करने के लिये किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं कि इस तरीके से करप्शन को बन्द किया जाय। आपके पी. डब्ल्यू. डी. में जो पर्सेन्टेज का हिसाब बना रखा है और पर्सेन्टेज जो लिया जाता है उसको बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं, और किस प्रकार से बन्द करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: माननीय उपाध्यक्ष, जो कार्यवाही बता सकते हैं वह बता दी, और उसके भीतर में जाना मेरे खयाल से बहुत मुश्किल होगा और ऐसे और भी विषय हैं जिसके मुताल्लिक कहना है।

आगे चलकर कहा गया है कि काम धीमा चल रहा है। तेज चलना मुन्तसर फण्ड्स पर होता है। फण्ड्स आ गये तो काम तेज चलने लगेगा और फण्ड्स धीमा पड गया तो काम धीमा पड गया।

श्री मोहनलाल मोदी: करप्शन बन्द करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे कि इस विभाग में जो पर्सेन्टेज लिया जाता है उस पर्सेन्टेज को रोकने के लिये इस विभाग में ये कदम उठाये जा रहे हैं। कितने पर्सेन्टेज तक आप वाजिब समझते हैं कि इतने पर्सेन्टेज तक दिया जाना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी: कितने पर्सेन्टेज तक वाजिब है वह बता दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: जो बताना था वह बता चुका हूं। माननीय सदस्य कह सकते हैं और एक-दो नाम लेकर कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल के लिये सारे सदन का वक्त लेना ठीक नहीं है।

अब हमारे कलवर्ट्स के मुताल्लिक सवाल आया है। हमारे यहां तो बाढ आई है उसमें नुकसानात जो थे वे 150 लाख के थे। तो उस 1 करोड 50 लाख के नुकसान के लिए हमें सिर्फ 50 लाख का प्रोवीजन मिला जिसमें जो कुछ काम हो सकता था, जिस-जिस तरह का काम हो सकता था किया गया, और उसके आगे जितनी मिलेगी रकम उनमें और लगा दी जायगी।

फेमिन के मुताल्लिक चर्चा हो चुकी है। हमें फख्र है कि इसमें इस तरीके से काम किया गया है। इसकी सराहना मैं अकाल राहत मन्त्रीजी की करूंगा कि जिस मेहनत से रात-दिन एक करके काम को सम्हाला है। मैं समझता हूं कि 75 पर्सेन्ट तो उन्होंने काम पी. डब्लू. डी. का अपने जिम्मे ले लिया और इसलिए यह काम पूरी कामयाबी से पूरा हो सका। लेकिन हमारा विभाग इस चीज के लिए फख्र करता है कि उसने जो काम किया और अब तक जो काम हुआ उसमें 100 मील की मेटल रोड्स मुकम्मिल हुई हैं और 1780 मील का ग्रेवल का काम मुकम्मिल हो गया है, और यह काम आगे चलता रहा दो-तीन महीने तक इस तरीके से तो इतना ही काम और हो जायगा और 400 मील तक की सडकें तैयार हो जायंगी।

Page No 116

श्री **मोहनलाल मोदी** : करप्शन के बारे में मैंने पूछा है उसका उत्तर नहीं आया है। मन्त्री महोदय क्या बताना नहीं चाहते ?

श्री **वृद्धिचन्द जैन**: मिस्ट्री है इसलिए नहीं बताना चाहते।

श्री **अमीनुद्दीन अहमद**: मुझे बहुत अफसोस है कि कई ऐसी जगह हैं जहां लैण्ड रेवेन्यू चार्ज किया जा रहा है। उसके लिए मैं इसके मुताबिक प्रयत्न करूंगा और आर्डर इश्यू करूंगा।

श्री **रामकिशोर व्यास** (राजस्व मन्त्री) आर्डर इश्यू हो चुके हैं ?

श्री **अमीनुद्दीन अहमद**: और आर्डर इश्यू हो चुके हैं कि जिस जगह पर सडक बन चुकी है वहां से उस जमीन का लैण्ड रेवेन्यू नहीं लिया जायगा, और जो केस पडे हुए हैं एवार्ड के तहत तो ज्यों ही एवार्ड आयेगा फौरन दिया जायगा। 6 एल. ए. ओ. काम कर रहे हैं। वे जोरों से काम कर रहे हैं, और लैण्ड एक्वीजीशन के एवार्ड दिये जा रहे हैं और कोई ऐसा एवार्ड नहीं है जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ हो और आयन्दा ज्यादा जोर दिया जायगा।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : पेमेन्ट बहुत बाकी है। पेमेन्ट नहीं हुआ है सडकों का।

श्री **अमीनुद्दीन अहमद** : एवार्ड हो जाता है उसके पेमेन्ट का जिक्र कर रहा हूं और यह कोशिश की जायगी कि एवार्ड जल्दी से जल्दी दिया जाय और यह भी करेंगे कि और एल. ए. ओज और स्पेशल ऑफिसर को मुकर्रर करके इस काम को करायेंगे।

अब मैंने माननीय उपाध्यक्ष, काफी विषयों के अन्दर जवाब दे दिये हैं, और मैं यह सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को कि जिस वक्त उनसे मुलाकात होगी तो तफसील से जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं उनके विषय में पूरी तरह से बता सकूंगा और समझा सकूंगा और जो उनकी राय मुनासिब होगी मैं यकीन दिलाता हूं कि उसका पूरा फायदा उठाया जायगा, लाभ उठाया जायगा और उस पर अमल किया जायगा।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न पर मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी पर कितने लाख रुपये सडकों पर लगाये गये हैं।

श्री **रोशनलाल शर्मा**: मेरा एक प्रश्न है कि फेमिन में जो सडकें बनाई जा रही हैं उनकी मरम्मत पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा नहीं कराई जाती है और न बजट के अन्दर इस बात का प्रोवीजन रखा जाता है, उसके बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं।

फेमिन के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक बार और खींचना चाहता हूं। फेमिन में सडकें बनाई जा रही हैं। जो बन गई हैं उनकी मरम्मत 5 वर्ष, 10 वर्ष से नहीं हो रही हैं। उनकी हालत खराब हो हो रही है। उनकी मरम्मत आखिर कौन विभाग करायेगा।

श्री **अमीनुद्दीन अहमद**: उपाध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत अहम और जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सडकें बन रही हैं तो रखना भी हमारा अहम सवाल है। मैं निवेदन करूंगा वित्त मन्त्री जी को। जो पैसा मिलेगा . . .

श्री रोशनलाल शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व का सवाल है। राजस्थान में करोड़ों रुपये खर्च करके सड़कें बनाई गई हैं। आज यह कहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी को ध्यान दिलाऊंगा। जब कि बजट प्रावधान रखा गया है। उन सड़कों का नाम तक नहीं है जिनकी मरम्मत करनी है। आज तक ध्यान क्यों नहीं दिलाया? आपने अब तक कितना धन मांगा है, मुख्य मन्त्रीजी, या प्लानिंग मन्त्री जी कि धन दो?

श्री बनवारी लाल: मेरे क्षेत्र की नदी पर पुल बनाने को कहा गया था? उसके लिये अब तक क्या कार्य किया गया है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: इस तरह सवालों का जवाब दिलाना चाहते हैं तो सम्वाद सा हो जाएगा। प्रोसिजर मना है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, प्लीज!

श्री रोशनलाल शर्मा: उत्तर प्राप्त हो गया। मैं निवेदन करता हूं कि करोड़ों रुपये खर्च हो गये सड़कों पर और सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। अब तक काम नहीं कर सके हैं। इस साल के बजट में प्रावधान नहीं रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री रोशनलाल शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय...

श्री ललित सिंह: एक नवाब साहब हैं तो दूसरे जागीरदार हैं।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा: यह कहने वाले कंवर साहब हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर......

श्री उपाध्यक्ष: यह कटौती प्रस्ताव दिया है?

श्री मूलचन्द डागा: मैं ने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मन्त्री महोदय के क्षेत्र में कितनी सड़कें हैं? यह कटौती प्रस्ताव में दिया है?

एक माननीय सदस्य: यह नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी: हम निकाल कर दिखायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कटौती प्रस्ताव में नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी: यह बात भी याद रहेगी।

श्री शंकर लाल: कम से कम इस बारे में निश्चित बात आ जानी चाहिए कि फेमिन में जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनको पी. डब्ल्यू. डी. चेकअप करेगी। मैंने पहले भी यह सवाल पूछा था। जवाब नहीं आ रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: लिस्ट में नहीं लिया है। अगर लेते तो फेमिन वर्क जरूर देते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): फेमिन में जो सड़कें बनी हैं, उनकी परवाह नहीं है, यह कहना गलत है। क्योंकि फेमिन में कई ऐसे काम शुरू किये जाते हैं, जिनका रिटर्न कितना होगा, एरिया कितना है, यह सब उस समय नहीं होता है। यह सारी बातें ध्यान में रखकर चलना होगा। फिर भी निर्माण मन्त्री महोदय ने इस पर काफी प्रकाश डाला है।

श्री रोशनलाल शर्मा: उत्तर से हम सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री शंकरलाल : मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है, उनका उत्तर नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक—

50-सार्वजनिक निर्माण कार्य

50-सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,11,51,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक—109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक—103—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,86,44,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक—68 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 99,13,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रदर्शनकारियों द्वारा माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमन्त्री महोदय स्टेटमेन्ट दें, उससे पहले मैं एक तथ्य सदन के सामने रखना चाहूंगा। आज सुबह विधान सभा के लिए आते समय रास्ते में माणक चौक और विधान सभा के बीच में मैं मोटर पर था तो चार जनों ने मिलकर

एक माननीय सदस्य: आवाज नहीं आ रही है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: चार जनों ने मेरे को नीचे उतारने की कोशिश की। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिये। तीन चार घूंसे भी लगा दिये। मारने वाले यह कहते जा रहे थे, "अब और लिखना" मैंने परसों बेरी आयोग के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष की ओर से धरना के सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट दिया था जो कि पत्रों में छपा था। उस समय जिसने मुझे मारा था उसने यह शब्द कहे थे कि अब और लिखना। मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे विरोधी दल के कुछ सदस्य कुछ दूर पर दिखाई दिये। मैं यह नहीं कहता कि उनका मारने में हाथ है। उसके बाद मैं घर दौड़ कर गया और कपड़े बदल कर आया। और डा. हरिप्रसाद के साथ में सदन में आया। उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं संरक्षण चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि विधान सभा तक आने और शाम को सुरक्षित घर पहुंच जाने की आप व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गृह मंत्री जी!

बेरी आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकृत करने संबंधी वक्तव्य

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि बेरी आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति के प्रश्न को लेकर विरोधी दलों ने तारीख 21-3-69 से विधान सभा पर धरना दे रखा था। तारीख 22-3-69 को विरोधी दलों की ओर से यह मुश्तहरी की गई कि तारीख 24- 69 को एक विशाल जुलूस विधान सभा पर ले जाकर प्रदर्शन किया जायगा। तारीख 23-3-69 को माणक चौक चोपड़ पर विरोधी दलों ने एक मीटिंग की जिसमें आन्दोलन के लिये जनता का आव्हान किया गया। विरोधी दलों के निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जुलूस की तारीख 24-3-69 को करीब 8.30 बजे सुबह रामलीला मैदान में एकत्रित होना था। यह जुलूस जिस समय उक्त मैदान से रवाना हुआ उस समय उसमें 200-300 आदमी थे। इसके बाद इस बात की कोशिश की गई कि और अधिक आदमी बाजारों से इकट्ठा किये जायें। अन्तत: जिस समय जुलूस माणक चौक पर आया उस समय उसमें 500-700 व्यक्ति थे। इस जुलूस ने विधान सभा के पूर्वी द्वार पर आकर विधान सभा में अवैध रूप से जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की। पुलिस ने इस भीड़ को अन्दर घुसने से रोका। इस पर भीड़ ने उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए करीब पोन घण्टे तक पुलिस से भारी जद्दोजहद की और कार्डन तोड़ कर अन्दर घुसने की कोशिश की। भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात एक कान्सटेबल को पकड़ लिया और उसको घेर कर उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा तीन-चार और पुलिस वालों के साथ जबरदस्ती व मारपीट की गई। पुलिस व मजिस्ट्रेटों पर पत्थर भी फेंके गये। इस खींचतान के दौरान पूरे समय पुलिस ने अत्यन्त धैर्य से काम लिया और इस बात की पूरी एहतियात रखी कि जहां तक हो सके बल प्रयोग का अवसर न आये। पुलिस के साथ खींचतान करने के बाद भीड़ ने विधान सभा के कुछ माननीय सदस्यों के साथ भी बल प्रयोग किया। माननीय श्री पी. के. चौधरी, माननीय श्री यशवन्तसिंह नाहर, माननीय श्री जय नारायण व माननीय श्री महेन्द्र कुमार

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को अन्दर आने से रोका गया, उनकी सवारियों पर आक्रमण किया गया, उनके कपडे फाड़े गये और उनके साथ थप्पड-घूंसों का प्रयोग किया गया। एक सज्जन जिनका विधान सभा से कोई सम्बन्ध नहीं था, सफेद टोपी पहने हुए सडक पर होकर निकले। उनकी टोपी छीन ली गई और उसको एक बांस पर लटका कर सार्वजनिक रूप से जलाया गया। यद्यपि विरोधी दलों की ओर से यह कहा गया था कि यह शांत प्रदर्शन होगा किन्तु प्रदर्शन को शांत रखने के लिये कोई एहतियात नहीं की गई जिसका नतीजा यह हुआ कि विधान सभा की कार्यवाही में तो भारी विघ्न हुआ ही माननीय सदस्यों को परेशान होना पडा और शारीरिक तथा आर्थिक हानी उठानी पडी। इसका सरकार को खेद है।

सरकार को यह सन्तोष है कि ड्यूटी पर लगी हुई पुलिस ने भीड द्वारा बल प्रयोग अनौचित्य और उत्तेजनात्मक कार्यवाही के बावजूद धैर्य रखा और यद्यपि उन्होंने भीड के विधान सभा में अनधिकृत प्रवेश को सफलता के साथ रोका फिर भी सौभाग्य से बल प्रयोग का अवसर नहीं आया।

यह भी संतोष की बात है कि जनता ने इस उत्तेजनात्मक कार्यवाही का साथ नहीं दिया और उन्होंने मुख्य मन्त्री महोदय की इस अपील पर ध्यान दिया कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता और कि ज्यों ही रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया जायगा और कार्यवाही करने के लिये आवश्यक कानूनी प्रावधान का पालन कर लिया जायगा, त्योंही इस पर समुचित और आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

सरकार सदन में और सदन के बाहर बार बार कह चुकी है कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्यवाही न करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन कार्यवाही करके निर्णय लेने का स्टेज तब आता है जब कि रिपोर्ट का पूरा अध्ययन हो जाय। चूंकि उत्तर प्रदेश के दस्ते इसमें शामिल थे अतः उत्तर प्रदेश की सरकार का अभिमत प्राप्त हो जाय और निश्चय के लिये आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाय। सरकार को जो बार बार खूनी और हत्यारी कह कर सम्बोधित किया जाता है उसका भी कोई कारण नहीं है। स्वयं बेरी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकरण में सरकार की किसी प्रकार की साजिश नहीं थी।

माननीय सदस्य इस बात से वाकिफ है कि माननीय श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने तारीख 21-3-69 को विधान सभा में यह कहा था कि दफा 32...

श्री मथुरा दास माथुर : 22।

श्री दामोदर लाल व्यास : 22 कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट के तहत यदि सरकार किसी आयोग की सिफारिश से सहमत नहीं हो तो जो सुपीरियर आथोरिटी है उसको रेफर कर सकती है। मैंने इस दफा 22 या रूल 22 दोनों को पहले जानने की पूरी कोशिश की। मगर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ निवेदन करना पडता है कि दफा 22 या रूल 22, जो माननीय सतीशचन्द्र जी ने बताया, वह कतई गलत था और उसका कहीं वजूद नहीं था। कमीशन

(श्री दामोदर लाल व्यास)

आफ़ इन्क्वायरी एक्ट में कुल 12 सेक्शन हैं और रूल्स जो उसके तहत बने हैं वो कुल 6 हैं इसलिये दफा 22 या रूल 22 का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इस दफा 22 या रूल 22 की तलाश मैंने राजस्थान में ही नहीं की, बल्कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री और ला मिनिस्ट्री से भी मैंने जानने की कोशिश की। चूंकि यह प्रश्न एक माननीय सदस्य ने उठाया था इसलिये मेरे पास कोई वजह मॉकूल नहीं थी कि मैं विश्वास नहीं करूं। मैंने स्वयं पत्र लिख कर माननीय सदस्य को भेजा कि दफा 22 या रूल 22 कौनसा है जिसको सदन में रेफर किया है, इसकी जानकारी दें। लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां तक इस रूल 22 या दफा 22 का प्रश्न है, न रूल 22 है, न दफा 22 है। वह उन्होंने कैसे कहा, क्यों कहा- इसका वह अपने आप जवाब देते रहेंगे।

अलबत्ता सरकार यह बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहती है कि आन्दोलन की भाषा से किसी का हित नहीं होता बल्कि इससे जन जीवन क्षुब्ध होता है और व्यवस्था बिगडती है। कोई भी सरकार जोर जबरदस्ती, हिंसा आदि की कार्यवाही को बरदाश्त नहीं कर सकती और इस प्रकार की कार्यवाही का मुकाबला करना हर सरकार के लिये जन हित में आवश्यक है। आन्दोलन के रवैये द्वारा जनता को उत्तेजित करना और भड़काना निश्चयपूर्वक एक असामाजिक कार्य है और इसके फलस्वरूप जो अव्यवस्था पैदा होती है उसको सरकार अपनी ओर से पूरी कानूनी शक्ति से रोक करेगी।

मैं अत्यन्त नम्रता के साथ फिर अपील करना चाहता हूं कि आन्दोलन का यह रवैया छोड कर विरोधी दल कृपया कानून और व्यवस्था को कायम रखने में सहयोग करें। सरकार की ओर से मैं फिर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आयोग के प्रतिवेदन पर पूरी निष्पक्षता, आवश्यक शीघ्रता और सच्चाई के साथ विचार किया जायगा। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था के विरुद्ध जो लोग अपराध करेंगे उनके साथ सख्त कानूनी कार्यवाही करने में किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 4 बज कर 15 मिनिट पर मंगलवार दिनांक 25-3-69 के प्रात 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 505 की सूची)

Name of Localities Electrified in Shri Ganganagar District up to 31-3-68

S.No.	Code No.	Name of locality	Tehsil	Population as per 1961 Census Report.
1	2	3	4	5
1.	1/1/14/B	Sriganganagar	Ganganagar	63854
2.	1/2/37/17	Hanumangarh	Hanumangarh	17909
3.	1/2/4/3	Sadulshahar	-do-	3656
4.	1/4/43/II	Karanpur	Karanpur	11551
5.	1/9/22/V	Raisinghnagar	Raisinghnagar	9493
6.	1/4/19/65	Kesrisinghpura	Karanpur	4670
7.		Chautala Road	..	..
8.	1/5/7/IV	Gajsinghpura	Padampur	4861
9.	1/7/1/IX	Nohar	Nohar	13722
10.	1/8/3/120	Jaitsar	Anupgarh	2147
11.		Sarupsar	..	..
12.	1/8/8/96	Bijainagar	Anupgarh	3668
13.	1/3/12/59	Pili Banga	Suratgarh	1420
14.	1/3/1/VII	Suratgarh	-do-	8330
15.	1/6/1/2/X	Bhadra	Bhadra	10000
16.	1/2/30/22	Dholipal	Hanumangarh	3608
17.	1/2/36/113	Makkasar	-do-	942
18.		Mohanpura	Ganganagar	..
19.	1/2/73/157	Talwara Jheel	Hanumangarh	3888
20.	1/2	Dabli	-do-	..
21.	1/2/47/III	Sangaria Town	-do-	8112
22.	1/1/15/174	Chuck No. 6E	Ganganagar	430
23.		Chuck No. 5 & 7	..	..
24.	1/2/54/4	Chuck Nathuwala	Hanumangarh	1390
25.	1/2/6/21	Chuck Kharawala	-do-	743
26.	1/4/15/11	Chuck No. 10 Karanpur	Karanpur	620
27.		Prithvirajpura		
28.	1/4/21/52	Chuck No. 18 H Karanpur	Karanpur	261
29.	1/4/16/53	Chuck 16H	Karanpur	832
30.	1/4/9/20	Chuck Gurusar	Karanpur	1116
31.	1/7/41/4	Rawatsar	Nohar	6409
32.		Chuck No. 1(V)	..	..
33.	1/9/3/119	Chuck No. 22 PS	Raisinghnagar	583
34.		Chuck No. 26 PS		
35.		Chuck No. 7E		
36.	1/1/63/47	-do- No. 4E	Ganganagar	24
37.	1/8/4/111	-do- 7GB	Anupnagar	592
38.	1/8/7/130	-do- No. 21 GB	-do-	297
39.	1/1/19/178	-do- 8Z	Ganganagar	119
40.	1/1/57/17	-do- No. 1 A	-do-	287

Page No 123

1	2	3	4	5
41.	1/1/19/148	Chuck No.6Z	Ganganagar	147
42.	1/2/96/180	Lakuwali	Hanumangarh	1323
43.	1/9/18	Lalgarh	Raisinghnagar	..
44.	1/2/67/86	Peer-ka-Mandi	Hanumangarh	1796
45.	1/2/31/67	Roranwali	-do-	2310
46.		Tilania	..	..
47.		Chuck No. 3 M	..	..
48.	1/2/35/104	Jawalsinghwala	Hanumangarh	815
49.	1/2/69/146	Ram Rani	-do-	669
50.	1/2/70/149	Salamgarh	do	535
51.	1/2/69/148	Masani	do	1117
52.	1/2/34/148	Satipura	do	966
53.	1/8/6/134	Chuck No.24 GB	Anupgarh	220
54.	1/1/25/188	Chuck No. K4LNP	Ganganagar	82
55.	1/1/63/49	Chuck No. 2E	do-	16
56.	1/1/17/202	Chuck No. 2 ML	-do-	653
57.	1/1/19/179	Chuck No. 10Z	-do-	159
58.	1/1/17/208	Chuck No. 3 ML	-do-	459
59.	1/4/16/583	Chuck No. 17H	Karanpur	832
60.	1/1/163/40	Chuck No. 3 E	Ganganagar	Unpopulated
61.	1/4/47/118	Chuck Nol 6(o)	Karanpur	220
62.	1/6/4/24	Nangal	Bhadra	207
63.	14/19/65	Chuck No. 1(a)	Karanpur	4670
64.		Chuck No. 5(θ)		
65.	1/1/54/181	Chuck No.13Z	Ganganagar	337
66.	1/5/8/88	Padampur	Padampur	4979
67.	1/2/68/82	Surewala	Hanumangarh	5560
68.	1/2/81/189	Rampur	-do-	1121
69.	1/2/69/147	Sherkhan	-do-	1338
70.	1/2/71/152	TIBI	-do-	2358
71.	1/9/23	Chuck 2V (A)	Raisinghnagar	Unpopulated
72.	1/6/8/21	Ninan	Bhadra	1965
73.	1/6/11/13	Chhani badi	-do-	3268
74.	1/3/21/	Chuck 34 STG	Suratgarh	..
75.	1/9/3/122	Chuck 19PS	Raisinghnagar	432
76.	1/9/23/79	Chuck 14 ML	-do-	368
77.	1/9/27/92	Chuck 15 PS	-do-	412
78.	1/2/55/70	Lilawali	Hanumangarh	961
79.	1/6/12/16	Jhansal	Bhadra	1966
80.	1/3/21/50	Amarpura Rathan	Suratgarh	1216
81.	1/2/93/182	Narangdesar	Hanumangarh	1057
82.	1/3/40/88	DulWani	Suratgarh	2425
83.	1/2/67/77	Panniwali	Hanumangarh	925
84.	1/3/3/70	Manaksar	Suratgarh	241
85.	1/4/22/97	Chak 20F	Karanpur	403
86.	1/6/34/17/37	Ber/Jhansal	Bhadra	591
87.	1/3/55/26	Rililsar		
38.	1/1/21/146	Chuck 7Z	Sriganganagar	167
89.	1/1/19/178	Chuck 8Z	-do-	119
90.	1/1/15[illegible]209	Chuck No. 4 MZ	-do-	615

Page No 124

1	2	3	4	5
91.	1/6/14/75	Kalem	Bhadra	2920
92.	1/3/55/26	Lakhmisar	Suratgarh	1547
93.		Bara Kirada	Bhadra	
94.		Chota Kirada	-do-	
95.	Sardarshahar			

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 521 की सूची)

Name of Localities Electrified in Barmer District up to 31-3-1968.

S. No.	Name of locality.	Tehsil	Date of electrification	Programme in which included.
1	2	3	4	5
1.	Mokalsar	Siwana	30-3-64	P.D. Programme 1962-63.
2.	Siwana	-do-	-do-	-do-
3.	Balotra	Pachpadra	6/7-5-64	-do-
4.	Botiya Jogirda Ran	Barmer	13-5-64	-do-
5.	Maigha was	Pachapadra	15-2-65	-do-
6.	Mawadia (Mawri)	Siwana	20-2-65	-do-
7.	Devandi	-do-	15-2-65	-do-
8.	Barmer	Barmer	May, 1965	Taken over.
9.	Nimbla	Sheo	20-6-65	R. E. 64-65
10.	Jasol	Pachpadra	2-11-66	Crash 65-66
11.	Janiyana	-do-	8-11-66	-do-
12.	Parlu	-do-	-do-	-do-
13.	Silor	Siwana	-do-	-do-
14.	Asotra	Pachpadra	17-12-66	-do-
15.	Bithuja	-do-	-do-	-do-
16.	Sarana	-do-	20-12-66	R. E. 66-67
17.	Kanana	-do-	-do-	-do-
18.	Jethantri	Siwana	-do-	-do-
19.	Samdari	Siwana	3-1-67	Crash 65-66
20.	Kitned	Pachapadra	17-1-57	R. E. 66-67
21.	Bamsin	Siwana	27-2-67	-do-
22.	Karamwas	-do-	24-2-67	-do-
23.	Mangla	-do-	27-3-67	-fo-
24.	Ludrama	-do-	15-3-67	-do-
25.	Ramaniya	-do-	30-3-67	-do-
26.	Bhadkha	Barmer	15-4-67	Famine Relief Works.
27.	Mahabar	-do-	6-1-68	1967-68

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सख्या 496 की सूची)

दिनांक 31-12-68 तक भूमिहीन कृषकों के प्राथना पत्रों की प्राप्ति एवम् आवंटन की तहसीलवार सूची ।

नं॰ शु.	नाम उपनिवेशन तहसील	प्रार्थना पत्रों को सख्या	भूमिहीनों की सख्या जिन्हें भूमि आवटन की गई ।
1	2	3	4
1.	हनुमानगढ	6502	36
2.	रावतसर	7772	14
3.	नौरगदेसर	18400	13
4.	सूरतगढ नं. 1	6600	—
5.	सूरतगढ न.2	4062	—
6.	सूरतगढ नं. 3	11585	3
7.	रायसिंगनगर मु. सूरतगढ	12535	—
8.	विजयनगर	5491	4
9.	अनूपगढ	12707	—
10.	छत्रगढ नं. 1	1649	—
11.	छत्रगढ नं. 2	3176	—
12.	घडसाना	5010	—
		95429	70

अनूपगढ शाखा

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में आवंटन हेतु उपलब्ध काबिल काश्त भूमि कमांड अनकमांड की तहसीलवार सूची

न. शु.	नाम तहसील	क्षेत्रफल कमांड	क्षेत्रफल अनकमांड	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	हनुमानगढ	3364	3365	6729	
2.	नोरंगदेसर	17350	17977	35327	
3.	रावतसर	7758	17701	25459	
4.	सूरतगढ नं. 1	12591	10782	23373	
5.	सूरतगढ नं. 2	2855	12202	15157	
6.	सूरतगढ नं. 3	3652	10338	13990	
7.	विजयनगर	19863	8929	28792	
8.	अनूपगढ	15883	2847	18730	
9.	रायसिंहनगर	41922	10337	52259	
10.	छत्रगढ न. 1	—	4600	4600	
11.	घडसाना	—	5500	5500	
	कुल योग:—	125338	114744	240082	बीघा
		78336	71715	150051	एकड

परिशिष्ट 3

का. प्र. सं. 579 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	1967-68 में जो राशि जमा हुई रुपये पैसे	1968-69 में जो राशि जमा हुई रुपये पैसे
1.	अजमेर	158210.12	19967.04
2.	अलवर	17736.05	10931.34
3.	बांसवाडा	7238.70	4900.99
4.	बाडमेर	2957.24	70767.57
5.	बून्दी	5056.68	— —
6.	भरतपुर	24287.95	9046.80
7.	भीलवाडा	14198.34	6540.97
8.	बीकानेर	89187.84	17163.22
9.	चूरू	72534.23	15537.76
10.	चित्तौडगढ	37328.49	11608.95
11.	डूंगरपुर	11658.23	8665.59
12.	गगानगर	82564.19	39900.20
13.	जयपुर	27571.86	226223.55
14.	जोधपुर	23349.593	13047.35
15.	जैसलमेर	3783.00	1557.00
16.	जालोर	5119.96	14445.51
17.	झालावाड	9265.95	9986.14
18.	झुन्झुनू	8965.00	8297.81
19.	कोटा	57747.87	15716.53
20.	नागौर	15814.94	13161.44
21.	पाली	12269.98	4297.64
22.	सीकर	11331.17	10756.04
23.	सवाई माधोपुर	44901.12	25152.73
24.	सिरोही	16450.00	15851.00
25.	टोंक	10599.99	6950.77
26.	उदयपुर	122940.68	74586.27

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 316 की सूची)

District Bhilwara.

RURAL ELECTRIFICATION SCHEME OF VILLAGE "ITUNDA"

S. No.	Code No. as per 1961 Census Report.	Name of the village.	Population.	Tehsil.	Source of Supply.	Proposed Length of line in K. M.			No. of working wells.	Proposed No. of Service Connections.				Proposed Trans. Capacity in kVA.	Total cost in lacs	Total Revenue.	Productivity %
						11 kV	L. T. 3-Ph. 4-Wire.	L.T. Single Ph.		Agr.	Ind.	Dom.	St. light.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	19/8/17/34.	Itunda	1393	Jahajpur	11kV S/S at Tonkara.	3.2	3.5	0.5	80	20	3	60	20	100	0.8505	0.1339	15.7
Total:—1 Locality						3.2	3.5	0.5	..	20	3	60	20	1x100	0.8505		

NOTE:—One agriculture connection has been assumed to be of 5 H P. rating and revenue @ Rs. 50/H.P./Year.

परिशिष्ट 5

(अ.ता.प्र.सं. 360 की सूची)

Statement of Installed Derated and Firm Power of Power Houses owned by R. S. E. B. in Each District.

Name of the District. 1	Name of the Power House 2	Installed Cap. (KW) 3	Derated Cap. (KW) 4	Firm Capacity (KW) 5
1. Alwar	1. Alwar	3830	2960	1960
	2. Rajgarh	300	120	40
2. Ajmer	3. Kekri	100	..	..
3. Banswara	4. Banswara	1460	90	40
	5. Kushalgarh	157	110	35
4. Barmer	6. Barmer	690	340	290
	7. Balotra	164	40	25
	8. Mokalsar	364	65	30
5. Bhilwara	9. Bhilwara	3040	2100	1450
	10. Shahpura	100	30	..
6. Bharatpur	11. Bharatpur	4156	4156	3156
	12. Dholpur	835	250	120
7. Bikaner	13. Bikaner	9608	3290	1290
8. Bundi	14. Bundi	252	50	..
9. Chittorgarh	15. Pratapgarh	72	..	..
10. Churu	..	..	..	..
11. Dungarpur	16. Dungarpur	484	380	200
	17. Sagwara	788	680	430
12. Ganganagar	..	..	..	..
13. Jaipur	18. Jaipur	18000	15750	10950
14. Jaisalmer	19. Jaisalmer	707	545	345
	20. Pokran	50	35	..
15. Jalore	21. Jalore	450	190	70
	22. Sanchore	100	60	..
	23. Bhinmal	300	140	70
16. Jhalawar	24. Jhalawar	100	..	..
17. Jhunjhunun	..	..	..	..

Page No 131

1	2	3	4	5	6
18.	Jodhpur	26. Phalodi	358	310	220
19.	Kota	27. Kota	12754	10080	2080
		28. Baran	25	..	..
		29. Chhabra	200	150	100
20.	Nagaur	30. Nagaur	614	330	150
		31. Ladnun	45	45	..
		32. Deedwana	..	..	..
21.	Pali	33. Pali	560	280	140
		34. Falna	3184	2090	1590
		35. Sumerpur	304	60	..
22.	S. Madhopur	36. Karauli	416	75	..
		37. Todabhim	150	150	75
23.	Sikar	38. Sikar	288	110	40
24.	Sirohi	39. Sirohi	618	350	200
		40. Reodar	75	25	..
25.	Tonk	41. Tonk	130	40	..
		42. Malpura	375	230	150
		43. Newai	80	..	..
		44. Deoli	100	35	..
26.	Udaipur	45. Deogarh	455.5	378	128
		46. Nathdwara	175	60	..
		47. Kankroli	200	120	..
		48. Maharana Bhupal Elec. Co.	2320	1950	1100
			84783.5	60249	35474

परिशिष्ट 6

(अ. तां. प्र. सं. 365 की सूची)

राहत कार्यों पर लगे हुए श्रमिकों की जिलेवार सूची

1.	अजमेर	..	32632
2.	अलवर	..	शून्य
3.	बांसवाडा	..	29659
4.	बाडमेर	..	121162
5.	भरतपुर	..	शून्य
6.	भीलवाडा	..	34877
7.	बीकानेर	..	110470
8.	बूंदी	..	48 42
9.	चित्तोडगढ	..	12529
10.	चूरू	..	57776
11.	डूंगरपुर	..	25000
12.	गगानगर	..	13050
13.	जयपुर	..	उपलब्ध नहीं
14.	जैसलमेर	..	71145
15.	जालौर	..	40000
16.	झालावाड	..	2059
17.	झुंझुनूं	..	9477
18.	जोधपुर	..	110656
19.	कोटा	..	600
20.	नागौर	..	330392
21.	पाली	..	24135
22.	सवाई माधोपुर	..	..
23.	सीकर	..	7709
24.	सिरोही	..	3782
25.	टोंक	..	12714
26.	उदयपुर	..	34198
			780167

परिशिष्ट 7

(अं.ता. प्र. सं. 366 की सूची)

दुर्भिक्ष सहायता एवं बाढ सहायता हेतु स्वीकृत मद वार आवण्टन की राशि की सूची

बाढ सहायता

1.	सहायता कार्य	1,38,50,000)
2.	नि:शुल्क सहायता	5,75,000)
3.	पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था	1,00,000)
4.	बाढ, अग्नि आदि से पीडित लोगों को क्षतिपूर्ति	51,00,000)
5.	पेय जल प्रबन्ध	5,00,000)
6.	ऐच्छिक अनुदान	3,75,000)

ऋण तथा अग्रिम

1.	तकावी बाढ	5,73,000)
2.	कृषि औजार खरीदने हेतु ऋण	51,000)
3.	निजी कुओं के जावों की मरम्मत हेतु ऋण	4,86,500)
4.	भवन निर्माण हेतु ऋण	6,93,000)
5.	खानों की सहायतार्थ	1,00,000)
6.	लघु उद्योग ऋण	1,00,000)
	योग	2,25,05,000)

दुर्भिक्ष सहायता

1.	सहायता कार्य	13,20,45,000)
2.	नि:शुल्क सहायता	24,44,400)
3.	पेय जल व्यवस्था	1,54,69,000)
4.	पशु संरक्षण एवं चारा प्रबन्ध	1,60,46,000)
5.	परिवहन व्यय	1,76,000)
6.	तकावी	1,27,00,000)
	योग	17,88,80,400)

बाढ सहायतार्थ जिला सवाई माधोपुर को आवंटित राशि की सूची

नाम मद		राशि आवण्टित
1.	सहायता कार्य	2,49,000)
2.	निःशुल्क सहायता	78,000)
3.	बाढ, अग्नि आदि से पीडित लोगों को क्षतिपूर्ति	2,25,000)
4.	पेय जल प्रवन्ध	15,000)
5.	ऐच्छिक अनुदान	25,000)
6.	तकावी अग्रिम	1,00, 000)
7.	कृषि औजार खरीदने हेतु ऋण	5,000)
8.	निजी कुओं के जावों की मरम्मत हेतु	50,000)
9.	भवनों के पुनः निर्माण हेतु	1,00,000)
	योग..	8,47,000)

परिशिष्ट 8

(अ. ता. प्र. सं. 367 की सूची)

पंचायत समिति, छीपाबडोद के ट्रैक्टर से आय 3083) रु. व 2190) रु. हुई है।

पंचायत समिति छबडा के ट्रेक्टर से 15217 रु. 60 पैसे की हानि हुई है।

परिशिष्ट 9

(अ.ता.प्र.सं. 372 की सूची)

पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर में निम्न कर्मचारी उनके समक्ष लिखित तारीखों से पंचायत जिला परिषद् सिलेक्शन कमीशन द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों के अलावा अस्थाई नियुक्त हैं:—

(1)	श्री रामनिवास, कनिष्ठ लिपिक	13-1-69
(2)	श्री सुखदेव, कनिष्ठ लिपिक	20-2-69
(3)	श्री इन्दरसिंह	20-9-68
(4)	श्री हरद्दीना राम	17-9-68
(5)	श्री आईदाना राम	16-9-68
(6)	श्री राम धनाराम	16-9-68
(7)	श्री अमरचन्द	16-9-68
(8)	श्री महादेव प्रसाद	20-9-68
(9)	श्री मोहन राम	14-9-68
(10)	श्री भेराराम	14-9-68
(11)	श्री परबतसिंह	14-9-68
(12)	श्री पेमाराम	16-9-68
(13)	श्री पूर्णाराम	14-9-68
(14)	श्री गुलाम हुसैन	16-9-68
(15)	श्री रामसिंह	16-9-68
(16)	श्रीमती चन्द्रकान्ता	14-9-68
(17)	श्री हरदीना राम	18-9-68
(18)	श्री ओम राम	14-9-68
(19)	श्री भवरी देवी	17-7-68
(20)	श्री परस राम	19-11-68
(21)	श्री प्रताप सिंह	5-12-68
(22)	श्री सुखा राम	22-1-69

परिशिष्ट 10

(अ.ता.प्र.सं. 374 की सूची)

बांध गुढा की नहरों पर सफाई करने वाले बेलदारों की सूची

सन्	मुस्तकिल बेलदार जिन्होंने लगातार साल भर काम किया	वर्ष के कुल गैर मुस्तकिल बेलदार	योग
1966	19	798	817
1967	20	887	907
1968	20	1034	1054

परिशिष्ट 11

(अ.ता.प्र.सं. 382 की सूची)

पंचायतों में आने वाले ग्रामों की सूची जिनमें कि फलों द्वारा सिंचाई होती है

(सूची-अ)

तहसील का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम
मांगरोल	उदपुरा	उदपुरा, पापडली, सोनवा, गोदावरी, छतरपुरा
	मउ	मउ, कराडिया, खानपुरा, रेनगढ
	सीसवाली	सीसवाली
	बमोरीकलां	बमोरी कला, पाली
	किशनपुरा	इन्द्र, हेडी, किशनपुरा, बोरदा, मोज्या खेडी
	मांगरोल	मांगरोल
	पलायथा	पलायथा
	टीकरया	गोपालपुरा, गुलाबपुरा, अमलसरा, टिकरिया, नागदा दुगरी, बमोरी, मोलकी, आभाकी, झोपडी
	जारेला	चक बूढडिया, काशीपुरा, भावगढ, रीछां, जारेला, बालून्दा
	ईशरपुरा	गुरावदिया, भोरडी, महलपुरा, जडावदिया, मुंडिया
	भोज्याखेडी	बिशनखडी, भोज्याखेडी, लदवाडा, रातडिया,
	बालदडा	अलीपुरा, बालदडा, रूपपुरा, गणशपुरा, धतुरिया, किशनपुरा ।
	पाटनदा	तीखोद, पाटुन्दा, पीपलदा, रावतान, मांडपुर घोडीगांव
	खजूरवा	घकडखेडी, बमुलिया, माताजी, लिखाडी, आंकेडी
	काचरी	बालाखेडी, बमूलिया, जोगियान ।
	पाडलिया	पाडलिया
	अन्ता	अन्ता
	पचल कलां	पचल खुर्द, पचेलकलां, सरकन्या, मान्डला,
	बडगांव	बडगांव
	रायथल	मूंडली, रायथल, नवलपुरा ।
	भटवाडा	महुवा, भटवाडा ।
	तसाया	तसाया, शाहपुरा, कुश्या, कुन्डला, पाकलखेडा, घूमरखेडी, श्रीनाल, पटपेडा, कनाडा ।

Page No 139

1	2	3
मांगरोल	मालबमोरी	बालबमोरी, रायपुरा, मुगतान, रायपुरा का बाल्पुरा, रावल, झावल, चकरावल, झकावल ।
	अलोदा तेजाजी	चैनपुरा, चन्द्राहेडी, जलोदा, तेजाजी, रायपुरा. बडोद, जेथ लहेडी सीन्पना, सीमलीया, बलवनखडी, केकाखेडी ।

पंचायतों में आने वाले नामों की सूची जिनमें कि लिफ्ट द्वारा सिंचाई का प्रावधान है

(सूची-ब)

तहसील का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम
मांगरोल	सौरसन	ताखा, नीयाना
	खजूरना	खजूरना, केवडा
	तामखडा	देलाहेडी, बरखेडी, बमलिया, महारजा, तामखेडा, फलासावर
	पारलिया	हिंगोनिया, पारलिया, शामपुरा, हरसोली
	बडवा	बण्डवा
	बोहत	बोहत
	काचरी	काचरी, सोरखण्ड, खुर्द, सोरखण्ड कलां
	निजोरा	ढावरी व ाकावी
	रायथल	सोखण्डा
	पचेलकलां	देवपुरा
	जयनगर	केथांडी, मवरी, खेडा
	अन्ता	चक शाहबाद
	मटवाडा	बलदेवपुरा, उर्फ मूंडघूश्या, रक्सपुरा
	पियाडा	खेडी, चैनपुरा, बमूलिया
	बडा	बंडा, आकडी, काला खडा
	सीमली	सांकली सीमला

शुद्धि-पत्र

सोमवार दिनांक 24 मार्च, 1969

म सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	3	को	बजे
2	14	वष	वर्ष
3	2	ह	हैं
5	5	सर्व	सर्वे
6	अन्तिम से 2	श्री फूलवन्द	श्री फूलचन्द
13	25	कवडा	केवडा
14	अन्तिम से	को तीन	को मुआवजा
	2	1	उनके
,,	अन्तिम लाइन	बया	क्या
17	13	इ गा	इस गांव
	18		
18	11	ि द्युतिकरण	विद्युतिकरण
11	8	ि चाराधं न	विचाराधीन
19	10	श्री कल्याण ल	श्री कल्याणमल
11	अन्तिम लाइन	ि वेदन	निवेदन
20	10	प्रश्न स या 54	प्रश्न संख्या 514
,,	16 व 19	सं या	संख्या
,,	17	श्री सतीश अग्र ाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
21	1	अ पस्थि	अनुपस्थित
,,	अन्तिम से 2	ु रानी	पुरानी
24	8	श्री भृथ्वीसिह	श्री पृथ्वीसिह
,,	अन्तिम से 2	वौनसा	कौनसा
26	अन्तिम से 6	जि की	जिसकी
29	10	काश्त	काश्तकार
,,	22	कश्त	काश्त
30	23	वमनवास	बामनवास
31	7	ग्रामनाम	ग्राम का नाम
,,	शीर्षक	स.स	अ.सं
33	12	उर	उत्तर
34	6	सर क र	सरकार
,,	16	यया राज्य	क्या राज्य

1	2	3	4
34	17	देख फर	देख कर
,,	अन्तिम से 3	स प्ताह	सप्ताह
35	18	अ धि	अवधि
36	14	क ठनाइया	कठिनाइयां
,,	अन्तिम से 5	196	1969
42	14	उमरे	उमरेण
46	11	50	509
48	13	भुगत न	भुगतान
,,	14	रदारपुरा	सरदारपुरा
51	6	त्तम	उत्तम
60	3	पंचयत	पंचायत
69	अन्तिम से 8	मई	गई
90	13	याजनायें	योजनायें
93	22	गोगामडी	गोगामेडी
98	8	मांगो पर विचार	—
,,	17	से	में
,,	20	राश	राशि
117	5	अवाइज	अवाइड
120	5	अजगर	असगर
124	अन्तिम से 29	बाडमर	बाडमेर
133	8	मिटटी	मिट्टी
138	शीर्षक	पर वाद-विवाद	विरोधी दलों के धरने स. आपत्ति
145	शीर्षक	अभि	आपत्ति
149	,,	र्शन	दर्शन
153	अन्तिम से 2	यह	इस
164	7	विजीलस	विजीलेन्स
168	3	विटमिन	विटेमिन
169	7	रिपयर	रिपेयर
,,	17	पावडा	पाडवा
179	14	बनान	बनाने
,,	22	नाई	कठिनाई
,,	24	करक	करके
215	अन्तिम से 3	ी यू डी	पी. डब्ल्यू. डी.
225	शीर्षक	श्री अ ीनुद्दीन अहमद	श्री अमीनुद्दीन अहमद
,,	अन्तिम से 6	रि ेयर्स	रिपेयर्स
227	14	िया	दिया
232	12	चाहा	चाहता
245	4	Sardarshahar	Sardarshar
249	शीर्षक	परिशिष्ट 3	परिशिष्ट 4
,,	15	27571.85	275715.85